राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 23 वां दिवस संख्या 8

गुरुवार, दिनांक 25 मई, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, सामान्य प्रशासन, चिकित्सा, विद्युत, अकाल–सहायता, सिचाई, पुनर्वास एवं गृह विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री केसरीसिंह !

जिला बूंदी में मालगुजारी की दरें

40. **श्री केसरी सिंह** (हिन्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी की अलग अलग तहसीलों में सैटलमेन्ट का रिवीजन कब कब हुआ ?

(2) इन सब तहसीलों में पहले मालगुजारी की दर क्या थी और इस रिवीजन के बाद में क्या दर कायम की गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि जनता की ओर से इसके सम्बन्ध में एतराज पेश किये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जिला बूंदी में इस समय केशोरायपाटन, बूंदी, नैनवा व हिन्डोली चार तहसीलें हैं। इनके रिवीजन बन्दोबस्त (फील्ड) का कार्य क्रमशः अक्टूबर 1962, अक्टूबर 1963, अक्टूबर 1964 व मई 1966 में आरम्भ करवाकर पूर्ण कराया जारहा है।

(2) चारों तहसीलों की मालगुजारी की पुरानी दरों की सूची संलग्न है तथा रिवीजन के बाद की दरों में तहसील केशोरायपाटन की स्वीकृत दरें बूंदी की प्रस्तावित दरें तथा तहसील नैनवा व हिन्डोली की टेन्टेटिव रेन्ट रेट्स, जो प्रेस को प्रकाशनार्थ भेज दी गई हैं उनकी सूचियां भी संलग्न हैं।

(3) यह स्वाभाविक है कि जब कहीं भी बन्दोबस्त की कार्यवाही होती है तो किसी न किसी प्रकार के एतराज जनता द्वारा पेश होते ही हैं। परन्तु उनका निराकरण कर दिया जाता है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केसरीसिंह : क्या यह सही है कि पर्चियां बंटने में पूर्णतया सुविधाएं नहीं दी गई, और न एतराजात वक्त पर सुने गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: पर्चियां बनाने के बाद टाइम मांगा गया था वह दे दिया गया था बाद में पर्चियां बंटने के बाद जो एतराजात केशोरायपाटन में आये उनकी सुनवाई हो रही है।

Page No.2

श्री केसरीसिंह : बहुतों को पर्चियां प्राप्त नहीं हुई है इसका भी पता है आपको ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पर्चियां प्राप्त नहीं हुई उनको एतराज करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

प्रश्न संख्या (41)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पूछना नहीं चाहती ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उस डिस्पेन्सरी में डाक्टर पहुंच गया है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जी हां ।

सतर्कता आयोग द्वारा प्रकाश में लाये गये मामले

42. **श्री शंकरलाल** (जैतारन) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सतर्कता आयोग द्वारा कितने ऐसे मामले गत दो वर्षों में प्रकाश में लाये गये जिनमें सरकारी अधिकारियों को दण्डित किया गया ?

(2) इसमें आई० ए० एस० और आर० ए० एस० अधिकारियों के कितने मामले थे और कितनों को दण्ड मिला ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में संबंधित सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये समय के लिये निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : Postponed.

श्री भैरोंसिंह : जो भी जानकारी हो वह दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्राप्त ही नहीं हुई ।

श्री शंकरलाल : यह कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री भैरोंसिंह : थोड़ी बहुत तो हुई ही होगी या बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : (मंत्री जी से) थोड़ी बहुत हुई है क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : (श्री शंकरलाल के बोलने पर) आर्डर ! आर्डर !! श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय यह तो बता दें कि इसकी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई या नहीं विजिलेन्स कमीशन की, क्वेश्चन पोस्टपोन किया है उसके सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा । सिर्फ इतना ही बतला दें ।

श्री भैरोंसिंह : यह बतलाना ऑब्लीगेट्री ड्यूटी है गवर्मेन्ट की ।

श्री अध्यक्ष : इसके ऊपर सदन में प्रश्न नहीं चलेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न डिटेल के हैं रिपोर्ट पर नहीं ।

Page No.3

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इसकी जानकारी करके बता देंगे कि पेश करदी या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसकी भी जानकारी आपको करनी पड़ेगी कि वह पेश कर दी या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पश्चात् नहीं की है। पहले कर दी हो तो····

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको जानकारी दूं कि वह अभी तक पेश नहीं हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : धन्यवाद आपको।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसकी रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को मिल गई है ?··

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्री भैरोंसिंह : विजिलेन्स कमीशन के सम्बन्ध में जो आर्डर है उसमें यह है कि कमीशन के लिए यह ओब्लीगेट्री है कि कमीशन हर वर्ष रिपोर्ट पेश कर दे। दो वर्ष से विजिलेंन्स कमीशन काम कर रहा है और दो रिपोर्ट उसने गवर्नमेन्ट को पेश करदी हैं और वे अभी तक सदन में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

भीम में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की स्वीकृति

43. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीम में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की स्वीकृति कब हुई ?

(2) स्वीकृति होने के बाद भी इमारत बनाने की रकम अभी तक क्यों नहीं दी गई है ?

(3) वहां के सब-सेन्टरों के लिए अभी तक स्टाफ भेजा गया या नहीं ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ? नियमानुसार सब-सेन्टर खुलते ही स्टाफ पहुंच जाना चाहिए या नहीं ?

उप-मंत्री, चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह): (1) दिनांक 5-2-66 को हुई। और वह केन्द्र 17-4-66 से कार्य कर रहा है :

(2) नवीन निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान न होने से इमारत बनाने की रकम स्वीकृत नहीं की गई है ।

(3) जी नहीं।

(4) क्योंकि पंचायत समिति से उप-केन्द्रों के भवन अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। इसलिये स्टाफ नहीं भेजा जा सका है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी अधूरी है। 10 सेन्टरों में भवन-निर्माण हो चुका है।

राव श्री धीरसिंह : पंचायत समिति ने बना लिये होंगे लेकिन हमको पता नहीं है कि कम्प्लीट हो गये हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : वे कर दिये गये हैं। मैं यह जानकारी

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत) चाहती हूं कि भवन-निर्माण के लिए राज्य ने प्रावधान क्यों नहीं रखा ?

राव श्री धीरसिंह : धनराशि की कमी की वजह से नहीं रखा गया है। जो 20 हजार रुपये उप-केन्द्रों के लिए थे उनके लिए पंचायत समिति को लिख दिया गया था। जब कम्प्लीट करके हैण्डओवर कर देंगे तो एप्राइन्मेन्ट कर दिया जायगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह धनराशि केन्द्र से मिलती है या राज्य सरकार से?

राव श्री धीरसिंह : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का काम राज्य सरकार पर है और उप-केन्द्रों के लिए धनराशि 10 हजार रुपये चन्दे से आते हैं और 10 हजार रुपये डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट से, इस तरह से काम होता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि भवन-निर्माण हो चुके हैं, लेकिन रकम नहीं मिलती है -वह कब तक नहीं मिलेगी ?

राव श्री धीरसिंह : आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी और धनराशि जब उपलब्ध होगी तब बनवा देंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उप-केन्द्र बन चुके हैं उनका क्या स्टाफ भेज दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट !

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : जन-सहयोग से रकम लेने के बाद गवर्नन्ट क्यों नहीं रकम देती है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री नत्थीसिंह !

पंचायत समिति सेवर के गांवों को बिजली

44. श्री **नत्थी सिंह** (भरतपुर) की अनुपस्थिति में श्रीरामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष में पंचायत समिति, सेवर, जिला भरतपुर के ग्राम फुलवारा, इकरन, जाटोनी, रथमान व लुधावई ग्रामों में कृषि कार्यों के लिये बिजली दिये जाने की स्वीकृति दी गई थी ? और उस योजना से ग्रामवासियों एवं सम्बन्धित पंचायतों को सूचित भी कर दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि गत ग्राम चुनावों के दौरान उक्त ग्रामों में बिजली दिये जाने का कार्य बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर उसी पंचायत समिति के दूसरे गांवों में बिजली दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के बिजली काटने के निर्णय के फलस्वरूप उक्त गांवों के कई किसानों ने अपने सिंचाई के साधनों को तदनुसार बढाने पर काफी रुपया भी व्यय कर दिया है, अब उनको बिजली नहीं दिये जाने के कारण उन्हें काफी आर्थिक हानि उठानी पड रही है और इस तथ्य की ओर स्थानीय विधायक द्वारा सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो इन गांवों को इसी वर्ष में बिजली दिये जाने की क्या कार्यवाही हो रही है ?

(4) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में पंचायत समिति, सेवर के कुछ गांवों को

(श्री नत्थीसिंह)
बिजली दिये जाने की योजना है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरदेव जोशी): (1) क्या सन् 1965-66 में भरतपुर के पंचायत समिति सेवर के ग्राम फुलवारा, इकरन व जाटौली को कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था ग्राम लुधाबई को सन् 1966-67 की योजना में शामिल किया गया था।

(2) सन् 1965-66 में ही विद्युतिकरण किया गया। ग्राम लुधाबई को सन् 1966-67 की योजना में शामिल किया गया था लेकिन इस ग्राम के विद्युतीकरण का अनुमानित व्यय इसकी स्वीकृति से अधिक था इसलिये इसके कार्य को स्थगित कर दिया गया।

(3) राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(4) सन् 1967-68 की योजना अभी तैयार नहीं हैं।

श्री **रामकिशन** : किस की जानकारी नहीं है ? कुछ गांव जिनको कि बिजली सेन्क्शन हुई थी उनके बजाय दूसरों को दे दी गई हैं।

श्री **हरिदेव जोशी** : आप पढ लें। उसमें जो है उसके लिये नहीं है।

श्री **रामकिशन**: नं 2 में जो पूछा है कि जिन गांवों के लिये पहले सेन्क्शन दी गई उनको छोड दिया गया और चुनावों के दिनों में दूसरे गांवों को बिजली दी गई है इसकी क्या वजह है ?

श्री **हरिदेव जोशी**: अध्यक्ष महोदय, मूलतः प्रश्न गलत पूछा गया था। उसको करेक्ट करके उत्तर दिया गया है। आपने कहा कि 66-67 में जिन गांवों में मन्जूर की गई है उनको बदल कर 65-66 में जिनको मन्जूरी दी गई थी उनको बिजली दे दी है। 65-66 में उनको योजना के अन्दर नहीं लिया गया, क्योंकि ढाई करोड के बजाय डेढ करोड की रकम कर दी गई इसलिये उन गांवों के लिये कमी कर दी गई है।

श्री **रामकिशन** : यह तो मैं समझ गया हूं कि उनको काट दिया गया है लेकिन उसी पंचायत समिति में दूसरे गांवों में क्यों लगाई गई ?

श्री **हरिदेव जोशी**: मेरी जानकारी में नहीं है और न मैंने कहा है कि दूसरे गांवों में लगाई गई है।

श्री **रामकिशन** : यही तो जानकारी आप से चाही गई है...

श्री **अध्यक्ष** : श्री खेतसिंह !

श्री **रामकिशन** : इसमें साफ तौर से पूछा गया है कि कुछ गांवों का छोड दिया गया है जिनके लिये पहले से सेन्क्शन थी।

श्री **हरिदेव जोशी** : जो गांव छोड दिये गये हैं उसके लिये रीजन बतला दिया गया है कि ढाई करोड को कम करके डेढ करोड कर दिया गया था तो वास्तविक रूप से कुछ गांवों को छोड जाना चाहिये था। जो गांव मेन लाइन से ज्यादा दूर थे उनको छोड दिया गया है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आता था।

Page No.6

श्री रामकिशन : उनको छोड़ दिया गया तो दूसरों को क्यों लिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये कि वे मेन लाइन के नजदीक थे ।

श्री रामकिशन : कौन कौन से गांव थे और कितने नजदीक थे, और उन गांवों के नाम क्या हैं ?

श्री हरिदेव जोशी: मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि जिन गांवों के अन्दर उदाहरण के तौर पर आपने इस गांव नदबई के बारे में पूछा उसकी जानकारी की तो उसमें 22,500) रुपये की राशि चाहिये थी और दूसरे में 31,000) की थी इसलिये उसको छोड़ दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री खेतसिंह ।

भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने बाबत कमेटी

45. **श्री खेतसिंह** (शेरगढ़): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को कुछ राहत देने बाबत किसी कमेटी का निर्माण किया था ?

(2) उस कमेटी ने कितनी बैठकें कीं और उन पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ ?

(3) उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को राज्य सरकार के विचारार्थ पेश की ?

(4) उस कमेटी की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिये और सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्या राहत व क्या सहुलियतें प्रदान की हैं ?

(5) यदि इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है तो इस कमेटी का बनाने का प्रयोजन क्या था ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) जी हां । एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था ।

(2) दल की कुल 6 बैठकें हुई जिसमें कुल खर्चा 3,435 रुपये 49 पैसे हुआ ।

(3) दल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18-7-66 को राज्य सरकार को प्रेषित की ।

(4) दल के द्वारा की गई सिफारिशें अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं

सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिये सरकार राज्य द्वारा नकद इनाम सहायता के रूप में भूमि सम्बन्धी सुविधाएं, आवास सुविधायें, शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें, कानूनी सुविधायें व कई अन्य प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं ।

(5) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह भूमि दी गई, इस दी गई भूमि में से क्या एक भी आंकड़ा आप दे सकते हैं जिससे मालूम हो कि उनको भूमि मिली है ? साथ ही कब मिली है, कितनी मिली है, कितनों को मिली है इन सबके बारे में रिपोर्ट में क्या है, यह भी थोड़ा सा आप फर्मा दें ।

Page No.7

श्री मथुरादास माथुर: 2,955 सैनिकों का करीब 11 हजार एकड़ भूमि राजस्थान के मुख्तलिफ जिलों में बांटी गई जिसमें झुंझुनूं और जयपुर के आंकड़े शामिल नहीं हैं, जो मेरे पास अभी नहीं आये हैं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी रिपोर्ट में से पढ़ना चाहता हूं जिसके लिए आपने फरमाया। आप देखिये, वह रिपोर्ट क्या कहती है :

"In many cases actual possession of allotted land has not been given even after many years."

और दूसरे जो गारन्टी में मिली है, उसके लिए लिखते हैं।

'Meritorious Service Decorations—Possession has not been given within reasonable time.."

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री मदन सिंह : मैं अर्ज करूं : "There are many cases of officers and other ranks who have not been given these even after 10-15 years.

यह इनकी रिपोर्ट है। भूमि दस-पन्द्रह साल से नहीं दी गई है——यह इनकी ही रिपोर्ट है और फिर आप कहते हैं कि 11 हजार एकड़ दी गई। अध्यक्ष महोदय 11 हजार एकड़ में से, मैं समझता हूँ, उन्हीं के नाम है जो मेरे जैसे साथी हैं और जिनके पास पहले ही जमीन थी। लेकिन आज तक जितनी जमीन का एलाटमेन्ट हुआ है वह सारी की सारी वापिस छीन ली गई है क्योंकि आज तक इसका कोई लॉ नहीं बना है। जितनी भी जमीन का एलाटमेन्ट हुआ है उसका कब्जा आज तक नहीं दिया है गवर्नमेन्ट ने और इसका कारण है कि लॉ नहीं बनाया गया है। आप यह ही बता दीजये कि एप्लीकेन्ट्स कितने हैं, अगर आपने 11 हजार एकड़ जमीन दी है? यह सारे फिगर्स आज से चार साल से ज्यों के त्यों दिये जा रहे हैं। इन फिगर्स के बारे में ही मुख्य मन्त्री जी ने कहा और आज आप भी कह रहे हैं। लेकिन जिनको जमीन का एलॉटमेन्ट हुआ है उनको एक्चुअल पजेशन मिला नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विषय के ऊपर आधा घण्टा की बहस हो तो हम यह बता सकते हैं कि एक्चुअल क्या पोजीशन है।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

एक माननीय सदस्य : एक बहुत जरूरी प्रश्न है। मेरे पास एक दरख्वास्त है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उन्होंने पूछा है। उनको पूछने दीजिये। श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपया मेरा नाम न बिगाड़ें। मेरा नाम खेतसिंह है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका जो आरोप है यदि उसको रिफ्यूट नहीं किया गया तो यह समझा जायगा कि आपने नाम बिगाड़ा है।

श्री खेतसिंह : जैसा कि आपने कहा कि राज्य सरकार को अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट 18-7-66 को भेजी तो उस पर तब से आज तक राज्य सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार के सामने यह रिपोर्ट विचाराधीन है यह मैंने

Page No.8

(श्री मथुरादास माथुर)
निवेदन कर दिया है। अब ज्यों ही रिपोर्ट के ऊपर राज्य सरकार द्वारा फैसला हो जायगा वह हम सदन के सामने रख देंगे।

श्री **विजयसिंह** (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह कब तक चलता रहेगा ?

श्री **खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ । यह तो मैंने पहले ही सुन लिया कि राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट 18-7-66 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई तो तब से आज तक क्या परेशानी थी कि जिसकी वजह से राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया ?

श्री **मथुरादास माथुर** : यह आपने 62 कहा है, यह गलत है। 66 है, सिक्स्टी सिक्स।

श्री **खेतसिंह** : जी हां।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : 66 कह रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : 66 ही कह रहे हैं।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): मारवाडी में बोलते हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : मारवाडी तो म भी हूं।

श्री **खेतसिंह** : ढूंढाडी से तो अच्छी भाषा है।

श्री **मथुरादास माथुर** : अभी जो खेत सिंह जी ने प्रश्न पूछा उसके लिए मैं कह रहा हूं कि यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और उस पर शीघ्र ही फैसला ले लिया जायगा। इस सदन का अगला सत्र होगा उसके पहले पहले फैसला हो जायगा।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : छः महीने के बाद फैसला लेंगे !

श्री **भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के किसी मन्त्री ने भी इस रिपोर्ट को नहीं पढा है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : रिपोर्ट को पढने का जहां तक सवाल है, तो इसमें जो पेन्शन के सिलसिले में सिफारिश की गई है उनको मैंने पढा है। मैं इसके बारे में प्रश्न के उत्तर में भी कह चुका हूं।

श्री **भैरोंसिंह** : इसका मतलब यह हुआ कि बाकी की रिपोर्ट आपने नहीं पढी है?

श्री **मथुरादास माथुर** : बाकी की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के सामने विचाराधीन है। वहां से जब मामला केबिनेट के सामने आयेगा तो उस समय सब ही पढेंगे।

श्री **भैरोंसिंह** : आपके कहने का मतलब यह है कि मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य ने नहीं पढी है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं यह नहीं कहता कि मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य ने नहीं पढी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट ने··

श्री **भैरोंसिंह**: कैसे नहीं, सारी जमात तो यहीं बैठी है ।

श्री मथुरादास माथुर: यह बात नहीं है कि हमने नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ी है और यदि पूरी नहीं पढ़ी है तो जब निर्णय करेंगे तब पढ़ लेंगे। आपने कहा कि पढ़ी नहीं है। उसके उत्तर में मैंने कहा कि पेंशन के सिलसिले में जो प्रश्न पूछा था तब मुझे पढ़नी पड़ी थी।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट को राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया है और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया है।

श्री मथुरादास माथुर: लिया होगा। वह इंडिपेंडेंट ले सकती है।

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय क्या मैं यह समझूं कि मिनिस्टर महोदय ने यह एश्योरेन्स दिया है कि अगले सत्र के पूर्व इस रिपोर्ट पर कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री मदन सिंह : मैं समझता हूं कि यह कैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि सोल्जर्स के लिये कोई लॉ नहीं है। ऐसा लॉ नहीं है कि जिसके जरिये वह जमीन ले सकते हैं। इसलिये जितनी जमीन एलाट हुई है वह वापिस छीन ली गई है। क्या ऐसा लॉ बना हुआ है जिसके आधार पर यह जो एलॉटेड लैंड है इस पर वह कायम रख सकते हैं? जो जमीन एलॉट हुई है वह बाद में इजेक्ट हुई है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यह सही है कि भूमि एलाटमेंट के सम्बन्ध में जो आदेश दिये हैं उनके अनुसार भूमि अवाप्ति के नियमों में संशोधन नहीं हुए हैं इसलिये ही यह दिक्कत आ रही है?

(एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछने खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष: आप भी प्रश्न पूछ लीजिए ताकि सबका एक साथ में जवाब आ जाय।

श्री मदन सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि जो भूमि एलॉट हो गई है (विराम) मन्त्री महोदय, जो भूमि अलाट हो गई है, जिस पर लोगों ने काश्त की है, और जिस पर उनका कब्जा है, लेकिन उसके लिये कोई लॉ न होने के कारण ~~वह भूमि वापिस~~ छीन ली गई है, क्या उसके लिये आप आश्वासन दे सकते हैं कि वह आप वापिस दे देंगे?

श्री मथुरादास माथुर : जो जमीन एलॉट हो गई है और यदि वह किसी भी कारण से छीन ली गई है तो कृपया उसके बारे में बताने का कष्ट करें, हम उसको वापिस दिलवायेंगे। यह मैंने निवेदन किया है।

श्री मदनसिंह: मैं आपको दो सौ सैनिकों के नाम दूंगा जिनकी जमीन एलाट हुई है, जिन पर उनका कब्जा है, और उनके नाम पर दर्ज है लेकिन फिर भी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया है। यदि आप उनको वापिस दिलवा देंगे तो आप पहले मन्त्री महोदय होंगे जो उनके लिये यह अच्छा काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल!

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो यह 11 हजार एकड़ भूमि का एलॉटमेंट हुआ है इस पर एक्चुअली कितनी भूमि पर उनका पजेशन नहीं है?

श्री मूलचन्द डागा (पाली): एलाटमेंट का मतलब पजेशन होगा।

श्री भैरोंसिंह: मैं एक्चुअल पजेशन के बारे में पूछ रहा हूं। जो 11 हजार एकड़

(श्री भैरोंसिंह)
जमीन का एलॉटमेंट किया है, उस एलाटमेंट के अनुसार एक्चुअल कितनी भूमि पर भूतपूर्व सैनिकों का अधिकार है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री **खेतसिंह** : क्या यह सही है कि पाकिस्तान के एग्रेशन में जो सैनिक मारे गये थे उनको भूमि का एलाटमेंट नहीं किया गया है ? क्या जो पाकिस्तान के एग्रेशन में सैनिक मारे गये उनको भूमि का एलाटमेंट कर दिया गया है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : पाकिस्तान के एग्रेशन में जो सैनिक मारे गये उनमें से जो जोधपुर जिले में रहने वाले हैं उनमें से कुछ को जमीन का एलाटमेंट कर दिया गया है।

श्री **खेतसिंह** : कुछ को क्यों मिली है ?

श्री **मथुरादास माथुर** : अलग अलग जमीन अलग अलग जगहों पर मांगी जाती है तो देखना पड़ता है कि किस जमीन पर किसका कब्जा है, क्या स्थिति है । यह सब देखा जाता है उसके बाद में एलाटमेंट किया जाता है । असल में मांग करने वाले तो बहुत होते हैं, कोई एक तो होता नहीं है । इसलिए कुछ को दी गई है, कुछ को आगे दे दी जायेगी और कुछ को नहीं मिलेगा ।

श्री **मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से......

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर ! श्री विट्ठल !

श्री **मदनसिंह** : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सारे जिलों में........

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! श्री विट्ठल !

श्री **मदनसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको इस तरह से नहीं टाला जाना चाहिए ।

श्री **विजयसिंह** : जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी उनके लिए आप ऐसे शब्द कहते हैं कि कुछ को कर दी है, कुछ को एलाट कर देंगे और कुछ को नहीं मिलेगी । यह कहते हैं ।

श्री **मदनसिंह** : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! नेक्स्ट ! (कई सदस्यों के बोलने पर) माननीय सदस्य !

श्री **विजय सिंह** : यह तो बड़े कमाल की बात है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री **विजय सिंह** : हमें यह पूर्ण विश्वास चाहिए कि जो सैनिक काम में आये हैं बाउन्ड्री के ऊपर, उनको इतने टाइम के अन्दर जमीन मिल जायगी ।

श्री **मथुरादास माथुर** : जो देश के लिए काम में आये हैं, उन जैसे लोगों के लिए (श्री विजय सिंह के बोलने पर) इस तरह जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा । उन जैसे लोगों के लिए आपमें ही ऐसी भावना नहीं है हम सबमें है । आपमें ही राष्ट्रीय भावना नहीं है हम में भी है ।

श्री विजय सिंह : मैं वहां की हालत देख कर आया हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मथुरादास माथुर : आप सवाल पूछते हैं या बहस करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री विट्ठल (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर ! आर्डर !!

श्री मदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

श्री मदन सिंह : इस विषय पर हम चुप नहीं रह सकते । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । मामूली सा सुझाव है । मंत्री महोदय को अगर टाइम मिले तो जो कांग्रेस पक्ष में ऐसे सदस्य हैं जो सैनिक हैं और जो सैनिक इधर के दल में हैं, उनको मंत्री महोदय यहां आश्वासन दिलाएं कि 1घंटे के लिए असेम्बली के बाद में वह बैठें । मैं उनकी ही रिपोर्ट से यह सिद्ध करूंगा कि Not a single inch of land has been allotted. जैसा कि आपने बताया ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : यह गलत है । मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में राजस्थान का सैनिक मरा उनको भूमि दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : उदयपुर में दी गई होगी ।

श्री भैरोंसिंह : आपके यहां के एक सैनिक को मिली, इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान के सब जिलों के रहने वालों को मिल गई है ।

श्री मदन सिंह : जिन व्यक्तियों के लिए सिफारिश की गई थी उनको नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! माननीय सदस्य ! श्री विट्ठल !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इसके लिए गवर्नमेंट को कन्डेम्न करें ।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय से आप इस सम्बन्ध में चैम्बर में बैठ कर बात कर लें और उसके बाद में भी कोई ऐसी स्थिति होगी तो उसका क्लेरीफिकेशन कर लिया जायगा ।

एक माननीय सदस्य : ऐसी बात है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! माननीय मंत्री महोदय !

जिला बांसवाड़ा के अकाल सहायता कार्य

श्री विट्ठल (पीपलखूंट): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में गत आम चुनाव के पहिले जितने अकाल राहत कार्य खोले गये थे वे सब सरकारी मन्जूरी से खोले गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि जो कार्य खोले गये थे वे कई जगह बन्द पडे हैं ? यदि हां तो ऐसे कितने कार्य खोले गये थे और अभी कितने काम बन्द है और कितने चल रहे हैं ?

Page No.12

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, जितने सहायता कार्य खोले गये थे सब जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से खोले गये थे, जो सहायता कार्य प्रारम्भ करने के लिये प्राधिकृत हैं।

(2) जी नहीं, जो कार्य खोले गये थे उनमें से अधिकांश पूर्ण हो जाने के कारण बन्द हो गये हैं। केवल 11 सिंचाई के कार्य सीमेन्ट न मिलने एवं पक्के काम होने के कारण बन्द रखने पडे हैं उस समय खाले गये कार्यों में से 28 कार्य अभी तक चालू हैं।

श्री विट्ठल : मैंने लिस्ट मांगी वह तो मुझे मिली नहीं। मगर ऐसे कितने काम हैं जो चुनावों के पहले चल रहे थे और आज बन्द पडे हुए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : समझ में नहीं आया जरा जोर से बोलें।

(**कई माननीय सदस्य** : माइक फेल है)

श्री विट्ठल : ऐसे कितने कार्य हैं जो चुनावों के पहले चल रहे थे और आज बन्द पडे हुए हैं ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जो भूमि संरक्षण के कार्य थे जो 100 में से सौ पूरे हो गये और अब वहां भूमि संरक्षण का कार्य चालू नहीं है। 39 तालाबों के कार्यों में से 28 तालाब पूरे हो चुके हैं और पक्के सिंचाई के कार्य सीमेन्ट न मिलने के कारण बन्द हो गये हैं। अब पुरानों में से 17 सड़कों और 11 तालाबों के कार्य चालू हैं।

श्री विट्ठल : जो सड़कों के कार्य मंजूर-शुदा थे और आज बन्द हैं उनके लिये मैं पूछ रहा हूं तालाबों का काम तो हो चुका।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 17 सड़कों का काम अभी चालू है।

एक माननीय सदस्य : क्या उनमें मजदूरों की संख्या कम कर दी गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री विट्ठल : कोई काम वहां पर नहीं चल रहा है उस इलाके में।

एक माननीय सदस्य : सड़कों पर जो मजदूर रखे थे उनकी संख्या कम कर दी गई

श्री अध्यक्ष : दो सदस्य साथ साथ न बोलें।

श्री विट्ठल : झूठी रिपार्ट आपको दी जा रही है। सब काम अधूरे पडे हुए हैं और फिर भी कोई काम नहीं चल रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनको बन्द करना पडा है। और जो बाकी काम है उनको पूरा करा दिया जावेगा।

श्री विट्ठल : इन कामों को बन्द करने का कारण क्या था ? मजदूरों को मजदूरी की जरूरत तो इन दिनों में है। जनवरी और फरवरी में उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी जितनी आज मजदूरी की जरूरत है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि फरवरी के महीने में····

Page No.13

(बहुत से सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण शोर गुल)

(अश्रव्य)

अध्यक्ष महोदय यह बांसवाडा का प्रश्न नहीं है ।

श्री **अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज, आर्डर ! चेयर अपने पैरों पर है ।

श्री भैरोंसिह : फरवरी के महीने में 1 लाख 22 हजार आदमियों को रोजगार मिल रहा था और मार्च में वह घटा और अप्रेल में उससे ज्यादा घटा और घटते घटते अब 33 हजार आदमियों को रोजगार मिल रहा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह पूरे फिगर्स ता में नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिह: यह तो आपके उसमें दिये हुए हैं । बांसवाड़ा में कितने हैं उसके फिगर्स मैं नहीं दे रहा हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप जनसंघ के नेता ने लगाया वह बिल्कुल सच्च है । मैं यह जानना चाहूंगा कि जो कार्य फरवरी में जारी था वह रिलीफ कार्य मई में जारी क्यों नहीं रहा है । फरवरी में एक लाख सवालाख मजदूरों को कार्य मिल रहा था इस समय उसकी जगह ज्यादा नहीं तो कम से कम उतने मजदूर तो काम करने ही चाहिये क्योंकि मई में प्रभाव ज्यादा पडता है बनिस्पत फरवरी के । यह व्यवस्था सरकार की असंतोषजनक है वहां पर फरवरी में जो कार्य था वह अब क्यों नहीं है इसके लिये अगर जानकारी करने के लिये कोई प्रश्न पूछता है तो आप लेत-लाली करके जवाब नहीं देते हैं ।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**: उनको पता है कि अभी भी बांसवाडा जिले में एक लाख से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं इससे कम नहीं कर रहे हैं ।

महारावल श्री **लक्ष्मणसिंह**: मैं वहां की स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हूं । प्रश्न उनका वह ठीक है और उन्होने जो भी कहा है वह बिल्कुल ठीक है । अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका रीलीफ का टेम्पो वहीं का वहीं रखिये, अगर आप उसे बढाना नहीं चाहते । खैर आपने अपना स्वार्थ सिद्ध करके इलेक्शन में कार्य कर लिया वह ता ठीक है लेकिन इलेक्शन के बाद अब भी जनता के हित के लिये कार्य करें और इलेक्शन फीवर को उतारें और अपनी भूलों को सुधारें ।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : वहां पर इलेक्शन के कारण से नहीं जनता को राहत देने के कारण कार्य किया गया । अब भी काम चल रहे हैं । अभी भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टेम्पो में कमी नहीं की जायगी और जो काम पूरे हो चुके हैं उनको कम किया है ।

(शोर गुल)

श्री **अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज । नैक्स्ट ।

एक माननीय सदस्य : राहत कार्य वहां शुरू नहीं हुए हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

Page No.14

राज्य में अपहरण के मामले

47. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1962 से 1967, मार्च तक कितनी लड़कियों का अपहरण हुआ है ?

(2) अपहरण में गई कितनी लड़कियों को बरामद किया गया है ?

(3) क्या इस अपहरण को रोकने के लिये सरकार ने कोई विशेष कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) राजस्थान में सन् 1962 से मार्च, 1967 तक 2,385 लड़कियों का अपहरण हुआ है।

(2) अपहरण में गई लड़कियों में से 2,049 लड़कियों को बरामद किया गया।

(3) वर्तमान कानून पर्याप्त है, विशेष कदम उठाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री श्रवणलाल : इतने अपहरणों का कारण क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके कारण तो कई हैं। कई लड़कियों का लड़कों के साथ एलॉटमेंट हो जाता है। कई लड़कियों के मां-बाप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं और लड़कियां नहीं चाहती, कुछ नाते का प्रश्न पैदा होता है। कई लड़कियें खुद चली जाती हैं। बाकी कोई इन्ट्रेस्टेड ग्रुप नहीं है जो लड़कियों को किडनेप करता हो। सोशियल कस्टम्स ऐसे हैं।

श्री श्रवणलाल: क्या ऐसी वारदातें भी हुई हैं जिनमें लड़कियों को बेचते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि आज से 6 महीने पहले शाहाद क्षेत्र में डाकुओं द्वारा दो औरतों का अपहरण किया गया था, उड़ा कर ले गये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये नोटिस की जरूरत है। 2,400 के करीब अपहरण हुए।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि अपहरण के केसेज हुए उनमें किसी को सजा भी हुई ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अनुसंधान के पश्चात् 1,075 अभियोग झूठे पाये गये। 247 केसेज में हुई है।

श्री **दुर्गालाल बादवार** (हवामहल, जयपुर): अश्रव्य।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : 2,400 केसेज हुए हैं। सब की डिटेल्स देना मेरे लिये मुश्किल है। अगर आप कोई पर्टीकुलर प्रश्न पूछें तो आप अलग से पूछ सकते हैं।

श्री **अध्यक्ष**: आप अलग से प्रश्न पूछें।

श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरपुर): क्या कोई इस प्रकार का गैंग है जो औरतों के विक्रय का कार्य करता है और क्या इस सम्बन्ध में विशेष रूप से रुचि रख कर कार्य किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : इसका प्रश्न कर्ता को पता होगा।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : इस प्रकार की सूचना होगी तो अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : 2,385 लड़कियां फरार हुई । उनमें से 2,092 लड़कियां बरामद की गई बाकी की अब तक बरामद नहीं करने का क्या कारण है ।

श्री दामोदरलाल व्यास: 2,400 लड़कियों का अपहरण हुआ था उसमें अलग अलग की डिटेल्स मुझे मालूम नहीं हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (आसीन्द) क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अपहरण के केसेज इस वजह से होते हैं कि शारदा एक्ट की खिलाफवर्जी कर के लोग शादियां करते हैं । तो क्या इस कानून का सख्ती से पालन करने के सम्बन्ध में सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : इसमें आपके और जनता के सहयोग की आवश्यकता है ।

श्री देवीदत्त (बारां): आदिवासियों की लड़कियां बाहर ले जाई गई हैं ।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है । प्रश्न संख्या 48

श्री ललितसिंह !

(अनुपस्थिति कृपया आगे देखिये)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पूछने की मुझे आज्ञा प्रदान की जानी चाहिये । प्रश्न संख्या 48 ।

श्री अध्यक्ष : not allowed sorry

श्री **अमीलाल यादव** !

पंचायत समिति नीमराना के जनस्वास्थ्य केन्द्र के उप-केन्द्र

49. श्री **अमीलाल यादव** (बहरोड़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला अलवर, पंचायत समिति नीमराना के पब्लिक हैल्थ सैन्टर के सब सैन्टर्स ग्राम मांजरा, डूमरोली, हुडिया जैतपुर का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री चिकित्सा (राव श्री धीरसिंह) जी नहीं । तीनों उपकेन्द्र निम्न तारीखों से काम कर रहे हैं :—

(1) ग्राम जैतपुर (हुडिया जैतपुर) ..	20-12-66
(2) ग्राम मांजरा ..	19-12-66
(3) ग्राम डूमरोली	21-3-67

एक माननीय सदस्य: सुनाई नहीं दे रहा है जोर से बोलिये ।

श्री अध्यक्ष: शुरु से पढ़ दीजिये वापिस

(राव श्री धीरसिंह ने उपरोक्त उत्तर को पुनः पढ़ा)

श्री अमीलाल यादव: क्या एक कर्मचारी को भेज देने का मतलब आप यह लगाते हैं कि वहां सारा स्टाफ भेज दिया गया है ?

राव श्री धीरसिंह : एक केन्द्र में एक मिडवाइफ और एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट रखने का है, मिडवाइफ उपलब्ध नहीं होने से एक दाई को और एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को भेजा है ।

श्री अमीलाल यादव: जितनी सेंक्शन है उनमें से कितने आदमी भेजे और कब भेजे हैं? 63 से रूपया जमा किया हुआ है, न तो

Page No.16

(श्री ग्रमीलाल यादव)
भवन का निर्माण किया जा रहा है ग्रौर न स्टाफ ही है ग्राप कहते हैं कि सभी केन्द्र कार्य कर रहे हैं पर दो जगह दाई भेजी गई है, न कम्पाउन्डर भेजा गया है न मिडवाइफ भेजी गई है। क्या वहां जल्दी से जल्दी पूरा स्टाफ भेजेंगे ?

राव श्री धीरसिंह: जो स्टाफ नहीं भेजा गया है, वह उपलब्ध होते ही जल्दी से जल्दी भेज दिया जायगा।

श्री ग्रध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह !

भीमसागर बांध की नहरों में ग्राई भूमि का मुग्रावजा

50. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मन्डी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीमसागर बांध योजना के तहत कितने काश्तकारों की कितनी जमीन पर नहरें व माइन्स खोदी गई हैं ग्रौर कब ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सारी जमीन का ग्रभी तक भी सरकार द्वारा मुग्रावजा नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो कितनी जमीन पर मुग्रावजा चुकाना बाकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन में किन्हीं किन्हीं जगहों पर लोगों से नहर में ग्राने वाली जमीन पर लगान भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक बन्द कर दिया जावेगा व वसूल शुदा लगान को कब तक ग्रौर कैसे वापिस किया जावेगा।

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह):

(1) भीमसागर बांध योजना के तहत कुल 227 काश्तकारों की जिनमें 164 काश्तकारों की 401 बीघा 3 बिस्वा मुख्य नहर एवं 63 काश्तकारों की 73 बीघा 9 बिस्वा भूमि सन् 1954 से 1958 के बीच में नहर व माइनर्स के बनाने के काम में ग्राई।

(2) उपरोक्त सारी जमीन के मुग्रावजे की रकम 727.94) गतवर्ष चैक द्वारा तहसीलदार खानपुर को भेज दी गई थी। उक्त राशि में से 20,141,50 रु0 का भुगतान किया जा चुका है। शेष मुग्रावजा के भुगतान की शीघ्र व्यवस्था की जा चुकी है।

(3) लगान वसूल किया जा रहा है, ऐसी इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री जुझारसिंह: 54 से यह प्रश्न चला ग्रा रहा है ग्रौर मन्त्री महोदय के बताये माफिक 72 हजार का चैक भुगतान के लिये तहसीलदार के भेजा, उसमें से केवल 20 हजार का पैमेन्ट हुग्रा है। 15 वर्ष बाद वन फोर्थ पैमेन्ट हुग्रा है, ग्रब ग्राप कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन्तजाम कर दिया जायगा। तो क्या बतायेंगे कि इतनी देरी का क्या कारण है, चैक भेज देने के बाद भी भुगतान नहीं किये जाने की क्या वजह है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का देखने की कोशिश की है। मुग्रावजे के भुगतान में देरी, होती है, यह दुख की बात है। मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है कि जो लोग गुनहगार हैं, ऐसे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। दूसरे जो लोग मिल नहीं रहे हैं, जिन्हें कि मुग्रावजे

(श्री हरिदेव जोशी)
का भुगतान करना है इस प्रकार के केसेज को छोड कर बाकी को मुग्रावजा 15 दिन के भीतर भीतर कलेक्टर भुगता दें, इस प्रकार का लेटर कलेक्टर को लिखा गया है। इसके अलावा यह भी प्रबन्ध किया गया है कि इरिगेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के बीच सम्पर्क स्थापित किया जा कर मुग्रावजे का पेमेन्ट जल्दी से जल्दी कर दिया जाय। अगर किन्हीं केसेज में डिस्प्यूट हो तो गवर्नमेन्ट लेवल तक उन मामलों को ला कर जल्दी से जल्दी मुग्रावजे का भुगतान किया जाय।

श्री जुझारसिंह : मन्त्री महोदय ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि लगान वसूल किया जा रहा है ऐसी विभाग को जानकारी नहीं है। पर मेरी जानकारी ऐसी है कि जिन जमीनों पर नहरे खोदी गई हैं, जो काश्तकारों के कब्जे में नहीं हैं, उनको मुग्रावजा नहीं दिया गया है और न लगान ही बन्द हुआ है। मन्त्री महोदय ने जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करने को कहा, पर 5 साल से सरकार द्वारा यही जवाब दिया जा रहा है, तो क्या मंत्री महोदय इसके लिये कोई मयाद मुकर्रर करेंगे कि जिन लोगों को मुग्रावजे का भुगतान नहीं किया गया है उनको इस मयाद के अन्दर अन्दर भुगतान कर दिया जायगा और जिन जिन लोगों से लगान वसूल किया जा रहा है, उसे बन्द किया जायगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं लास्ट ईयर 72 हजार रुपया तहसीलदार को भेजा गया, उसमें से 20 हजार का डिस्बर्समेन्ट हुआ और बाकी रुपया तहसीलदार के पास पडा रहा, ग्राडिट के लिहाज से इतना ज्यादा रुपया पडा रहना वाजिब नहीं था इसलिये तहसीलदार ने अप्रेल में रुपया लौटा दिया, कुछ लोग मिल नहीं रहे थे मौके पर। जहां तक इस पर्टिक्यूलर केस का प्रश्न है, मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और कलेक्टर से पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी मुग्रावजे का भुगतान कर दिया जाय।

ऐसे केसेज मेरे पास नहीं हैं पर मेरी जानकारी है कि लगान वसूल किया जाता है, इसके लिये प्रबन्ध किया जायगा कि कलेक्टर यह देखे कि गवर्नमेन्ट के ग्रार्डर्स केरी ग्राउट होते हैं। अर्लियेस्ट टाइम में यह सारा कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री।

ठेले वालों के लिये दुकानों का प्रबन्ध

51. श्री **भगवानदास शास्त्री** (ग्रजमेर-पश्चिम) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या अजमेर में ठेलों पर बिक्री करने वालों के लिये कोई मार्केट व दुकानों का इन्तजाम करने की कोई योजना है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वास मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(1) जी नहीं।
(2) कोई स्थान नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मन्त्री महोदय कहते हैं कि स्थान नहीं है। इसके लिये भूत बावडी स्थान है। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की तरफ से लिखा गया, चार साल हो गये, मार्केट नहीं बना है। भुखमरी के कारण जो लोग

(श्री भगवानदास शास्त्री)
ठेले चलाते हैं उनके कारण आज अजमेर की यह स्थिति है कि कितना ही सीरियस मरीज हो एम्बूलेंस नहीं ले जा सकती। मन्त्री महोदय के पास हमने डेपुटेशन भेजे हैं, ठेले वालों का डेपुटेशन आया। अजमेर के ठेले वालों की इस समस्या को हल करना चाहिये, मन्त्री महोदय कहते हैं कि स्थान नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके लिये स्थान तो बहुत ही अच्छा पडा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जहां तक मेरी सूचना है, सारे के सारे ठेले वाले मदार गेट पर स्थान चाहते हैं, वहां इतनी जगह नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री: मैंने स्थान आपको बता दिया कि भूत बावडी स्थान है..

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार को मालूम है कि जो लोग ठेले पर दुकान लगाते हैं वे वह हैं जो पाकिस्तान से पुरुषार्थी बनकर आए हुए हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभी वे लोग नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारीलाल।

धौलपुर का पृथक् जिले के रूप में गठन

52. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिरोही, डूंगरपुर, बूंदी जिलों के तहत कितनी तहसीलें और सब-तहसीलें आती हैं ?

(2) इन तीनों जिलों कि अलग-अलग क्या आबादी है ?

(3) इन तीनों जिलों से राज्य सरकार को बतौर लगान कितनी धनराशि प्राप्त होती है ?

(4) क्या यह सही है कि धौलपुर सब-डिवीजन इन उपरोक्त तीनों जिलों से आबादी, लगान व तहसील की दृष्टि से बडा है ?

(5) धौलपुर को अलग से जिला क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है ?

(6) नया जिला घोषित करने में राज्य सरकार मुख्यत: किन किन बातों का ध्यान रखती है ?

श्री राम किशन (बैर) : इसका जवाब ठीक ठाक देना।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सिरोही जिले में 5 तहसीलें हैं, डूंगरपुर जिले में 3 तहसीलें हैं एवं एक सब-तहसील है तथा बूंदी में 4 तहसीलें हैं।

(2) सिरोही की आबादी 3,52,000 डूंगरपुर की आबादी 4,06,944 तथा बूंदी की आबादी 3,38,010 है।

(3) लगान की आय सिरोही जिले से 12,42,546) रुपये, डूंगरपुर जिले से 9,14,402) व बूंदी से 12,00,173) रुपये।

(4) जी हां।

(5) जिलों के पुनर्गठन का विचार न होने के कारण धौलपुर को अलग जिला घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(6) नया जिला घोषित करने के लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल, भू-राजस्व, उप-खंडों, तहसीलों की संख्या के अतिरिक्त भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये जो हालात मंत्री महोदय ने बताये, वे सब धौलपुर में मौजूद हैं, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए धौलपुर को जिला क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिलों के पुनर्गठन का प्रश्न ही विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकिशन : आपने जो जिला बनाने के आधार बनाए हैं, वे सब धौलपुर में मौजूद हैं। विशेष आधार यह है कि जिला हैड-क्वार्टर पर जाने के लिए धौलपुर के आदमी को 125 मील जाना पडता है। आपकी क्या कठिनाइयां हैं। आप एक जिला और बना दें। आपका आश्वासन था कि पुरानी राजधानियों का महत्व कायम रखा जायगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बहुत पुराना सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट क्वेश्चन।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को और मौका दिया जाय, यह महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय।

श्री लालूराम सुलानिया : क्या कारण है कि धौलपुर को जिला नहीं बनाया जा रहा है ?

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कठूमर

53. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कठूमर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुला हुआ है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त केन्द्र पर भवन का निर्माण व डाक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है ? अगर हां, तो क्यों ?

उप चिकित्सा मंत्री (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक 15-12-65 से कार्य कर रहा है।

(2) जी हां। धनराशि के अभाव के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण नहीं हो सका एवं डाक्टरों के अभाव में उक्त स्थान पर ग्रेड प्रथम कम्पाउण्डर डाक्टर की जगह कार्य कर रहा है।

श्री गंगासहाय : भवन निर्माण हो जायगा, ऐसा आश्वासन तो दें।

राव श्री धीरसिंह : धनराशि उपलब्ध हुई तो कार्य शुरू हो जायगा।

श्री गंगासहाय : धनराशि उपलब्ध होने की तारीख क्या है ?

राव श्री धीरसिंह : तारीख मैं नहीं बता सकता।

श्री लालूराम सुलानिया : स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पैसा राज्य सरकार देती है या जनता?

राव श्री धीरसिंह : स्वास्थ्य केन्द्र के लिए राज्य सरकार देती है और सब-सेन्टर के लिए जनता का पैसा होता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

जैतपुर बांध का कार्य

54. श्री **मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मांडलगढ, जिला भीलवाडा के जैतपुर बांध को बंधवाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और क्या उसका कार्य प्रारंभ हो गया है ? यदि नहीं तो कब प्रारंभ हो रहा है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री मनफूलसिंह) जी हां, इस योजना की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 26 अप्रेल, 1966 का दी जा चुकी है किन्तु धनाभाव के कारण इस वर्ष मध्यम श्रेणी की योजना के लिए चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल में कोई प्रावधान नहीं है । जहां तक कार्य प्रारंभ करने का प्रश्न है वह धन की उपलब्धि पर ही निर्भर है ।

श्री **मनोहरसिंह मेहता** : एक तरफ अकाल पड रहा है और लगान छोडने की बात कह रहे हैं । अगर आप हमसे उधार लेना चाहें तो थोडा थोडा उस क्षेत्र के लोग भी उधार दे सकते हैं । कृपया बांध को शुरू करें । मंजूरी हो चुकी है, तो फिर कब शुरू होगा ? पैसे का प्रश्न तो हमेशा ही रहेगा । इसका मतलब बांध नहीं बनेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री लादूराम मुलाणिया ।

तहसीलदार फागी द्वारा भूमि का आवंटन

55. श्री **लादूराम मुलानिया** (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसीलदार, फागी द्वारा भूमि एलॉटमेन्ट कमेटी की मंजूरी बिना सन् 1962 से 1966 तक किस किस ग्राम में कितनी कितनी भूमि किस किस को एलॉट की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा गैर मुमकिन रास्ता, तालाब व गोचर भूमि को भी एलॉट कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस को और कितनी कितनी भूमि ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) तहसीलदार, फागी द्वारा सन् 1962 से सन् 1966 तक कोई भूमि बिना अलॉटमेन्ट कमेटी की मंजूरी के अलॉट नहीं की गई ।

(2) गैर मुमकिन काबिले काश्त भूमि को जिन जिन को कमेटी द्वारा अलॉट किया गया उसकी सूची संलग्न है । इस भूमि की किस्म जमीन गैर मुमकिन से काबिले काश्त में तब्दील की जाकर अलाटमेन्ट किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री **लादूराम मुलानिया** : क्या यही माना जाय कि जो नाम सूची में दर्ज किए गए हैं, यह भूमि गैर मुमकिन है ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : पहले गैर मुमकिन थी । लोगों ने कहा कि हमको दे दो तो मुमकिन करके उनको दे दी ।

श्री लादूराम सुलाणिया : यह वह भूमि है जो गैर मुमकिन थी और बिना लगान के है क्या ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : यह परिवर्तन करने का अधिकार किसको है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गैर मुमकिन भूमि को अगर काश्त करने के लिए कोई मांगता है तो तहसीलदार कमेटी के द्वारा मुमकिन में परिवर्तन करके उसको देता है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : इस तरह से परिवर्तन में कई झगड़े होते हैं, किसी भी जमीन को अलॉट कर दिया जाता है तो इन सारी बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गैर मुमकिन काश्त जमीन कलेक्टर की आज्ञा से मुमकिन में परिवर्तन करके अलाट किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मंत्री महोदय यह बता दें कि यह सूची उसी भूमि की है जो गैर मुमकिन है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो गैर मुमकिन में परिवर्तित की गई है, वह यह सूची है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय यह सूची झूठी है और गलत है । यह वह भूमि है जो 5 साल में वहां के एलॉटमेन्ट कमेटी और तहसीलदार ने मोल बेची है । 300 बीघा जमीन सिर्फ है सूची में 5-5 बिसवा जमीन लोगों को दी है, 5 बिस्वा किस किस को दी जाती है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) इसके लिए अपील की जा सकती है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसमें कांग्रेस के हारे हुए विधायक हैं जिनको जमीन दी है बिना एलाटमेन्ट के ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मन्जूरी हांसिल करके परिवर्तन करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं मंत्री महोदय से उत्तर चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं आसन तो ग्रहण कर रहा हूं लेकिन में सूची के बारे में बता रहा था ।

असनावर ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन

56. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

असनावर ग्राम (जिला झालावाड़) के लिए प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की रकम कब जमा हुई थी और इसकी इमारत अब तक क्यों नहीं बनाई गई ? इमारत का कार्य कब शुरू होगा ?

Page No.22

उप-चिकित्सा मंत्री (राव श्री धीरसिंह): जन सहयोग का अनुदान 10,000 रु० खजाने में दिनांक 15-9-59 को जमा करवाया गया और यह धनराशि पंचायत समिति, झालरापाटन के पी० डी० अकाउन्ट में 28-5-62 में स्थानान्तरित कलेक्टर, झालावाड़ के चैक नं० 061717 दिनांक 22-5-62 को की गई। भवन निर्माण असनावर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा अब तक नहीं किया गया। यह सुझाव कलेक्टर के विचाराधीन है। मगर असनावर की तहसील टूट जाने के कारण तहसील की इमारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, असनावर अगस्त 1963 से चालू है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि दस हजार रुपया जमा हो चुका है तो यह इमारत अब तक क्यों नहीं बनायी गयी ?

राव श्री धीरसिंह : जो रुपया जमा हुआ है वह उस काम के लिये नहीं काम में लाया जावेगा। स्वास्थ्य केन्द्र के लिये पी० डब्ल्यू० डी० से इमारत बनायी जावेगी। बांध बन रहा है इसलिये वह रुपया कलेक्टर ने रोक रखा है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : बांध का कार्य तो अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है।

राव श्री धीरसिंह : दूसरा स्थान पंचायत समिति बता दे तो बना सकते हैं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या साइड का सिलेक्शन रांग है ?

राव श्री धीरसिंह : साइड का सिलेक्शन था वह बांध में आ रहा है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : वह दूसरा है।

राव श्री धीरसिंह : यह इन्फोर्मेशन गलत है तो आप ही बता दीजिए।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : इस विषय में फाइनल फैसला हुआ है या नहीं कि असनावर गांव को दूसरी जगह बसाया जावेगा ?

राव श्री धीरसिंह : दूसरा प्रश्न पूछिये। गांव बसाने का काम मेडीकल डिपार्टमेन्ट नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राज्य के रेगिस्तानी हिस्सों में बिजली देने में प्राथमिकता

57. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(1) राज्य के किन किन गांवों में माह नवम्बर, 1966 से माह फरवरी, 1967 तक कृषि कार्यों, देहातों के विद्युतिकरण एवं स्थानीय विद्युत् वितरण योजनाओं के अन्तर्गत बिजली लगाने की स्वीकृति दी गई ?

(2) क्या सरकार राज्य के रेगिस्तानी हिस्सों में गहरे कुओं से पानी खींचने की समस्या के समाधान हेतु तथा ऐसे गांवों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए बिजली देने में प्राथमिकता देने का इरादा रखती है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) इस अवधि में राज्य के जिन गांवों को बिजली

(श्री हरिदेव जोशी)
की स्वीकृति दी जा चुकी है उनकी सूची संलग्न है ।

(2) अभी तक ट्रान्समीशन लाइनों के समीपवर्ती ग्रामों की कृषि विकास को दृष्टि में रखते हुए विद्युतिकरण हेतु प्राथमिकता देने का लक्ष्य रहा था। किन्तु गत वर्ष अकाल पीडित क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा की दृष्टि में रखते हुए 45 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी जो क्रियान्वित की जा रही है। आगामी वर्ष की योजना अभी स्वीकार नहीं हुई है अस्तु इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **भीमसेन** : 45 लाख खर्च कर रहे हैं उसमें से बीकानेर डिवीजन को कितना दिया ?

श्री **हरिदेव जोशी** : आपको मालूम है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री ओमदत्त भाटी ।

जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए जमीन

58. श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल के विकास के लिए जमीन की तंगी है ? अगर हां, तो क्या सरकार महात्मा गांधी अस्पताल के आस पास लगी हुई जमीन एक्वायर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह): (1) जी हां। सरकार ने अस्पताल के पास कुछ जमीन को रिजर्व कर रखा है और कुछ जमीन, जो भी उपलब्ध होगी उसको एक्वायर करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री **ओमदत्त भाटी** : यह कितने वर्ष से एक्वायर कर रहे हैं ? अभी तक तो नहीं ली है ?

राव श्री **धीरसिंह** : एक्वायर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री **ओमदत्त भाटी** : दस वर्ष से विचाराधीन है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया ?

राव श्री **धीरसिंह** : यह जमीन रिजर्व कर रखी है । कम पडेगी तो और देंगे और आगे एक्वायर करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री **ओमदत्त भाटी** : वह जमीन कौन सी है ? रिजर्व करने वाली या एक्वायर करने वाली ?

राव श्री **धीरसिंह** : एक्वायर करने के लिए साइट डिसाइड नहीं कर पाये हैं। और जरूरत है तो उसको देखेंगे ।

श्री **खेतसिंह** : कौनसी जमीन रिजर्व है ?

राव श्री **धीरसिंह** : 9 क्लाक कलेक्टर ने लिखी। दो हजार स्क्वायर फीट अरबन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने दी। यह कम पडेगी तो एक्वीजिशन के लिए आगे विचार करेंगे।

श्री **खेतसिंह** : जोधपुर शहर के अस्पताल के पास में है या दूर ?

राव श्री **धीरसिंह** : पास में ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पास में कोई जमीन नहीं है ।

राव श्री धीरसिंह : उसके लिए रिकार्ड लाइये । दूसरा जबाब दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री ।

अजमेर नगर में चोरियां

59. श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जनवरी से अप्रेल, 1967 तक कितनी चोरियां अजमेर नगर में हुई और कितने का माल वापिस मिला ?

(2) क्या सरकार अजमेर में रात्रि में पहरे के लिये घुड सवारों का इन्तजाम कर सकती है ? यदि हां, तो कब तक होगा ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) अजमेर नगर में जनवरी, 1967 से 30 अप्रेल सन् 1967 तक 68 चोरियां हुईं । 16 चोरियों का माल बरामद हुआ ।

(2) अजमेर में घुड सवार दल है, जिससे आवश्यकतानुसार काम लिया जाता है ।

श्री **भगवानदास शास्त्री** : पूरी की पूरी कितनी चोरियां हुईं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**: 68 चोरियां हुईं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर नगर में पहले भी पुलिस की व्यवस्था थी और चोरियां होतीं तो उनका फौरन पता लग जाता था । किन्तु जब से अजमेर राजस्थान में मर्ज हुआ दो परसेन्ट भी चोरियों का पता नहीं लग पाता । कपडे के मामले में पन्द्रह-पन्द्रह हजार की वहां पर चोरियां हुईं । कोई भी बरामद नहीं हुई । कौन पकडा गया है, क्या व्यवस्था की गई है इसका कोई आश्वासन नहीं मिलता । मंत्री महोदय, पुलिस के सिवाय भी आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे इनको कन्ट्रोल किया जा सके । वरना तो अजमेर के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कब तक बना रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री शंकरलाल ।

गांव देवरिया में हुए अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

60. **श्री शंकरलाल** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि अग्निकांड के कारण हुए नुकसान में राहत पहुंचाने का कोष केवल पंचायत समितियों के पास ही रक्खा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले की जैतारण पंचायत समिति के अन्तर्गत गांव देवरिया में भयंकर अग्निकांड हुआ जिसमें करीब बीस हजार की फसल जल गई ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के पास राहत पहुंचाने के कोष में धन राशि नहीं है ?

(4) क्या सरकार इसका इन्तजाम करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री वृजसुन्दर शर्मा) : (1) अग्निकांड के कारण हुए नुकसान से

Page No.25

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
राहत पहुंचाने के लिये राशि जिलाधीश को अलॉट की जाती है, आवश्यकता पड़ने पर राशि पंचायत समिति कोष में जिलाधीश द्वारा स्थानान्तरित करदी जाती है।

(2) जी हां, हानि केवल 10,000 की हुई है।

(3) धनराशि जिलाधीश को अलॉट की जाती है, पंचायत समिति कोष में धनराशि नहीं रखी जाती है। पंचायत समिति अपने लिये खुद व्यवस्था भी कर सकती है।

(4) जिलाधीश के पास कोई आवेदन-पत्र सहायता देने हेतु प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर ही जिलाधीश के यहां से राहत देना सम्भव है।

श्री शंकरलाल : उसके पास कोटा नहीं है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हर एक कलेक्टर को अधिकार है।

श्री शंकरलाल : उसके पास है या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जरूर होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नियम बने हुए हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां।

श्री शंकरलाल : नहीं है तो देंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अवश्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गोपालपुरा बांध, तहसील हिन्डोली

61. **श्री केसरीसिंह** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील हिन्डोली (जिला बूंदी) में ग्राम गोपालपुरा के पास, गोपालपुरा बांध का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है और कब?

(2) यह योजना कितने लाख की है?

(3) इसके ठेके का टेन्डर किसके नाम खुला?

(4) क्या इसका काम विभाग द्वारा ही कराया जावेगा?

(5) क्या मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है?

(6) उद्घाटन के दिन कितने मजदूर काम पर थे और अब कितने काम कर रहे हैं?

(7) काम जारी है या बन्द कर दिया गया है?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) — (1) तहसील हिन्डोली, जिला बूंदी में गोपालपुरा बांध की कोई योजना नहीं है।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

कई माननीय सदस्य : सुनाई ही न दे रहा है बिल्कुल।

श्री मनफूलसिंह (4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(5) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(6) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(7) कोई योजना नहीं है।

कई माननीय सदस्य : कुछ सुनाई ही नहीं दिया साहब।

Page No.26

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : उद्घाटन किया या नहीं ?

श्री केसरीसिंह : महेशनारायणजी ने उद्घाटन किया या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : महेशनारायणजी ने उद्घाटन नहीं किया।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

श्री केसरीसिंह : एक भी पूरक प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। और भी प्रश्न हैं।

(श्री केसरीसिंह के पुनः खड़े होने पर)

(शोरगुल) (व्यवधान) (अश्रव्य)

आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, sir, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सदन में पूछने का मुख्य उद्देश्य सदन में सरकार से जानकारी हासिल करने का होता है। एक घंटे में इतने प्रश्न नहीं हो सकते तो इसकी प्रिन्ट की संख्या को कम किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: मैंने . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले थोड़ा सा निवेदन आप से कर दूं बाद में आप इसकी व्यवस्था दे दीजिये।

लोक सभा में भी अध्यक्ष महोदय, 20 मिनिट में एक प्रश्न ही हो पाता है। जब तक वह नहीं हो जाता है पूरा तब तक दूसरा प्रश्न नहीं लिया जाता है। यहां यह दुर्भाग्य है कि एक प्रश्नकर्ता को एक सप्लीमेंटरी पूछने का मौका नहीं देते तो यह मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिये वरना तो केवल फोर्मेलिटी पूरी करनी है तो फिर इसकी आवश्यकता ही क्या है।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयम् इसको महसूस करता हूं कि इतने प्रश्न रखे जाते हैं। कई प्रश्नों पर बहुत अधिक समय ले लिया जाता है। जितने प्रश्न रखे जाते हैं उस दृष्टि से माननीय सदस्यों को लाभ नहीं मिलता और उनके प्रश्न पूछने को रह जाते हैं। मैं इसके लिये बराबर यह प्रयत्न करता हूं कि माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का पूरा लाभ मिले और प्रश्न कम रखे जायें लेकिन कई प्रश्न अन्त में रह जावेंगे और सत्र की समाप्ति से पूर्व नहीं आ सकेंगे। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न बहुत विचारणीय है। विचारणीय इसलिये कि अधिक महत्व के प्रश्न न हों उन पर प्रश्न कब पूछे जायें तो मैं अकोमोडेट कर सकता हूं फिर भी मैं यह चाहूंगा कि प्रश्न

(12 मध्यान्ह)

कम रखे जायं। अन्ततोगत्वा हानि माननीय सदस्यों की ही होने की सम्भावना है। लेकिन इसका कोई बाया मीडिया निकाल कर मैं माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने का प्रयास करूंगा और इसमें आपका सहयोग चाहूंगा कि जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न न हों तो सवाल कम पूछे जावें तो महत्वपूर्ण पर ज्यादा समय दिया जा सकेगा।

श्री केसरीसिंह : यह गोकुलपुरा बान्ध का प्रश्न था।

श्री हरदेव जोशी : जब प्रश्न ही गलत पूछा जावे तो हमारे लिये उसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है। आपकी ओर से ही यह पूछा गया था। इसे सही कर लेना हमारे लिये सम्भव नहीं था। अब आप दूसरा प्रश्न कर लीजिये। हम उसका उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री खेतसिंह : अब अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न रह गये वे रह गये ?

(शेष प्रश्नोत्तर हेतु प० २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में कृषि योग्य भूमि

48

प्रश्न सं. 28 श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आजकल कितनी काश्त योग्य जमीन बिना काश्त के पड़ी है ?

(2) अन्न संकट पराकाष्ठा पर होने पर भी राज्य में जमीन किन कारणों से अभी तक वरजिन (vergin) पड़ी है तथा क्या आगामी वर्षाकाल के पूर्व ऐसी सारी जमीन भूमिहीनों बांट कर काश्त के योग्य बनादी जायेगी ?

उत्तर

राज्य में काबिले काश्त पड़त भूमि का क्षेत्रफल करीबन 54,73,645 एकड़ है।

जो कृषि योग्य अच्छी भूमि उपलब्ध थी वह तो प्रायः सभी आवंटित की जा चुकी है, जो भूमि अब बची है उसमें से काफी भूमि ऐसी है जो सेटिलमेन्ट में तो काबिलकाश्त दर्ज है परन्तु मौके पर वह मार्जिनल लैन्ड है जो उबड खाबड है, छोटे टुकडों में है अथवा खेतों के दरमियान मेड़ों में आई हुई है।

इस मामले की महत्वता को ध्यान में रखते हुए बची हुई भूमि के आवंटन हेतु राज्य सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और अब तक 4,62,108 भूमिहीन काश्तकारों को 28,20,693-03 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय का सन्देश

श्री अध्यक्ष :यह चेम्बर का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय से धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में जो सन्देश प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है।

राज भवन,
जयपुर।
मई 10, 1967

'प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 9 मई, 1967 का पत्रांक 53 वि. स. 1967 मिला। विधानसभा ने मेरे अभिभाषण के लिये जो कृतज्ञता प्रस्ताव अभिस्वीकृत किया है मैं उसके लिये आभारी हूं।

भवदीय
हुकमसिंह।'

श्री छोटूराम भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मुझे सूचना मिली है कि 1 अप्रेल, 67 को श्री छोटूराम का देहावसान हो गया। वे भूतपूर्व राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। उनका निर्वाचन क्षेत्र नीम का थाना था। श्री छोटूराम अपने क्षेत्र के समाज सेवी कार्यकर्ता थे। मैं अपनी ओर से और

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें श्रद्धान्जली अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनिट मौन खड़े हो जायं।

(सभी दो मिनट मौन खड़े हुये)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री पुखराज कालानी और श्री जेपाराम के कांग्रेस दल में सम्मिलित होने की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि श्री पुखराज कालानी (सोजत), सदस्य विधान सभा, ने मुझको सूचित किया है कि वे स्वतन्त्र पार्टी के निशान से निर्वाचित होकर विरोधी दल के सदस्य थे, अब उन्होंने कांग्रेस विधान सभा दल की सदस्यता, पहली पार्टी से स्तीफा देकर, स्वीकार कर ली है।

मैं माननीय सदस्यों को पुन: सूचित करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य विधान सभा के, श्री जेपाराम (जालोर) ने मुझको सूचित किया है कि उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी से स्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली है। अत: वे कांग्रेस पार्टी के दल की ओर बैठना चाहेंगे।

(हीयर हीयर)

श्री रामकिशन (वैर): और एक आध हों तो और सुना दीजिये साहब।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: और हैं। धीरज रखिये।

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचनायें, लेखे एवं प्रतिवेदन

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं, संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत, नियुक्ति (क) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं जिनके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ग्राफ फन्कशन्स रेग्युलेशन्स, 1951 एवं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (कन्डीशन्स ग्राफ सर्विस) रेग्यूलेशन्स 1951 में संशोधन किये गये हैं:

(क) अधिसूचना संख्या एफ. 8(3) अपाइन्टमेन्टस (4) 156 दि. 30 मई, 1966

(ख) अधिसूचना संख्या एफ. 8(6) अपाइन्टमेन्ट्स। (ख-4) 56 दिनांक 26 जुलाई, 1966।

(ग) अधिसूचना संख्या एफ 3(13) अपाइन्टमेन्ट्स। (ए-4) 61 दिनांक 10 अगस्त, 1966।

(घ) अधिसूचना संख्या एफ. 8(8) नियुक्ति (क-4)। 66 दिनांक 20 अगस्त, 1966।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इतनी देर से कैसे रख रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मन्त्री): कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 36(5) के अन्तर्गत, कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 10 (110) कृषि 5165 दिनांक 28 मई, 1966 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणि नियम, 1963 में संशोधन किये गए।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री): निम्नांकित लेखे एवं प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:

(श्री मथुरादास माथुर)

(क) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, 1965-66

(ख) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, 1965-66

(ग) 1965-66 के लेखे पर अंकेक्षा प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार।

विशेषाधिकार प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष: उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह: जानकारी किस सम्बन्ध में? वह जानकारी तो विधान सभा सचिवालय से ही मिल सकती थी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न इसमें यह है कि प्रिविलेज का जो ब्रीच हुआ उसका सम्बन्ध माननीय अध्यक्ष की दी हुई व्यवस्था से है। माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था में यह कहा कि कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत जो संस्थायें और संस्थान आते हैं अथवा जिनमें राज्य सरकार का इन्ट्रेस्ट हो उन संस्थानों की आडिट रिपोर्ट माननीय सदस्यों को बजट भाषण में सहायता देने हेतु दी जानी चाहिये और इस व्यवस्था को माननीय मन्त्री महोदय ने भी स्वीकार किया उसी क्षण।

इसलिये प्रश्न यह उठता है कि माननीय भैरोंसिंह ने जिसे जैसे प्रस्तुत किया कि यह आडिट रिपोर्ट नहीं दी जाने से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अतएव पैदा होता है उनके कथनानुसार यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दायित्व पूर्ण भी है। सदन के अधिकारों का भी प्रश्न है। विचारधारा का भी प्रश्न है। इसलिये इन सारे प्रश्नों पर पूर्णतया विचार करने हेतु मैं स्वयं इसमें सजग हूं और इसलिये सजग हूं कि यह विधान सभा सजग प्रहरी है कार्यकारी के लिये। ऐसी स्थिति में जानकारी का लिया जाना उचित है कि किन परिस्थितियों में यह आडिट रिपोर्ट नहीं दी गई और वे परिस्थितियां इस प्रश्न पर क्या प्रभाव डालती हैं।

कल ही माननीय सदस्य का यह विशेषाधिकार का प्रश्न पेश हुआ और मैंने स्वयं ने यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है आज मुझे यह संकेत मिला है कि इसकी जानकारी मुझको दी जा रही है इसलिये मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न पर, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं अपनी कोई व्यवस्था, इसके पूर्व जबतक कि मैं जानकारी न प्राप्त कर सकूं देने की स्थिति में नहीं हूं। ...

मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न को अभी जानकारी आये जब तक के लिये छोड दिया जाना चाहिये।

श्री पी. के चौधरी (फुलेरा): According to rules a notice for question of privilege is to be given on the day it is proposed to be raised.

श्री अध्यक्ष: Pardon.

श्री पी. के चौधरी: The notice of privilege is to be given on the same day the question is to be raised.

Page No.30

(श्री पी. के. चौधरी)

यह कल दिया गया इसलिये आज विचार ही नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: This rule can be relaxed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: This is not the question.

वह तो इसके लिये है कि पहले दिया जाना चाहिये बीच में नहीं दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: Well, I have ruled it out.

श्री भैरोंसिंह: दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से बीच में ही रखना चाहता हूं। अभी जब हम विधान सभा में आये तो एक कृषि विभाग की ओर से प्रगति विवरण मिला। इसको मैंने देखा तो उसमें 1966-67 के उत्पादन के आंकडे दिये हैं वह गलत है और गलत इसलिये है कि पिछले सत्र में अकाल सहायता विभाग के द्वारा एक पुस्तिका वितरित की गई और पिछले वर्ष 1966 में खाद्य समस्या के सम्बन्ध में जब बहस हुई थी उस समय के अनुमानों में और इस रिपोर्ट में जो खाद्य का प्रोडक्शन हुआ इसके फिगर्स में बहुत फर्क है। या तो यह बता दिया जाये कि मन्त्री महोदय ने जो रिपोर्ट अकाल सहायता विभाग की पेश की है वह गलत है, इसमें आंकडे 33.7 लाख दिये हैं और कृषि विभाग की पुस्तिका में 37.87 लाख दिये हैं। इन दोनों के आंकडे में इतना अन्तर क्यों है? इससे ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय शायद गलत नहीं कह रहे हैं और इन्होंने कहा व छपी हुई किताब है और यह एक साइक्लोस्टाइल्ड है और इसका कारण यह भी है कि पिछली बार जब बहस हुई और अभी खाद्य समस्या के सम्बन्ध में जो टिप्पणी वितरित की गई है उसमें भी स्वीकार किया गया है कि इस वर्ष का उत्पादन गत वर्ष के मुकाबले में कम होने वाला है, ज्यादा तो होने वाला नहीं है और कृषि विभाग ने उत्पादन ज्यादा बताया है, यह गलत है और इस प्रकार का गलत विवरण सदन में प्रस्तुत करना सदन की मानहानि है और इसलिये इस प्रश्न को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं इस प्रश्न को खाद्य समस्या के ऊपर बहस हो जाने के बाद और स्पष्टीकरण आजाने के बाद आपके सुझावों के आधार पर लूंगा।

श्री रामकिशन: इससे बहस पर भी असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर प्लीज। इसका स्पष्टीकरण हो सकेगा। इस बहस के दौरान में इसको आ जाने दीजिये, इसके बारे में क्या स्थिति आती है वह भी देख लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: But you have taken notice of this notice.

श्री अध्यक्ष: Notice to the extent that there is some confusion which needs clarification. What sort of confusion it is, I have yet to see.

यस, खाद्य स्थिति पर विचार.

(12. 15. म. प.)

राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित मूल प्रस्ताव (Substantive motions) प्रस्तुत हुए:–

(1) श्री भैरोंसिंह : इस सदन की सम्मति है कि राज्य सरकार खाद्य की समस्या का समाधान करने में पूर्णतया असफल हुई है।

(2) श्री पी. के. चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार के पश्चात् यह सदन राज्य सरकार की खाद्य नीति का अनुमोदन करता है)

अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के शुरूआत में खाद्य विभाग की ओर से खाद्य के ऊपर एक टिप्पणी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये वितरित की गई थी। राजस्थान की जो आज खाद्य स्थिति है उसका मैंने एक चित्रण खींचा है। यह बात सही है अध्यक्ष महोदय कि पिछले इस साल में देश भर में और राजस्थान भर में खाद्यान्नों के भावों में ज्यादा बढोतरी हुई है और उस बढोतरी की वजह से उसका असर कन्ज्यूमर्स और कन्ज्यूमर्स के स्टेन्डर्ड आफ लिविंग के ऊपर पड़ा है। लेकिन पिछले वर्ष में या उससे एक दो साल में राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में अकाल की स्थिति रही है और अकाल की स्थिति की वजह भारतवर्ष में और राज्य भर में भी जो खाद्यान्न का उत्पादन होना चाहिये था उसमें बहुत कमी रही। राजस्थान का बहुत सा ऐसा इलाका है कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं खाद्यान्न के उत्पादन के पाइन्ट आफ व्यूसे। राजस्थान में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो खाद्यान्न के पाइन्ट आफ व्यू से डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और देशभर में भी आज खाद्यान्न का प्रोडक्शन यूनीफार्म नहीं है। कुछ स्टेट्स खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में डेफिसिट स्टेट्स हैं और कुछ स्टेट्स खाद्यान्न के मामले में सरप्लस स्टेट्स हैं। तो कुल मिलाकर यह देखना पडेगा कि जो आज खाद्यान्न की स्थिति देश भर में और राजस्थान भर में है इस स्थिति को किस तरह से और इस डिफिकल्ट सिचुएशन को किस तरह से मीट किया जाये हमारे सामने यह जटिल समस्या है इस जटिल समस्या के ऊपर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। जब हम इसको सोचते हैं तो हमें यह देखना पडेगा कि आज खाद्य की जो नीति है, चाहे वह भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो हमें एक लांग टर्म पालिसी अख्तियार करनी पडेगी। आज अध्यक्ष महोदय, अकाल के लंबे अर्से से और पिछले कई सालों से बराबर खाद्यानों का इम्पोर्ट देश में हम करते आये हैं और खास तौर से पिछले दो तीन साल के अन्दर खाद्यानों का इम्पोर्ट देश के अन्दर जो पहले हो रहा था उससे ज्यादा हुआ है। उसका मुख्य कारण आज सिर्फ अकाल की स्थिति ही नहीं है बल्कि देश में खाद्यान्नों के अनुपात से आबादी की बढोतरी भी बहुत ज्यादा होती चली जा रही है और उस पर काबू पाने के लिये जब तक हम इस पालिसी के, या कहना चाहिये कि खाद्य नीति के, जो ब्राड आस्पेक्ट्स हैं जो इसके आब्जेक्टिव्स हैं उनको फर्मली इम्पलीमेंट नहीं करते तब तक हम इस स्थिति पर काबू नहीं पा सकेंगे। आज देश की खाद्य नीति और राजस्थान की खाद्य नीति नेशनल फूड पालिसी के एट-पार है और भारत सरकार ने अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स और फूड मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें भी इसको हाईलाइट किया गया कि अगर हम खाद्य की जटिल

(श्री परसराम मदेरणा)

समस्या पर काबू पाना चाहते हैं तो एक लांग टर्म पालिसी अखितयार करनी पड़ेगी और वह लोंग टर्म पालिसी सिर्फ खाद्यान्नों के मामले में हम सेल्फ सफिशियेन्ट ही नहीं हों बल्कि डिस्ट्रिब्यूशन और प्राईसेज के मामले में भी हमें पूरा ध्यान करके चलना पड़ेगा।

जहां तक खाद्य के मामले में सेल्फ सफिशियेन्ट होने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आज बरसात की कमी की वजह से या अनावृष्टि की वजह से जो फेक्टर्स सामने आते हैं वह खाद्यान्नों के मामले में हमारे सामने आते हैं वह हमको काफी झकझोर देते हैं और उसमें काफी रद्दोबदल करना पड़ता है। जहां तक डिस्ट्रिब्यूशन का और रीजनेबल प्राईसेज का ताल्लुक है और कन्ज्यूमर्स को फूड उपलब्ध कराने का प्रश्न है इस मामले में पहले यह देखेंगे कि देशभर में आज जो इम्पोर्टेड व्हीट आ रहा है वह भारत सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को भी 38 हजार टन के आसपास मिल रहा है। लेकिन राजस्थान की स्थिति का जहां तक प्रश्न है इस साल 9000 से ऊपर गावों में सूखा है जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग इस स्केयरसिटी से इफेक्टेड हैं और इसके साथ ही साथ जो अरबन एरिया है उसके आसपास के इलाके में भी खाद्यान्न की कमी है। इसको हम देखते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि 38 हजार टन जो धान मिल रहा है या जो कुछ थोड़ा बहुत हमने इन्टरनल प्रोक्योरमेन्ट किया है इसको मिलाकर भी हम कन्ज्यूमर्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विकल्प एक ही रह जाता है कि अगर हम खाद्यान्न की कीमतों की बढ़ोतरी में रोक लगाना चाहते हैं या खाद्यान्न के मामले में डिस्ट्रिब्यूशन से कन्ज्यूमर्स तक जो नीडी कन्ज्यूमर्स हैं, जो लो क्लास हैं, मजदूर हैं या किसान वर्ग स्केयरसिटी एरिया में हैं उनके लिये प्रबन्ध हम तभी कर सकते हैं जब कि हमारे पास धान का स्टाक हो अभी तक जो हम अनाज वितरित कर रहे हैं उसके लिए ज्यादातर भारत सरकार पर डिपेंडेंट हैं और भारत सरकार भी आज फोरिन कण्ट्रीज पर डिपेंडेंट है। इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया गया कि हमें बफर स्टॉक क्रियेट करना चाहिए और वह इसलिए क्रियेट करना चाहिए कि इण्टर-सीजनल जो प्राईसेज में बढोतरी होती रहती है उसको स्टेबलाईज किया जा सके। और वह हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में स्टॉक हो और इन स्टाक्स के जरिए हम मार्केट में जाकर खाद्यान्नों के जो भाव बढ़ते हैं उनको हम कोम्पीट कर सकें और मार्केट के ट्रेंड को शॉक दे सकें। भारत सरकार ने बफर स्टाक बनाने के लिए राज्य सरकारों से निवेदन किया है और कहा है कि खाद्यान्नों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे राष्ट्रीय समस्या समझ कर, किसी पार्टी या किसी पार्टी की सरकार या किसी दल की समस्या नहीं मान कर एक राष्ट्रीय समस्या के आधार पर इसको हल किया जाय और इसी एटीट्यूड से इसको हल किया जाय। भारत सरकार ने हमको, स्टेट्स को कहा है, सभी स्टेट्स को कहा है कि उनको अपने यहां पर बफर स्टॉक बनाना चाहिए और जहां पर भी स्केयरसिटि कण्डीशन्स हैं खाद्यान्न की, उसको हल करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जहां पर इस प्रकार के हालात पैदा हो जायं कि डेफिशिट एरियाज में खाद्यान्न के अन्दर भाव बढ़ रहे हों तो हम अपने बफर

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टॉक से वहां की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करके प्राईसेज को स्टेबलाईज कर सकते हैं। इसी आधार पर भारत सरकार ने कहा है और राज्य सरकारों ने भी इस साल से यह कोशिश की है कि हम अनाज का प्रोक्योरमेंट करें। वैसे तो हम अनाज का प्रोक्योरमेंट पहले भी करते थे और ओपन मार्केट से एफ0 सी0 आई0 पहले भी प्रोक्योरमेंट करता था और 50-30 के रेश्यो से कोर्स ग्रेन और दूसरे प्रकार के खाद्यान्न बाजार से खरीद कर स्टॉक बनाता था लेकिन उससे हम यह समझते थे कि जो हम अनाज का प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, ओपन मार्केट से अनाज जो एफ0 सी0 आई0 परचेज कर रहा था वह मार्केट प्राईस के आधार पर कर रहा था और मार्केट प्राईस के आधार पर लिए हुए खाद्यान्न का अगर हम वितरण करते हैं तो जो दूसरे आइटम्स हैं, ओवर हैड चार्जेज हैं और जो इंसीडेंटल चार्जेज हैं वे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उन सबको मिला कर हम जब वह अनाज कंज्यूमर को देते हैं तो कंज्यूमर को काफी मंहगा पड़ता है और इस तरह से जो कंज्यूमर को हम रिलीफ देना चाहते हैं वह नहीं दे सकते हैं। अगर कंज्यूमर को रिलीफ देने के लिए हम सब्सेडाईज करने लगें तो इसके अन्दर राज्य सरकार के कोष से करोड़ों रुपया हमें खर्च करना पड़ेगा और करोडों रुपयों का प्रोविजन करना पड़ेगा तभी हम मार्केट प्राईसेज पर खरीद कर कंज्यूमर को सस्ता बेच सकते हैं। तो प्रोक्योरमेंट करने के लिए जितने मेथड हैं, तीन चार तरह के जो मैथड हैं उन पर हमने विचार किया है। ये तीन चार मैथड हैं–मोनोपाली, प्रक्योरमेंट, ओपन मार्केट से परचेज करना, कुछ परसेंट की मोनोपाली प्रोक्योरमेंट और चौथा मैथड है प्रोड्यूसर पर लेवी लगाना। हमने इन सब मैथड्स पर विचार किया है और अगर हम कंज्यूमर को सस्ती कीमत पर धान देना चाहते हैं तो हमारे सामने एक ही रास्ता था कि हम प्रोड्यूसर पर लेवी लगावें। और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि रबी की जो क्रोप हो उस पर और खास कर वीट की उपज पर हम लेवी लगायेंगे। जो लेवी हमने लगाई है वह बहुत थोड़ी लेवी लगाई है। और जो इर्रिगेटेड लैंड है, जो सिंचित भूमि है उसके अन्दर ही लेवी लगाई है। इस प्रकार की लेवी हम ही नहीं लगा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी लगाई है। उत्तर प्रदेश का तो बहुत बड़ा इलाका सूखाग्रस्त है लेकिन वहां पर भी लेवी लगाई गई है। इसी प्रकार हमने भी राजस्थान में यह तय किया कि हम रबी की क्रोप पर और खास तौर से वीट की क्रोप की प्रोड्यूज पर लेवी लगायेंगे। वीट की क्रोप पर लेवी लगाने में, अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमको कुछ देरी हुई है। लेकिन देरी होने के बाद भी लेवी लगाने में हमारे ध्यान में यह बात रही है कि काश्तकार आज अपनी उपज का हिस्सा पूरा का पूरा मार्केट में नहीं लाता है और उसके पास काफी अनाज बचा रहता है। इसके अलावा जो हमने लेवी लगाई है वह भी बहुत थोड़ी ही है। खास तौर से दो एकड़ की भूमि को और जो असिंचित भूमि है उसको हमने इस लेवी से एग्जेम्प्ट किया है। इसके अलावा पांच, छः, सात एकड़ पर जो लेवी लगायेंगे वह भी मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों से और खास तौर से मध्यप्रदेश में छोटे काश्तकारों पर जो लेवी लगाई गई

Page No.34

(श्री परसराम मदेरणा)

है उससे राजस्थान में लेवी कम है। तो हम ऐसा समझते हैं कि इस लेवी से हम एक नोमीनल तौर पर ही लेवी लेंगे और इस लेवी के लिए जो भारत सरकार की तरफ से इंसिस्ट किया जा रहा था कि देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आज प्रोक्योरमेंट नहीं करता हो, इण्टरनल प्रोक्योरमेंट नहीं करता हो, वह भी पूरा हो सकेगा। जो आज अनाज की स्थिति है, सिचुएशन की ग्रेविटि को देखते हुए और इस डिफिकल्ट सिचुएशन पर काबू पाने के लिए और खाद्यान्न की स्थिति को हल करने के लिए हमने यह निर्णय लिया कि हम प्रोड्यूसर से लेवी लेंगे।

मैंने कुछ रोज पहले एक प्रेस वक्तव्य के जरिए जितनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स हैं, डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्लाईज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और किसान हैं इन सबसे यह अपील की थी कि राज्य सरकार ने आज खाद्यान्नों की जटिल समस्या के समाधान हेतु यह लेवी लगाई है और जिन हालातों में यह लेवी लगाई है, उन्हें महसूस करेंगे और लेवी की वसूली में राज्य सरकार को सहयोग देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं और उसके साथ अपील भी करना चाहता हूं कि हमने आज जो रबी की क्रोप पर और खास तौर से वीट की क्रोप पर जो लेवी लगाई है और लेवी के अन्दर जो प्राईसेज निर्धारित की हैं वह दूसरे राज्यों के मुकाबले में, मध्य प्रदेश को ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, वहां पर इस समय जो खाद्यान्नों के भाव हैं उनके मुकाबले जो उन्होंने लेवी के भाव रखे हैं, वे हालांकि हमसे ज्यादा हैं लेकिन जो वहां की मार्केट प्राइसेज हैं उनको देखते हुए और हमारे यहां पर जो मार्केट प्राईसेज हैं उनके मुकाबले में हमने यह कोशिश की है कि किसानों को भी रीजनेबल प्राईसेज मिल सकें, उनका इंसेंटिव मारा नहीं जाय और साथ साथ कंज्यूमर को भी हम रीजनेबल रेट पर खाद्यान्न दे सकें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो लेवी प्राईसेज रखी हैं वह काफी रीजनेबल हैं और मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य और यह सदन उस पर अपनी मोहर लगायेगा और खाद्यान्न के मामले में और खास तौर से इस लेवी की वसूली के मामले में जो यहां पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर माननीय सदस्य आए हैं वे अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार का वातारण बनायेंगे कि जो हमने 20 हजार टन का टार्जेट रखा है उसे प्राप्त कर सकें। इस प्रकार का बफर स्टॉक बना सकें ताकि सरकार के सामने भी, जो हम भारत सरकार से 38,000 टन के आसपास अनाज लेते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकें कि राजस्थान सरकार भी इण्टरनल प्रोक्योरमेंट के मामले में सीरियस है और वह महसूस करती है कि हमारे पास बफर स्टॉक होना चाहिए। वह...

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिए इस लेवी के जरिए आप कितना अनाज प्रोक्योर करना चाहेंगे।

कांग्रेस पक्ष के कई मा. सदस्य : बता तो दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : हमारा ऐसा अनुमान था कि जो सिंचित भूमि है उस पूरी सिंचित भूमि को अगर हम इस प्रोक्योरमेंट

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डर के जरिए लेवी के अण्डर लेंगे तो हम 30 हजार टन के आस पास ले सकेंगे। लेकिन हमारे यहां पर काफी पेटा काश्त होती है और चूंकि इस साल बरसात की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ है और इसलिए हमने जो सीवण है उस पर लेवी नहीं लेकर जो सिंचित भूमि है, जो कुओं से नहरों से सिंचाई करते हैं उन पर ही लेवी लगाई है और इस आधार पर अनुमानतः बीस हजार टन के आस पास प्रौक्योरमेंट कर पायेंगे और ऐसा अनुमान करके हम चलते हैं कि जो टार्जेट हमने बीस हजार के प्रौक्योरमेंट का फिक्स किया है वह टार्जेट हम पूरा कर सकेंगे। लेकिन इसके अन्दर भी एक चीज है कि जहां पर भी हमारे पास रबी की गिरदावरी की रिपोर्ट नहीं आई है और यह मालूम नहीं हो सका है कि रबी के अन्दर कितना डेमेज हुआ है और जहां पर ज्यादा डेमेज हुआ है उसको भी हमें छोडना पडेगा और इस तरह से कुल मिला कर हम पन्द्रह से बीस हजार टन के बीच में लेवी प्रोक्योर कर सकेंगे, ऐसा राज्य सरकार का अनुमान है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या आप इस लेवी वसूली में लेट नहीं हैं ? क्योंकि मैं समझता हूं कि काश्तकार अपना अनाज बेच चुका है और अब आप लेवी लेंगे तो आप बहुत लेट हो गए हैं, इससे बडी दिक्कत आएगी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि लेवी की वसूली जो हम करने जा रहे हैं काश्तकार से, काश्तकार इसको पसन्द नहीं करता । हमारे सामने इसके बारे में जितने भी सोफ्ट आप्शन्स थे उनको ध्यान में रखते हुए हम कभी पसन्द नहीं करते कि काश्तकारों पर लेवी लगायी जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय हमें खाद्यान्न की जिस प्रकार की स्थिति हमारे राज्य में व सारे भारत में है उस सारी परिस्थिति का हम सिंहावलोकन करें तो आपको यह मालूम होगा कि हमने जो निर्णय लिया है, वह बड़ा पेनफुल निर्णय है। लेकिन इसके सिवाय दूसरा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, हम यह मानते हैं कि हम लेवी के बारे में लेट हो गये हैं। हमने यह भी जानकारी करवाई है कि क्या काश्तकार अपना धान बेच चुका है ? मुझे जिस प्रकार की सूचना मिली है, गेहूं उत्पादक जितने भी जिले हैं उनमें अभी तक काश्तकार ने अपना माल नहीं बेचा है. जैसे गंगानगर है, कोटा है ये जो गेहूं उत्पादक एरियाज हैं वहां के काश्तकारों ने अभी तक अपना अनाज बेचा नहीं है। हमारे अधिकारियों का ख्याल है कि जो लेवी हम काश्तकारों से वसूल करना चाहते हैं वह इकट्ठी हो जायगी। दूसरी तरफ काश्तकार भी आज यह समझता है कि सीजन के अन्दर माल जो बेचते हैं उसमें भाव नीचे रहते हैं इसलिये यदि सीजन के समय के दो तीन महीने बाद यदि अनाज बेचा जाय तो उसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। इस तरह से जिन्होंने अपना माल नहीं बेचा है उनसे लेवी वसूल कर सकते हैं। जिन काश्तकारों द्वारा अनाज बाहर निकाल दिया गया है. वहां के पटवारियों और तहसीलदारों के जरिये यह सूचना उनके पास पहुंचा दी गई है कि वे अपना अनाज बाजार में न बेचें, सुरक्षित रक्खें, राज्य सरकार को लेवी देनी पड़ेगी।

Page No.36

(श्री परसराम मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि हम इस लेवी के जरिए लोंग टर्म के लिए बफर स्टॉक बना पायेंगे यह बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपने लेवी लगाने में इतना विलम्ब क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी आप मुद्दे उठायेंगे उन सब का जवाब मैं अपने रिप्लाई के वक्त देने का प्रयास करूंगा। मैंने यह प्रस्ताव रखा है इस बारे में जो भी माननीय सदस्य चाहते हैं, या जो कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं उन सुझावों पर राज्य सरकार अमल करने की कोशिश करेगी और जो मुद्दे जवाब देने लायक होंगे उनका उत्तर भी मैं सदन में दूंगा।

मैं इस समय केवल संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं अतः माननीय सदस्य उन्हें सुनने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आज कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में आज किसी भी तरह का बेलेन्स स्थिर हो और प्रोड्यूसर है उसकी भी थोड़ी बहुत बचत हो और रिजनेबल प्राइसेज पर कन्ज्यूमर को दे दें।

दूसरी बात यह भी हो सकती थी कि हम मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट करते जैसे मध्य-प्रदेश और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में लेवी की वसूली की गई है। अगर हम यह दूसरा रास्ता अपनाते तो मैं समझता हूं किसानों को जो कुछ भी इनसेन्टिव मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता। हमने इसी लिए यह लेवी लगाई है ताकि किसान लेवी देने के बाद और अपने कंजम्प्शन के लिए जितना अनाज चाहिए वह रख लेने के बाद जो खाद्यान्न बचता है वह मार्केट प्राइस पर बेच सकता है। मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट में कन्जम्प्शन के अलावा जितना भी अनाज होता है वह या तो राज्य सरकार को दे या राज्य सरकार द्वारा मुकर्रर की हुई एजेन्सी को देना पड़ता है। इस तरह से हमने जो प्रोड्यूसर पर लेवी लगायी है वह रिजनेबल लेवी लगायी है। इस लेवी को एकड़ वाइज देखा जाय तो जिनके पास बीस एकड़ है या इससे ऊपर जमीन है उन पर केवल चार या साढ़े चार क्विन्टल अनाज आता है। और इससे जो नीचे वाले हैं उन पर तो बहुत थोड़ी लेवी आती है। गंगानगर में एक एक बीघे में दस मन के आसपास अनाज होता है और एक एक एकड में बीस पच्चीस मन एवरेज बैठता है। हालांकि मैं मेग्जीमम व्हीट प्रोडक्शन को नहीं ले रहा हूँ। इस तरह से भी मिनीमम अनाज भी यदि किसान के पास बचा रहता है और वह मार्केट रेट पर बेचता है तो उससे उसका इनसेन्टिव नहीं मारा जायगा।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इस अनाज के मामले में अनाज वितरण की जो एजेन्सी है वह भी सामने आती है, इम्पोर्टेड व्हीट जो हमें भारत सरकार से मिलता है उसके लाने ले जाने के लिये जो ट्रान्सपोर्टेशन के साधन हैं उनके कारण भारत सरकार द्वारा जितना कोटा हमारे लिए निर्धारित कर रखा है उतना अनाज यातायात की ठीक प्रकार

(श्री परसराम मदेरणा)

की व्यवस्था न होने से बराबर हमारे यहां पहुंच नहीं पाता। इसलिए हमारे पास बफर स्टाक रहता है उससे हम उस कमी की पूर्ति करते हैं।

राजस्थान के अन्दर अध्यक्ष महोदय, आज कई प्रकार के फूड ग्रेन के प्रोक्योरमेन्ट से लेकर उसके होर्डिंग, स्मगलिंग आदि की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कानून बनाये हुए हैं। स्मगलिंग को रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने कई कानून लागू कर रखे हैं। बहुत से माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं। इस सदन द्वारा भी इस सम्बन्ध में कानून बनाये गये हैं। कोई भी राज्य सरकार कानून बनाती है, उसमें अमेन्डमेन्ट करना होता है वह करती है उसके लिए कहा जाता है कि वेस्टेड इन्टरेस्ट की वजह से परिवर्तन करती है। अध्यक्ष महोदय, कोशिश तो यह की जाती है कि ग्रेन मूवमेन्ट के बारे में जो भी आर्डर निकलता है वह एक जिले से दूसरे जिले में जाने की रोक लगाने के लिए होता है। उसके बाद जब कई प्रकार के फेक्टर्स सामने आते हैं, उसके बाद होर्डिंग की टेन्डेन्सी उसके कारण भी मंडी में अनाज की कम आवक हो जाती है। इस तरह से स्केअरसिटी एरिया में खाद्यान्न के भाव बढ़ जाते है इस कारण भी हमें अमेन्डमेन्ट करना पड़ता है।

माननीय सदस्यों को यह विदित है कि हमारा राज्य सिंगल जोन स्टेट है और इसी के फलस्वरूप कुछ एरियाज हमारे यहां ऐसे हैं जहां डेफीसिट है और कुछ एरियाज सरप्लस एरियाज है। हम चाहते हैं कि सब जगह अनाज का आवागमन ठीक प्रकार से हो। इसके साथ साथ हमारे पड़ोस में कमी वाले राज्य भी हैं। हमारा अनाज स्मगल न हो इसे रोकने के लिए भी रेगुलेटरी आर्डर्स एनफोर्स किये हैं। इसके साथ साथ लोगों को भी कई प्रकार की असुविधायें हैं, लोगों को हरेशमेन्ट होता है, इन सब चीजों को रोकने के लिए हमने खाद्यान्नों के भाव निर्धारित करने के लिए उसके स्मगल को रोकने के लिए जो कानून होने चाहिये वह हमने बनाये हैं। कुछ कानून इसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के नीचे, कुछ कानून भारत सरकार द्वारा बनाये गए हैं जो हर राज्य में लागू किए है। उन सब कानूनों को आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे जो कुछ कानून भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने बनाये हैं वे मिनीमम पोसीबल कानून हैं जिनको बनाया गया है स्मगलिंग आदि को रोकने के लिए इतने प्रकार के कानून हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी इकोनामी का यह क्रानिक फीचर है कि फूड-शार्टेज बराबर बनी रहती है। फूड शार्टेज के साथ ही साथ डिमाण्ड और सप्लाई के फैक्टर्स तो वर्क करते ही है, लेकिन डिमाण्ड और सप्लाई के अलावा और दूसरे फैक्टर्स जहां वर्क करते हैं वहां पर कानून के जरिये उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। मैं फूड शार्टेज के बारे में आज आश्वासन देने के लिए माननीय सदस्यों के समक्ष खड़ा नहीं हुआ हूं। मुझे ऐसा दिखता है कि फूड-शार्टेज देश में एक लम्बे अर्से तक रहेगी, और हम फूड-शार्टेज को अगर हमेशा के लिए कम करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशियेन्सी हो। उसका

(श्री परसराम मदेरणा)

एक पहलू है कि जो कुछ भी हम प्रोक्योर करते हैं उस प्रोक्योरमेंट के जरिये जहां बफर स्टॉक बनाकर हम इस पोजीशन में हों कि किसी भी वक्त मार्केट में उतार कर उन प्राइसेज को नीचे ला सकते हैं। दूसरा आस्पेक्ट इसका है डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में। आज राजस्थान में हमारे पास जो कुछ भी प्रोक्योर्ड अनाज है उसे हम चीप ग्रेन शाप्स के जरिये, फेयर प्राइस शाप्स के जरिये, राशनिंग के द्वारा वितरित करते हैं तो जहां तक डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इसमें पार्ट प्ले करती है, हम यह देखेंगे कि वह डिसिप्लिन और इन्टेग्रिटी के साथ में हमारी जो एन्फोर्समेंट और वितरण की मशीनरी है वह काम करेगी।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस समस्या को अब राष्ट्रीय समस्या समझ कर जो भी सुझाव आपके आयेंगे उनके अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है इस फूड-पालिसी के सम्बन्ध में, प्रोक्योरमेंट के सम्बन्ध में, ग्रेन के प्रोक्योरमेंट के सम्बन्ध में, प्राइसेज के सम्बन्ध में और प्राइसेज भी इस तरह की कंज्यूमर के लिए रीजनेबल प्राइस और स्टेबल प्राइस को रख कर रीजनेबल लेवल के ऊपर धान उपलब्ध करा सकें, और दूसरी ओर हम प्रोड्यूसर को भी रीजनेबल प्राइस देकर उसके इन्सेन्टिव को प्रोडक्शन के लिए बनाये रखें। ये फूड-पालिसी के कुछ आब्जेक्टिव्ज हैं। जो सुझाव माननीय सदस्य देंगे और वे सुझाव हमारी पालिसी के पार्ट बन सकते हैं और इसमें परिवर्तन और हेर-फेर के जरिये डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम या प्रोक्योरमेंट सिस्टम को और अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो उन सुझावों को सहर्ष स्वीकार करूंगा। माननीय सदस्य इस समस्या को आज किसी पार्टी या पार्टी की सरकार की समस्या नहीं समझ कर इसको एक राष्ट्रीय समस्या समझेंगे, और उसी तरह से अपने सुझाव इस सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामचन्द्र (नोहर): अध्यक्ष महोदय, जो लेवी लागू की गई है वह अव्यावहारिक है, क्योंकि इसके अन्दर काश्तकारों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है..........

श्री अध्यक्ष: आर्डर! आर्डर! आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र: मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलना चाहते हैं उसी के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे कुछ व्यवस्था देनी है इसके पूर्व कि आप भाषण करें।

इसके बाद माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह अपना सब्स्टेन्टिव मोशन मूव करेंगे और उसके बाद श्री पी. के. चौधरी अपना सब्स्टेन्टिव मोशन मूव करेंगे और उसके बाद भाषण आरम्भ करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ सूचना चाहिये थी। आपने सिंचित क्षेत्र बतलाया है तो इसमें दहरी क्षेत्र भी शामिल है या नहीं ?

एक माननीय सदस्य: नहरी तो है ही।

श्री रामकिशन: दहरी, नहरी नहीं।

श्री पी. एन. जोशी : अश्रव्य ।

श्री परसराम मदेरणा: तालाबों के अन्दर जो पेटे की जमीन है और उस पेटे की जमीन पर काश्त करते हैं उसको पानी नहीं मिलता है। वह तो सुवाइल को म्वाइश्चर पर ही काश्त करते हैं इसलिये उसको रिगेटेड से बाहर रखा गया है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर): राजस्थान में सब सिंचित भूमि नहीं ली गई है केवल छ जिलों की है ?

श्री परसराम मदेरणा: 10 जिलों की ली है ।

श्री दौलतराम सारण: और जिलों में जो सिंचित भूमि है उसको आपने शामिल नहीं किया है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकडे जानना चाहता हूं । राजस्थान में खरीफ की फसल आने के पहले पहले कितने नाज की जरूरत होगी राजस्थान को भारत सरकार से कितना नाज मिलेगा। और आप लेवी से 15 हजार टन या 20 हजार टन उपलब्ध कर सकते है उसके बाद में आपको और कितने नाज की जरूरत होगी ? ये आंकड़े कृपा करके आप बताने का कष्ट करें। खरीफ की फसल आने के पहले पहले कितने नाज की जरूरत होगी, भारत सरकार हमको कितना नाज देगी और हमारे पास कितना नाज उपलब्ध है और कितना बाजार से खरीद सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर ! माननीय श्री भैरोंसिह !

श्री भैरोंसिह : मेरा समय ले लिया । कागज पढ़ते तो सब लिखा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, "इस सदन की सम्मति है कि राज्य सरकार खाद्य की समस्या का समाधान करने में पूर्णतया असफल हुई है ।"

श्री अध्यक्ष: श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य-स्थिति पर विचार के पश्चात् यह सदन राज्य सरकार की खाद्य-नीति का अनुमोदन करता है ।"

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता, विरोधी दल?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर अन्न की अभूतपूर्व संकटापन्न स्थिति है और उस संकटापन्न स्थिति से राजस्थान भी वंचित नहीं है । अन्न की संकटापन्न स्थिति जिस हद तक अभूतपूर्व है उस हद तक मैं समझता हूं कि मंहगाई की स्थिति भी देश के अन्दर सर्व व्याप्त और अभूतपूर्व है । इस सदन में बराबर मन्त्रियों ने कहा है कि मंहगाई और जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं के ऊपर काबू पाना परमावश्यक है, किन्तु यह खेद का विषय है कि अन्न-संकट दिन पर दिन बढता जा रहा है और वैसे ही मंहगवारी भी दिन-ब-दिन बढती जा रही है । मेरे ख्याल में जैसा कि मंत्रिजी ने कहा है कि यह एक राष्ट्र का प्रश्न है, उधर की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों या इधर की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों का यह प्रश्न नहीं है यह सब के लिये एक चुनौती है । मैं तो एक कदम आगे बढकर यह कहने को भी तैयार हूं कि अगर इस खाद्य-संकट, अगर इस मंहगवारी पर हम काबू नहीं पा सकते तो मेरे ख्याल में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

देश के अन्दर यह जनतान्त्रिक व्यवस्था भी शायद कायम रहे या न रहे, यह भी एक अभूतपूर्व प्रश्न भविष्य के लिये उत्पन्न हो सकता है।

इस विषम खाद्य-स्थिति के ऊपर प्रकाश डालने के लिये ट्रेजरी बेन्चज की तरफ से, सरकार द्वारा एक टिप्पणी प्रसारित की गई है, और उसके साथ-साथ एक संक्षिप्त विवरण के रूप में आंकडे देकर स्थिति के उपर प्रकाश डाला गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें इस टिप्पणी के द्वारा अस्पष्ट रह जाती हैं और मुझे यह कहने में आशंका नहीं रहती कि सरकार के द्वारा जो आंकड़े, जो फिगर्स वितरित किये गये हैं वे भी विश्वसनीय नहीं हैं। अगर इन आंकड़ों को आधार बनाकर हम चलते हैं और कोई न कोई मुद्दा तो लेकर आगे चलना ही पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में वर्तमान स्थिति के साथ साथ पिछले सालों की स्थिति का सिंहावलोकन भी करना आवश्यक है। जब तक कि कोई कम्पेरेटिव पिक्चर, कोई तुलनात्मक स्थिति हमारे सामने नहीं आती तब तक हम निश्चित रूप से अनुमान नहीं कर सकते कि वास्तविक स्थिति कैसी है? क्यों कर है? और उसके अन्दर कमी किस रूप से, किस तरीके से लाई जा सकती है?

अब के साल यह बताया गया है कि राजस्थान के 26 जिलों के अन्दर 23 जिलों में दुष्काल है। यह तो आपके शिड्यूल के द्वारा बताया गया है और टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि 24 जिलों के अन्दर दुष्काल है। इस दुष्काल के फलस्वरूप 9,750 गांव प्रभावित हुए हैं और उन 9,750 गांवों के क्षेत्र के अन्दर कोई 45 लाख जनता प्रभावित हुई है दुष्काल से। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1951-52 में भी इसी प्रकार 26 जिलों में से 24 जिले दुष्काल के कारण प्रभावित हुए थे और आपके आंकड़े के अनुसार 27,300 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये थे। इन 27,300 गांवों में 23 लाख लोग अकालग्रस्त थे। अगर गत वर्ष के आंकड़े देखे जायं और सन् 1951-52 के आंकड़े देखे जायं तो मुझे आशंका है कि एक तरफ तो सन् 1951-52 में आप 27,300 गांवों के अन्दर 23 लाख जनता के प्रभावित होने का उल्लेख करते हैं तो इस साल 9,750 गांवों में 46 लाख लोग प्रभावित होने का उल्लेख जो किया गया है, वह मेरे ख्याल से संतोषजनक नहीं है। और यह तो सामान्य बुद्धि की बात है कि इसके अन्दर मुझे आशंका है कि कोई न कोई भूल होनी चाहिये। सन् 1965-66 में भी उसी तरह 24 जिले 26 जिलों के अन्दर से अकाल से प्रभावित हुए जाने का उल्लेख है और 11,150 गांवों में 55 लाख जनता अकालग्रस्त होने का जो एक उल्लेख है, यह सब आंकड़ों को अगर देखा जाय तो मैं समझता कि यह आंकड़े जिन सूचनाओं के ऊपर आधारित हैं वह विश्वसनीय नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में जो आंकड़े हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डालना मैं परमावश्यक समझता हूं इतने वर्षों के अन्दर सबसे अच्छा साल सन् 1950 से आज तक लगा कर, मैं समझता हूं कि सन् 1964-65 है, जब आपका उत्पादन का आंकड़ा 48.63 लाख टन्स था। उसके पश्चात् 1965-66 में 34.58 लाख टन्स और 1966-67 में 33.60 लाख टन्स खाद्यान्न का उत्पादन बताया गया है। इसमें आपने दालों का उल्लेख नहीं किया है। दालों के अन्दर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

में उड़द, मूंग, मसूर, मोठ, चंवला, शामिल करूंगा। मैं समझता हूं कि इनका उत्पादन भी कम से कम 8-9 लाख टन से कम नहीं होना चाहिए। इन दालों के लिए भी परमावश्यक है कि यह जो 1966-67 के फिगर्स हैं 33.60 लाख टन्स के, इनके अन्दर हम इनको भी शामिल करें। इनको शामिल करने के अतिरिक्त हमें फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा, दूध, घी, बटर, शक्कर, तिलहन आदि को भी शामिल करना, मैं समझता हूं, परमावश्यक होगा। अगर इन सब चीजों को हम इसके अन्दर जोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से, राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिये जो वर्तमान में आपका उत्पादन है वह अपर्याप्त नहीं है। मैंने 16 औंस प्रति व्यक्ति, हरएक आदमी, 14 औंस हरएक स्त्री, 11 औंस हरएक बच्चे को अन्न वितरित होना मान कर और बूढ़ों को इसके अन्दर शामिल न करते हुए, बैठे बैठे काम करने वाले जो दुकानदार हैं, जो राजकीय कर्मचारी हैं—जो अल्प भोजी हैं उनको भी शामिल न करते हुए हिसाब निकाला है। मैं यह समझता हूं कि वर्तमान हमारी जो खाद्यान्न की स्थिति है वह वास्तविक रूप से ऐसी विषम नहीं होनी चाहिये कि जो दरअसल में हमको दिखाई दे रही है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, गेहूं 3.13 लाख टन्स और माइलो 1.70 लाख टन्स राजस्थान सरकार ने इम्पोर्ट किया है। ऐसी स्थिति में 33 प्लस 5.38 लाख टन राजस्थान सरकार को अन्न उपलब्ध था। मैं समझता हूं कि 38 लाख टन अगर अन्न उपलब्ध था तो ऐसी स्थिति में आपकी वितरण की नीति दूषित है वरना वर्तमान स्थिति इतनी संकटमय नहीं हो सकती थी जितनी वास्तविक रूप से आज दिखाई पड़ रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की स्थिति कई गुनी बिहार से अच्छी है। अभी मन्त्री महोदय कह रहे थे लेवी के सम्बन्ध में। अगर 20 हजार टन आप अन्न लेवी के द्वारा प्राप्त भी करते हैं तो मेरे ख्याल में वह नगण्य है और जितना हैरेसमेंट, जितनी आपत्ति और जितना लोगों को उत्पीड़न, और इसके अलावा भ्रष्टाचार और शोषण होगा, मेरे ख्याल में, 20 हजार टन अन्न प्राप्त करने के लिये आप आपत्तियां मोल लेंगे वह कई गुना आपत्ति आपको देने वाली अधिक होगी बनिस्बत इसके कि आप यह संतोष करें कि 20 हजार टन अन्न प्राप्त करके आपने एक बहुत बड़ा अन्न का संकट का मसला हल कर दिया है। यह मैं मानने के लिये तैयार हूं कि राजस्थान में सब जगह नहीं लेकिन बहुत सी जगह जल का संकट है, बहुत सी जगह घास का संकट है और उसके लिये मेरे ख्याल में सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है कि जिसके द्वारा इस संकट को अभी तक सरकार सफलतापूर्वक दूर कर सकी या दूर कर सकती हो। ऐसा हमको कोई एलान दिखाई नहीं पड़ सका। मैं समझता हूं, इसके साथ साथ आज की वर्तमान मंहगवारी इस हद तक पहूंच चुकी है और उसके साथ साथ क्रय शक्ति रुपये की इतनी घट चुकी है कि मध्यम श्रेणी और मजदूर वर्ग के लिये एक बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस अवमूल्यन के सिलसिले में, जो कि इस सदन के अधिकार का प्रश्न नहीं है, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जो 14 रुपये एक पौण्ड के बराबर थे, वह आज 29 रुपये भी एक पौण्ड के बराबर नहीं रहे हैं। इस हद तक हमारी स्थिति विषम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

(12.59 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हो चुकी है कि पाकिस्तान के रुपये की क्रय शक्ति नेपाल के रुपये की क्रय शक्ति आज हमारे रुपये की क्रय शक्ति से अधिक है, कम नहीं है। देश के ऊपर ऋण की स्थिति यह हो गई है कि सन् 1950-51 में हमारे पर 2,054 करोड़ रुपये का जो ऋण था वह ऋण अब पांच गुना, यानि 10,838 करोड़ का हो

(1. म.प.)

चुका है। ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान सरकार को चाहिये कि खाद्यान्नों को सबसीडाइज करने की कोई न कोई व्यवस्था करे। अगर आप खाद्यान्नों को सबसीडाइज नहीं कर सकते तो आज जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें मजदूरों को आप मजदूरी दे रहे हैं वह 1 रु. 2 आना दे रहे हैं वह 1 रु. 2 आना की मजदूरी बिलकुल कम और अपर्याप्त है। आपको चाहिये कि आप कोई न कोई फूड स्टफ के सम्बन्ध में सबसीडाइज खाद्यान्न का प्रबन्ध करके सस्ते अनाज की दूकानें खोलने का प्रबन्ध करें। चीप ग्रेन शॉप के द्वारा उनको अनाज वितरण करने की व्यवस्था करें।

इसके साथ साथ मैं यह भी समझता हूं कि आपकी जितनी भी योजनायें हैं वे सारी की सारी अब तक असफल रही हैं। इन योजनाओं में कहीं भी उत्पादन के सम्बन्ध में ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इन योजनाओं में बराबर मैंने देखा है कि करोड़ों रुपये फिजूल खर्च में जाते हैं और कच्ची सड़कें बनाने के लिये करोड़ों रुपये आप खर्च करते हैं। एक वर्षा आती है और वह मिट्टी जो सड़कों पर आप बिछाते हैं वह शर्बत होकर गल कर बह जाती है। आप थोड़ा बहुत सड़कों पर रुपया लगावें, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा लेकिन आप से उत्पादन के सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। छोटे तालाब आप खुदवाना चाहते हैं और निष्पक्ष रूप से छोटे तालाब आप बनावें लेकिन इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण के रूप में निवेदन करूंगा। उदाहरण में सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप छोटे तालाब बनाते हैं तो कम से कम उनमें काश्त की भूमि होनी चाहिये इस बात का भी आप को ध्यान रखना चाहिये। छोटे तालाबों की योजना के अनुसार अमुक स्थानों पर छोटे तालाब बनाये जावें, उस समय वहां के लोग जब उसके शिकार होते हैं और आपसे कहते हैं कि हमारी सिंचित भूमि और कुए भी डूब में आते हैं तो आप दो महीने तक उस योजना को बन्द कर देते हैं और फिर दो महीने बाद हुक्म देते हैं कि छोटे तालाबों की योजना फिर हाथ में ली जावे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खनन एक छोटा सा गांव है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। वोट के बारे में नहीं कहूंगा। वहां के वोट मुझे नहीं मिले। वहां के लोगों के चरस लगे हुए हैं और रिजका है, वहां पर मालकँगनी होती है और हर तरह से वह सरशब्ज भूमि है। वह सारे गांव का एक तिहाई हिस्सा है, राजनैतिक कारणों से या आपसी कशमकश से उसको डुबोना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दुरव्यवस्था और कोई नहीं हो सकती। इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है कि छोटे तालाब निष्पक्ष रूप से आप बनाना चाहें तो बनावें, छोटे कुए जिनमें पानी नहीं हो उनको और गहरे बनाये जावें। जब तक आप सिंचाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

खाद्य स्थिति कभी काबू में नहीं आ सकती। माननीय मंत्री महोदय ने, उपाध्यक्ष महोदय, अभी कहा कि यह खाद्यान्नों का संकट है वह दीर्घकालीन संकट है। लेकिन इस दीर्घकालीन संकट को आप स्टेट्युटरी बनाइये। इसकी जैसी स्थिति है उस पर काबू करिये अगर आप इस पर काबू नहीं कर पाते है तो मेरा खयाल है कि आप सरकार चलाने के योग्य नहीं हैं।

वितरण के संबन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि वितरण के प्रति एक हद तक मेरी सरकार के प्रति सहानुभूति होने के पश्चात् भी शहरों की ओर गांवों के मुकाबले में बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। क्या शक्कर, क्या गेहूं और क्या दूसरी चीजें और इसके कारण मैं समझता हूं कि गांव के लोगों की मनोवैज्ञानिक भावना, संग्रह शक्ति की हो गई और लोग आमतौर से कहते हैं कि यह सरकार शहर वालों को बचाने के लिये हर योजना पर विचार करती है लेकिन इसके साथ साथ गांव का कोई विचार नहीं करती। शहरों के लिये आपकी जो व्यवस्था है उसको कम करने के लिये मैं नहीं कहता लेकिन आपको गांवों के लोगों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। और अगर आप लेवी की व्यवस्था करेंगे तो अन्न अन्डर ग्राउन्ड चला जावेगा और खाद्य की स्थिति और भी खराब होगी। इसलिये मेरा सरकार से आपके द्वारा निवेदन है कि यह लेवी की व्यवस्था है, योजना है वह बिल्कुल निरर्थक है और मैं इसका विरोध करता हूं। आज जो आपकी सस्ती अनाज की दुकानें हैं वे भी 90 प्रतिशत आपके पक्षी कांग्रेस जनों के द्वारा ही चलाई जाती हैं और आप उनका संचालन करते हैं। चाहे वे सहकारी संस्थाओं के द्वारा हों, चाहे व्यापारी एसोशियेशन के द्वारा हो, चाहे स्वयं निर्मित क्रयसंघ के द्वारा हो लेकिन यह अन्यायरूप से देखा गया है कि ये संस्थाएं अन्न का वितरण करती हैं वह भी अपने कांग्रेस जनों के हाथ में दे रखा है और उनका वितरण बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। यह मैं आपको स्पष्टतया निवेदन करना चाहता हूं। कोटा जो भी उनके पास आता है वह न्यायपूर्ण ढंग से वितरित नहीं होता है अभी मैंने देखा एक गन्दवा नाम का गांव है, आप चौरासी में से आए हैं उसके घेरे में है वहां एक सहकारी समिति है जहां चीप ग्रेन शोप है और वहां पर अनाज के वितरण की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं है। वहां पर लोगों के झूठे नाम लिखे जाते हैं और यह सस्ते अनाज की दुकान जिले के इन्टीरियर में अनाज वितरण नहीं करती है और सीमा पर दो तीन मील के फासले पर ही विशेष ध्यान देती है और ऐसी स्थिति में यह स्पष्टतया आशंका है कि जो चना है वह गुजरात में जा रहा है और झूठे फर्जी नाम लिखे जाते हैं और अगर उसकी जांच करने के लिये और उसकी पूछताछ करने के लिये कोई व्यक्ति जाते हैं तो यह उन पर आरोप लगाया जाता है कि हम पर हमला करने के लिये आते हैं और उनको डरा धमका कर निकाल दिया जाता है और यह कहा जाता है कि अगर इस तरह की पूछताछ की बात करोगे तो पुलिस के द्वारा हथकड़ियें पहनाई जावेंगी। यह एक बिल्कुल गलत बात है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबन्ध में विचार करेगी।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इसके साथ साथ आपको इस समस्या पर भी विचार करना चाहिए कि चने का भाव गुजरात में 60)रु. मन और राजस्थान में 34 या 35 रुपये मन है । ऐसी स्थिति में लोग चना राजस्थान का गुजरात में ले जाते हैं और गुजरात से फिर चावल और और मूंगफली का तेल वापिस लाते हैं । चावल और मूंगफली का तेल तो गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता वह तो समृद्धशाली लोगों को ही उपलब्ध हो सकता है । गरीब लोग तो चावल और मूंगफली का तेल काम में ले नहीं सकते । गरीब आदिवासी तो मुट्ठी भर चना भी फांक कर अपना पेट पाल सकता है ।

ऐसी स्थिति में आप अपने चने की वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से कर पाते हैं तो मेरे खयाल में जो चना राजस्थान में उत्पन्न होता है वह राजस्थान की जनता के लिये ही अधिक से अधिक हितकर सिद्ध हो ऐसी व्यवस्था आप करें । बनिस्बत इसके कि माइलो का नाम ले कर चना गुजरात में भेजा जाय झूठे फर्जी नाम लिखे जायं और इस तरह से हमारा जो चना राजस्थान का है जो हमारे लिये विशेष लाभदायक है, उस चने को हम खो कर, उस चने से हम हाथ धो कर बैठ रहें और वह चना गुजरात में जावे।

इसके अतिरिक्त इस संक्षिप्त विवरण में आपने यह बतलाया है कि चना सरकार ने 12 हजार टन खरीदा, बाजरा 15 हजार टन खरीदा। उस बाजरे का और चने का आपने बफर स्टाक बनाया या क्या किया इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई । मैं समझता हूं आपने इस चने को बहुत अधिक भावों में बाहर भेजा है । बाहर बहुत अधिक भाव पर बेचा है और न्यूनतम भावों पर राजस्थान में खरीदा है । मैं समझता हूं आपको यह व्यवस्था बहुत बुरी है और मैं इस हद तक कहने को तैयार है कि ऐसी स्थिति में न्यूनतम भावों पर चना और बाजरा सरकार खरीदे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफाखोरी पर बाहर भेज या बाहर बेचे तो सरकार ही सबसे बड़ी कालाबाजारी संस्था राजस्थान में है, इसमें कोई पशोपेश नहीं । व्यापारी और किसान इसे देख कर और भी अपना अनाज अन्डर ग्राउन्ड भेजेंगे ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम अगर आप लेवी के द्वारा अनाज इकट्ठा करें तो उसको कम से कम बाहर तो न भेजें, उसके ऊपर आप मुनाफा नहीं कमायें वरना मेरे खयाल से सरकार का जैसा आचरण है वैसा ही और लोगों का भी होगा, यथा राजा तथा प्रजा कहावत नाम से सभी लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के हो कर काला बाजारी करना शुरू कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक क्वोटेशन आपके समक्ष निवेदन करूंगा जो हमारे नेता श्री चक्रवती राजगोपालाचारी ने स्वराज्य में एक लेख में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है :

President of the Union who has relinquished his post has written the epitaph on the monument in advance. The epitaph has become too famous to be covered up by any amount of party distamper. We cannot forgive the wide-spread

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

incompetence and gross mismanagement of resources for which the ruling authority is responsible. "The monument for which the fathers of the Congress movement worked was good government. Instead of this we find the party wants itself to be the monument. A monument of foreign slogan for deceiving the poor in our country."

उपाध्यक्ष महोदय, अकालग्रस्त क्षेत्रों में जो राहत कार्य चल रहे हैं, जो रिलीफ के कार्य चल रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों को मजदूरी का चुकारा ठीक समय पर नहीं होता है। बार बार रिलीफ एड्वाइजरी कमेटी के सदस्य के नाते मैंने यह सुझाव रखा कि अगर हर हफ्ते चुकारा नहीं हो सके तो हर महीने की पहली और 15 तारीख को अनिवार्य रूप से चुकारा होना चाहिये, पर यह भी नहीं होता। तीन तीन, चार चार हफ्तों की मजदूरी चढ़ जाती है और उसके बाद चुकारा किया जाता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक गांव में गया, वहां मैंने पाया, कई ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं लेकिन एक दो उदाहरण दे कर ही मैं अपनी इस बात को समाप्त करूंगा। बोखला नाम का गांव है, वहां जयकृष्ण नाम के पंचायत समिति पीछीवाड़ा के उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष होने के नाते उनकी स्थिति इतनी नादारी की नहीं है जितनी कि अन्य आदिवासियों की होनी चाहिये। तदुपरान्त भी मैंने पाया, उनकी धर्मपत्नी का नाम एटली है, उस एटली का नाम तीन जगह फर्जी मस्टर रोल में है...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह अकाल का सवाल है या खाद्य समस्या का ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अकाल और खाद्य समस्या को अनिवार्य रूप से परस्पर सम्बद्ध समझ कर चर्चा नहीं करूं तो और क्या कर सकता हूं ?

श्री मूलचन्द डागा : It is not the debate on famine.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खाद्य और अकाल समस्या को साथ साथ लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर खाद्य और अकाल के सम्बन्ध में सरकार ने यह वितरण नहीं किया होता तो मैं इनको अलग समझता, पर इनका एक दूसरे से अन्योन्याभाव सम्बन्ध है, ओवरलेपिंग है, अविभाज्य सम्बन्ध है, इन दोनों को एक साथ ले कर चर्चा नहीं करूं तो मेरे खयाल से सारी चर्चा ही निरर्थक होगी।

दो वैक्सिनेटर जो अलवर में आज काम कर रहे हैं, उनके नाम भी मस्टर रोल में फर्जी रूप से मौजूद हैं क्योंकि वे उपाध्यक्ष महोदय, इनके रिश्तेदार हैं। यह दूषित व्यक्ति है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यह घृणित तरीका है, एन्टी सोशियल एलीमेंट्स को पनपाने का तरीका है, उनको पेट्रोनेज एक्सटेन्ड करने का तरीका है, इसे सरकार को बन्द करना चाहिये।

मैं अभी भोमट में गया तो वहां देखा कि जोगीवड़ा, कोटड़ा आदि में कहीं पर भी सस्ते अनाज की दुकानें नहीं हैं। वहां के गरीब लोगों को हमारे दोस्त बार बार कहते हैं, "तारे वाले के पास जाओ, तारे वाला तुमको अन्न देगा" तारे वाले के पास कहां अन्न है, अन्न तो सरकार के पास है, इस प्रकार का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

प्रचार अवास्तविक, घृणित और मिथ्या है, मिथ्या रूप से इस प्रकार का प्रचार किया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते अनाज के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिये।

जो राहत कार्यों में रुपया खर्च किया गया है, उसकी असमानता के बारे में भी मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। राजस्थान में 11 करोड़ रुपया अकाल में खर्च किया उसमें से बांसवाड़ा में 133 लाख, डूंगरपुर में 175 लाख, सिरोही में 11 लाख और उदयपुर में 191 लाख आपने खर्च किया है। इन क्षेत्रों के अन्दर जो जनता अकाल से प्रभावित है वह बांसवाड़ा में 4,74,000 डूंगरपुर में 4,15,000 सिरोही में 3,27,000 और उदयपुर में 5,40,000 है। तो यह समझ में नहीं आता कि डूंगरपुर में 175 लाख रु० खर्च हुआ और सिरोही में केवल 11 लाख रु० खर्च हुआ जब कि वहां पर भी स्थिति करीब करीब समान ही है, और जनता जो अकाल से प्रभावित हुई वह भी उतनी विभिन्न नहीं है कि इतने फर्क के आधार पर आप खर्च करें।

अन्न वितरण के सम्बन्ध में भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा में नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक नवम्बर में 92 हजार टन, दिसम्बर में 322 टन जनवरी में 128 टन, फरवरी में 322 टन और मार्च में चुनाव के बाद केवल 92 टन वितरित हुआ। इसी तरह क्रमशः डूंगरपुर में 432, 432, 220, 432 टन वितरित हुआ और मार्च में आकर फिर केवल 48 टन। सिरोही में क्रमशः 1200 टन, 1200, 320, 1200 और मार्च में आकर केवल 91 टन। उदयपुर में नवम्बर में 496 टन, दिसम्बर में 1196, जनवरी में 1496, फरवरी में और आखिर मार्च में 904 टन वितरित हुआ। तो दुष्काल फरवरी तक ही था क्या? यह मैं जानना चाहूंगा।

लेबर की संख्या के संबंध में मैं निवेदन करूं कि ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आया, यह संख्या बढ़ती गई। डूंगरपुर में नवम्बर में 12,300 मजदूर काम करते थे, दिसम्बर में 29,350, जनवरी में 96,418 और फरवरी में 1,46,814 और मार्च में घटकर 1,11,635 हो गया। अप्रेल में 90,640 और मई में 50,116। यह आंकड़ा राष्ट्रदूत दिनांक 24-5-67 का है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि फरवरी में 1,46,814 और मई में 50,116 मजदूर काम करने लगे। क्या फरवरी में अकाल की स्थिति विशेष विषम थी मई के मुकाबले में? या बिल्कुल ही परिस्थिति विपरीत थी। मई में विशेष अकाल की स्थिति होनी चाहिए बनिस्बत फरवरी के? यह भी मैंने देखा है कि 15-15 दिन तक मजदूरों से काम कराया जाता है और 8) रु. प्रति पुरुष और 6) रु. प्रति स्त्री दिया जाता है। मैं दरख्वास्तें भी लाया हूँ, वह उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर रखता हूं।

(दरख्वास्तें विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान सरकार को 7,000 टन अनाज निःशुल्क वितरण करने के लिए मिला, उसमें से उदयपुर जिले में 175 टन, डूंगरपुर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
में 175 टन, बांसवाड़ा जिले में 175 टन सिरोही में 125 टन और बाकी जो सभी अकालग्रस्त जिले थे उनमें 15-15, 20-20 टन दिया। Discrimination is the name, Government of Rajasthan.

आपने पश्चिम जर्मनी से फ्री वितरण के लिए 50 गांठें प्राप्त कीं कपड़े की, उनमें से उदयपुर जिले में 6 गांठें, बांसवाड़ा में 6, डूंगरपुर में 6, सिरोही में 4 और दूसरे सभी जिलों में एक एक, दो-दो गांठें वितरित करके किस्सा समाप्त किया। मैं निश्चित रूप से इस सदन के समक्ष कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी राहत कार्य हुए हैं, उनमें से आधे से अधिक उदयपुर डिवीजन में हुए हैं, उसका लायन्स शेयर इस अकाल कार्य के अंदर रहा है।

श्री रामकिशन : जहां कांग्रेस होती है, वहां अकाल पड़ता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल से कांग्रेस मनहूसियत के सिद्धांत पर रही है कि येन-केन प्रकारेण कुर्सी पर बैठे रहना और चाहे जो कुछ भी

एक माननीय सदस्य : आपने भी तो जोड़ तोड़ काफी की।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसका मूल कारण यह भी हो सकता है कि चुनाव से पहले कुंभारामजी कांग्रेस से अलग हो गए, स्वर्गीय महाराजा हरिश्चंद्रजी ने कांग्रेस छोड़ी तो सुखाड़ियाजी ने फिर निश्चित रूप से मन में धारणा बना ली कि अब लाइफ और डैथ का सवाल है। तो उन्होंने उदयपुर डिविजन के अंदर सरकार का पैसा और अपने चुनाव की सफलता को एक करके जो कुछ उन्होंने किया, उसका परिणाम आपके सामने है। मेरे ख्याल से यह कोई उनकी शाबाशी या वाहवाही नहीं है।

माननीय सदस्य जो बीकानेर से आए हैं श्री गोकुलप्रसादजी, उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। बातें कहने से कुछ भी कह सकते हैं लेकिन यह समस्या किसी पार्टी की नहीं है, यह आम जनता की समस्या है और इस पर जब तक सदन में विचार नहीं करेंगे तब तक राजस्थान सरकार की दूषित नीति पर कोई अंकुश नहीं लगा पा सकते। एक हद तक तो प्रकृति की ओर से अकाल अवश्य राजस्थान के अंदर पड़ा है लेकिन उसके अलावा मनुष्यकृत अकाल भी एक हद तक है।

राजस्थान के जंगलों की दुर्दशा हुई है, वह देखने से ही मालूम हो सकती है। जहां 10 साल पहले सघन वन थे वहां हथेली की तरह बिल्कुल सफाई हो गई है ऐसी स्थिति में वर्षा में कमी न हो तो क्या हो? आपकी योजना जंगलों के संरक्षण के संबंध में है। लेकिन 80 प्रतिशत जंगलों को जाने भी दीजिए, पर 20 प्रतिशत को भी यदि आप बचा सकते हैं तो इस देश का बहुत हित हो सकता है। आपकी योजना में भुखमरी निहित है, ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंदर कोटा, परमिट, लाइसेंस आदि की व्यवस्था निहित है और इन योजनाओं में उत्पादन के संबंध में आपने कोई विशेष ठोस कार्य नहीं किया है।

मार्च तक 2,284 सस्ते अनाज की दुकानें थीं, आज कितनी दुकानें हैं? इस विवरण के अंदर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। अगर दुकानों की संख्या कम होती जा रही है तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
आपने यह संख्या केवल चुनाव तक ही रखी और उसके पश्चात् अपना येन-केन-प्रकारेण अपना कार्य सिद्ध किया है, अब जनता जाय जहन्नुम में।

अभी राजस्थान में शादियां हुई। शादियों के अंदर मैंने यही देखा है कि मुकर्रर दामों पर कोई चीज नहीं मिल सकती और काले बाजार के दामों पर जो चाहो ले सकते हैं चाहे शक्कर या और कुछ भी। मैं समझता हूं कि शादियों को देखते हुए राज्य सरकार के जो नियम हैं वह जनता खूब अच्छी तरह जानती है कि ये नियम भंग करने के लिए ही बनाए गए हैं। मैं समझता था कि सरकार के नियम पालन करने के लिए बनते हैं लेकिन आज जनता जान बूझकर उनको भंग करती है और आपके कर्मचारी और पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय रहकर एक शब्द भी नहीं कहते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनौती हम सबके लिए है और कहीं ऐसा न हो कि जनतंत्र समाप्त होकर इंडोनेशिया, घाना और पाकिस्तान की स्थिति इस देश के अंदर आए। आप सबको मिलकर अपने आचरण में पवित्रता लानी है और उत्पादन के संबंध में कोई ठोस कदम लेने हैं। आप कीमतों को घटाने की कोशिश करें। कीमतें जब तक नहीं घटतीं तब तक टैक्सेज नहीं घटतीं, टैक्सेज घटाइए, सिंचाई की योजनाओं को सफल बना कर ठोस कदम उठाएं, उत्पादन के संबंध में आगे बढ़िए, परिवार नियोजन के संबंध में आप ठोस कदम उठाएं। उत्पादन और परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत ऐसे आइटेम्स हैं जिनको अगर आप प्राथमिकता नहीं देते तो मेरे खयाल से वह दिन दूर नहीं है कि आपके पापों का घड़ा भर चुका है वह फूटेगा और उसके साथ साथ आप भी डूबेंगे लेकिन साथ ही देश की बड़ी भारी क्षति होगी।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय . .

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, शायद ही कोई सत्र ऐसा गया हो जब कि माननीय सदस्यों के द्वारा सरकार पर खाद्य के सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करने के लिये और बढ़ते हुए भावों पर रोक लगाने के लिये दबाव न डाला गया हो हमेशा सरकार की ओर से इस सदन को और राजस्थान की जनता को बार बार यह आश्वासन दिये गये हैं कि सरकार खाद्य की समस्या को सुलझाने के लिये प्रयत्नशील है। वह मूल्यों के बढ़ने पर रोक लगायेगी। लेकिन जब जब यह घोषणायें की गईं, जब जब खाद्य समस्या को लेकर के असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट या अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत नियम-उपनियम बनाये गये त्यों त्यों खाद्य की समस्या देश और प्रदेश में भयंकर बनती गयी और आज तो राजस्थान और सारे देश में ऐसा लगता है कि इस खाद्य की समस्या को लेकर या इस प्रश्न को लेकर एक विप्लव की स्थिति पैदा न हो जाय।

सरकार के सम्मुख जब कभी भी यह प्रश्न आया, चाहे खाद्य के उत्पादन का प्रश्न हो, चाहे खाद्य के मूल्यों का प्रश्न हो, केवल एक प्रकार से जैसे बच्चे को खिलौना देकर बहलाया जाता है उसी तरह का सरकार की ओर से यह उत्पादन का समाधान है और यह मूल्यों

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के न बढ़ने का समाधान है। अमेरिका का पी० एल० 480 गेहूं राजस्थान को और हिन्दुस्तान की जनता को दे दिया जाता है। सरकार के सामने इस समस्या का समाधान करने के लिये कोई नीति और योजना हो ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं देता बल्कि स्पष्ट रूप से सरकार जब कभी कोई बात करती है और आंकड़े देती है तो उसमें केवल एक चीज यह मिलेगी कि आबादी इतनी है, मांग इतनी है, उत्पादन इतना हुआ है और उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये केन्द्र से इतना अनाज लिया। पी० एल० ४८० जो अमेरिका से हिन्दुस्तान को मिलता है वह इस महान् देश के लिये एक अभिशाप है और उस अभिशाप को यह कांग्रेस की सरकार और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार बड़ी खुशी से इसको मंजूर करती जा रही है। उनको इसकी बड़ी प्रसन्नता है।

आज देश में अनाज की कमी है और अन्य देशों से अनाज की मांग कर रहे हैं। किस कारण से मांग कर रहे हैं? केवल यही ना कि हिन्दुस्तान में अनाज की कमी है। अनाज की कमी की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि विदेशों से अनाज मंगाये। लेकिन मैं राजस्थान सरकार के खाद्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आज राजस्थान के जिन जिन जिलों में या राजस्थान के जिन जिन क्षेत्रों में इम्पोर्टेड गेहूं की मांग की जाती है कि वहां पर सस्ते गल्ले की दुकानें अधिक संख्या में खोली जायं, शहरों और गांव में इम्पोर्टेड वीट की दुकानें अधिक खोली जायें तो क्या उस मांग के पीछे यह भावना है कि उस क्षेत्र में अनाज उपलब्ध नहीं है? क्या उस भावना के कारण अनाज न मिलने के कारण मौतें हो रही हैं? मैं समझता हूं जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, अनाज की मांग के पीछे उपलब्धता इतनी नहीं है, उसके पीछे यह है कि लोगों की पर्चेजिंग केपेसिटी कम होती जा रही है। उस मांग के पीछे, जिसके लिये मैं जोर देकर मांग करना चाहता हूं, आज 125) रु. क्विन्टल अनाज का भाव है उस मूल्य पर राजस्थान की साधारण जनता अपने परिवार का पेट नहीं भर सकती इसलिये मांग की जाती है कि राजस्थान की यह सरकार शहरों और गांवों में आयातित गेहूं की दूकानें खोलें, चीपग्रेन शोप्स खोलें ताकि सस्ता अनाज वहां के रहने वालों को मुहैया हो सके। कभी राजस्थान सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि जिस इम्पोर्टेड ह्वीट को लेकर चीप ग्रेन शोप्स खोलते हैं उसके पीछे आबादी के उस तबके के साथ जिसकी पर्चेजिंग केपेसिटी लगभग समाप्त हो चुकी है या जो देशी गेहूं खरीद कर अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता उस तबके को शहरों और गांवों में इम्पोर्टेड वीट मोहैय्या करते हैं वह उसको मुहैय्या होता है या नहीं। यह गल्ला गरीब को पहुंच पाता है या नहीं जो 125 रुपया क्विन्टल का गेहूं नहीं खरीद सकता है? सरकार ने कभी इस पर विचार ही नहीं किया। मैं खाद्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप यह तमाम इम्पोर्टेड गेहूं की चीप ग्रेन शोप्स खोलते हैं और छोटे व्यापारियों को और कोआपरेटिव को लाइसेन्स देते हैं उसके पीछे मार्जिन ओफ प्रोफिट कितना है, जितना माल एक महीने के लिये देते हैं, जो मार्जिन ओफ प्रोफिट आपने छोड़ा है उसके आधार पर वह अपने कुनबे का पेट भर सकता है या नहीं? कभी नहीं भर सकता। सरकार जानती है इस बात को कि इम्पोर्टेड गेहूं का ब्लेक होता है और देशी गेहूं के साथ मिला कर बेचा जाता है। एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सरकार की मांग पड़ती है किसी चन्दे के लिये चाहे वह चन्दा बिहार अकाल सहायता क्षेत्र के लिये हो, चाहे नेशनल डिफेन्स फन्ड के लिये हो या चाहे किसी परपज के लिये हो सबसे पहले सरकारी मशीनरी की तलवार चीप ग्रेन शोप्स पर जाती है। मेरे पास आंकड़े हैं जो सस्ते गल्ले की दुकान हैं। उनको 150) महीना भिन्न भिन्न चन्दे के नाम से सरकार को देना पड़ता है। कई कारणों से 150) महीना देता हो, प्रोफिट का मार्जिन उन दूकानों पर न हो तो आखिर वह किस प्रकार यह पैसा निकालता है। क्यों इस प्रकार की दुकानें लेने के लिये लोगों की भरमार लगती है। कभी कोओपरेटिव सेक्टर आजाता है, छोटे व्यापारी और सहकारी संस्थायें कहती हैं कि हमको दुकान दीजिये। इस सारी चीज के पीछे जब कि उसमें कोई मार्जिन ओफ प्रोफिट अधिक न हो तो कौन भागा दौड़ी करेगा असलियत यह है कि देशी गेहूँ के साथ उस गेहूँ को मिला कर कई बोरियां ब्लेक में बेची जाती हैं और जो जनता इसको खाने की हकदार है, जिसके पीछे यह मांग है कि गरीबों को अनाज मुहैय्या होगा उस गरीब को घंटों लाइन में खड़े रहने पर भी सस्ता अनाज नहीं मिलता। सरकार ने कभी विचार नहीं किया कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर यह अनाज भेजा जाय, कौन से क्षेत्र में कौनसा तबका ऐसा है जिसको वह इम्पोर्टेड वीट मुहैय्या होना चाहिये? सरकार ने इस पर कभी विचार नहीं किया। बिना विचार किये मांग हुई सरकार ने वीट भेज दिया। चुनावों में तो यह देखा गया है कि इसके पीछे चुनावों का स्टन्ट था। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है। कलक्टर ने चीप ग्रेन शोप खोल दी। चर्खे वाला तिरंगा झंडा लगा हुआ था और उद्घाटन करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता।

अनाज का प्रश्न पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है। खाद्य समस्या किसी एक की समस्या नहीं है। यह राष्ट्रीय समस्या है, एक नेशनल प्रोब्लम है। इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये। लेकिन दुःख इस बात का है कि इस राष्ट्रीय समस्या को राष्ट्र के पोइन्ट ओफ व्यू से नहीं देखा जा रहा है। बल्कि आज उसको अपने राज्य के हितों से देखा जा रहा है, पार्टी के हितों से देखा जा रहा है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जहां तक कि खाद्यान्न का सवाल है इसके प्रोक्योरमेन्ट और डिस्ट्रिब्यूशन का जिम्मा राज्य और केन्द्र सरकार का होना चाहिये क्रमशः आज इस प्रश्न को राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं सौंपना चाहिये। जितने राज्य हैं आज दलगत राजनीति में पड़े हैं। राष्ट्र की कल्पना आज उनके सामने नहीं है।

तो इन स्थितियों में राज्य पर उत्पादन का भार डालना चाहिये वे अपने समस्त साधन इसके उत्पादन में लगावें। इसके बाद इसके वितरण का काम स्वयं केन्द्र को अपने हाथ में रखना चाहिये। इसके लिये हमारी पार्टी ने यह मांग की है कि अनाज के जोन्स भी समाप्त किये जाने चाहिये। इसके बाद केन्द्र स्वयं राज्यों की आवश्यकता को पहचान कर कहां सरप्लस है, कहां डेफिसिट है यह देखकर अपने आंकड़ों के अनुसार, जरूरत के अनुसार भिन्न भिन्न राज्यों में उसे बांट दे।

खेद है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं देखा जाकर यह प्रश्न आज राज्यों में कम्पीटीशन का बन गया है। हरेक राज्य एक दूसरे के कम्पीटीशन में उतर आया है। किसी राज्य

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

की स्थिति अच्छी हो या खराब सब अधिक से अधिक अन्न केन्द्र से मांग रहे हैं। केन्द्रीय और राज्यों के खाद्य और मुख्य मन्त्रियों का अभी सम्मेलन हुआ था। पर उसमें किसी ने यह नहीं कहा कि उसका राज्य सरप्लस है। सब यही चाहते थे कि किसी तरह केन्द्र से अधिक से अधिक अनाज अपने लिये खींचे चाहे बिहार में लोग भूख से मर जावें उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाय। इसकी उनको रत्ती भर भी चिन्ता नहीं थी। हरेक को चिन्ता थी तो अपने स्वार्थ की अपने अपने राज्य के स्वार्थों की ओर वह भी अपने वोटरों से वोट लेने की खातिर। वे कहीं नाराज न हो जावें इस नीयत से।

इसलिये हमारी मांग थी कि केन्द्रीय स्तर पर अनाज का प्रोक्योरमेंन्ट और डिस्ट्रिब्यूशन का काम हो और प्रोडक्शन का काम राज्य स्तर पर हो।

यह जब तक नहीं होता तब तक हम राजस्थान राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह अपनी सीमा से बाहर अन्न के बाहर जाने पर स्मगलिंग पर रोक लगावें। ट्रक भर कर जा रहे हैं, ऊंट जा रहे हैं। पकड़े भी जाते हैं और छूट भी जाते हैं। तो इस पर सरकार को कड़ा पहरा बिठा देना चाहिये। फिर भी जब तक पूरी व्यवस्था वितरण की केन्द्र के हाथ में नहीं होगी तब तक अव्यवस्था रहेगी और अनाज के भाव बढ़ते जावेंगे। वितरण की असमान और विषमता भरी व्यवस्था के ये परिणाम हैं। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि जो बड़े कस्बे हैं उनमें अन्न की समस्या का समाधान करने के लिये समुचित मात्रा में एक लाख से ऊपर की आबादी वाले कस्बों में राशनिंग सिस्टम लागू करना पड़ेगा। इसके लिये पार्टी के स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना होगा।

आज वे हमें कहते हैं कि हम नेशनल दृष्टिकोण अपनावें। मैं पूछना चाहता हूं कि ज्वार, मक्का और चना की निकासी के सम्बन्ध में कौनसा नेशनल कन्सेप्ट अपनाया था आपने? कितने व्यापारियों को आपने अनुचित फायदा पहुंचाया? आप खुश थे कि जो आपके साथ के व्यापारी नहीं थे वे कितने ही चने की खरीद के कारण बरबाद हो गये तो किसी को मक्के की निकासी का परमिट देकर आपने नौनिहाल कर दिया। आपने यह सोचा कि अपने अपने क्षेत्र के व्यापारियों को फायदा पहुँचाया जाय। तो मैं कहना चाहता हूं कि समस्या का समाधान इस तरह से नहीं होता। जब तक स्वयं दलगत नीति से ऊपर उठकर नहीं चलेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

जब तक ठीक तरह से वितरण का काम नहीं होगा; इम्पोर्टेड वीट का वैज्ञानिक ढंग से वितरण नहीं होगा; जिनको आवश्यकता है उनको ही यह मुहैय्या हो ऐसा प्रबन्ध नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इम्पोर्टेड वीट की घुट्टी सभी को पिलाते रहने से काम नहीं चलेगा। कब तक अमेरिका के मोहताज रहना चाहते हैं आप? पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध हुआ था उस वक्त पी.एल. 480 की आड़ में जो देश पर उन लोगों ने दबाव डाला था उसको भूल गये? आज फिर आप अन्न के मामले में अमेरिका के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो फिर देश को अन्न उत्पादन और वितरण में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा।

Page No.52

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
आपको हर लेवल पर अन्न का उत्पादन करना पड़ेगा देश में।

इसके लिये किसान को उत्पादन के लिये इन्सेन्टिव देना होगा उसी तरह से जिस तरह से एक सैनिक को देश रक्षा के लिये दुश्मन से लड़ने के लिये दिया जाता है। जैसे देश रक्षा के लिये सैनिक रणक्षेत्र में डट जाता है उसी तरह देश रक्षा के लिये किसान अपने खेतों के मोर्चों पर डट जावे तो इसके लिये जरूरी होगा कि किसान को इन्सेन्टिव दिया जावे।

अगर यह इन्सेन्टिव आप लेवी सिस्टम लागू करके देना चाहते हों तो खाद्य मन्त्रीजी, याद रखें किसान भूला नहीं है, वह भोला भी नहीं रह गया है समझ चुका है। आज हो सकता है आप कानून के दम पर नियमों के डर के बल पर किसानों को दबाकर लेवी ले लें पर इससे आन्तरिक रूप से किसान को जो इन्सेन्टिव मिलना चाहिये वह नहीं मिल पावेगा और फिर आने वाले समय में वह अपने खेतों में अन्न नहीं बोएगा। अपने खेतों में वह कैश क्रोप बोवेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार ने, मोहनलालजी सुखाड़िया के अधीन सबसे पहली जो घोषणा की वह यह थी कि राजस्थान के किसान को जिसके पास पांच एकड़ तक भूमि है, लगान माफ करते है। जब दूसरे-दूसरे प्रान्तों में और जहां संयुक्त दल ने जब यह घोषणा की कि वे लगान माफ कर देंगे तो इन लोगों ने यह घोषणा की कि वे पांच एकड़ तक लगान माफ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो लेवी लाग की है और इसके लिए जो रेट तय की है उनसे तो किसान को जहां आपने यह छूट दी है वहां दूसरे ही हाथ से वह छूट इस लेवी से और इसकी रेट तै करके छीन ली है। आपने जो छूट दी है और यह लेवी जो लगाई है इससे किसान को क्या नफा नुकसान होगा, जरा इसका हिसाब तो लगाया होता। पर इस तथाकथित राजस्थान की जनता की सरकार को चिन्ता नहीं? यह तो केवल नकल करने पर लगी है। आप कहते हैं कि हमने तो केन्द्र के कहने से ऐसा किया है।

मैं पूछना चाहता हूं कि लेवी के संबंध में यह राजस्थान सरकार सन् 1966 में कहां गई थी। 9 जून 66 को केन्द्र से आदेश आया था कि अन्न की समस्या विकट होती जा रही है और इसका समाधान इसमें निहित है कि राजस्थान सरकार अपने प्रदेश में लेवी सिस्टम लागू करे। सरकार उस समय तो चुनावों के कारण इसे लागू करने में घबरा गई थी। अब एक साल बाद उसे सूझा यह उपाय अन्न समस्या के समाधान का। मैं निवेदन करूं कि आज भले ही चुनाव जीत कर आ गये हों, पांच साल बाद वापिस जाना पड़ेगा और हो सकता है जनता की याददाश्त कमजोर हो और वह पांच साल बाद आपके कारनामे भूल जावे। पर आप जिन किसानों के वोट लेकर यहां आये है उनका गला घोंट देना चाहते हैं इस लेवी सिस्टम से। अपनी व्यवस्थाओं और समस्याओं के समाधान के लिये गरीब किसानों का गला घोंट देना चाहते हैं। उस औसत किसान को जो अपने हाथों में हल लेकर धूप में, कड़कड़ाती धूप में खेतों में काम करता है उस किसान

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

की शक्ति लेवी देने की नहीं है। आपके इन भावों पर हम उनके नुमाइन्दे हैं और उनसे वोट लेकर यहां विधान सभा में आये हैं। मैं तो किसी भी एक विधान सभा सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर, इस प्रोक्योरमेण्ट के प्रश्न को लेकर आज विधान सभा से इस्तीफा दें और दुबारा इस प्रश्न को लेकर विधान सभा के अन्दर चुनाव लड़ कर और जीत कर आये तो हम कह देंगे कि हां यह पालिसी सही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कह कर आप किसानों को भड़का रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : भड़काने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि किसानों को धोखा दिया जा रहा है। इस प्रश्न के लिए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को एक वर्ष पहले निर्देश दिया था कि प्रदेश के अन्दर प्रोक्योरमेंट करो और अब आपकी एक साल के बाद आंख खुली है। आपने किस तरह से प्रोक्योरमेण्ट के लिए भाव तय किये हैं उनके आधार पर आप क्या देना चाहते हैं। आपने किसानों को लूटा है। आपमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसानों के ऊपर इरिगेशन चार्जेज बढ़ा दें, आपमें हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर दूसरे टैक्स लगा दें। एक तरफ तो आप लगान छोड़ते हैं और दूसरी तरफ किसान को जहर की घुट्टी इस आर्डर के जरिये पिलाते हैं····

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उत्तर प्रदेश में लेवी कैसे ले रहे हैं ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपने दुकान पर गुड़ बेचा है, किसान नहीं हैं आप।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि आज किसान को अपने खेत के अन्दर अनाज पैदा करने के लिये प्रेरणा मिले, वह किसान अपने खेत पर अनाज पैदा करे और कैश क्रोप्स की ओर डाइवर्ट नहीं हो तो जरूरी है कि इस प्रकार के कानून लागू नहीं किये जायें और जैसा कि खाद्य मंत्रीजी ने कहा कि रास्ता केवल एक ही था, यह ठीक है कि अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, अनाज के भाव बढ़ने भी चाहिए। लेकिन कन्ज्यूमर्स को सस्ते भाव के ऊपर भी अनाज उपलब्ध होना चाहिए इसके लिए केवल एक रास्ता था कि सरकार ओपिन मार्केट में जाकर बाजार भाव से अनाज खरीदे और उसको कन्ज्यूमर्स को सस्ते भाव पर दे और जो उसको लास हो उसको वह बरदाश्त करे और सबसीडाइज्ड रेट पर लोगों को अनाज मुहैय्या करे। इसमें दिक्कत क्या है ? योजना को दूसरी तरफ मोड़ दीजिए। सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश जहां की 80 प्रतिशत जनता किसान है उसको मालदार बनाइये। अगर किसानों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो निश्चित मान कर चलिए कि देश हर प्रकार से समृद्धवान होगा। आप अनाज के भावों को रोकना चाहते हैं तो इसके लिये जरूरी है कि आप अपना बफर स्टॉक क्रियेट करें और उसे राज्य स्तर पर न करके केन्द्र के द्वारा जो फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया है उसके द्वारा मोनोपोली बेसिस पर बफर स्टॉक तैयार किया जाये और ओपिन मार्केट से अनाज खरीद कर सबसीडाइज्ड रेट पर छोटे लोगों को वितरित किया जाये चाहे इसके लिए हमें कितना ही नुकसान उठाना पडे हमको बरदाश्त करना चाहिए और जब तक इस दिशा में सरकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं सोचेगी हमारी खाद्य की समस्या हल होने वाली नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि जो आप हमसे बारबार कहते हैं नेशनल कन्सेंप्ट की बात, आज किस आधार पर राजस्थान के व्यापारियों से आप यह कह रहे हैं कि हमने चने की चूरी की निकासी खोल दी है और उस निकासी के ऊपर 10 रुपया क्विण्टल दें । आप किस हिसाब से व्यापारियों से यह मांगने जा रहे हैं ? आपकी जब इच्छा हुई निकासी पर प्रतिबन्ध लगा दिया और जब आपकी इच्छा हुई निकासी खोल दी । जब आपकी इच्छा हुई आपने राज्य से मक्का बाहर जाने दी और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन को सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान के छोटे व्यापारियों को तो पता नहीं कि चने की निकासी खोलने वाले हैं दिल्ली के बड़े बड़े व्यापारी जो बाजार में आकर बैठ जाते हैं और सारी चूरी को समेट लेते हैं बाजार से और कहते हैं कि थोड़े दिनों में निकासी खुलने वाली है और हमें सुन कर ताज्जुब हुआ कि चने की चूरी का निकास खोल दिया गया है और 10 रुपया प्रति क्विण्टल न जाने किस हिसाब से सरकार उन व्यापारियों से वसूल करने जा रही है । स्वयं सरकार बेईमानी सिखाती है । हो सकता है कि यह 10 रुपये बिहार सहायता के लिये हों या किसी और सहायता के लिए हों यह तो आप बतायें । इसके अलावा हम दूसरा सामान बाहर जाने देते हैं, चावल बाहर जाने देना चाहते हैं लेकिन उसके साथ शर्त यह है । इस प्रकार की धारणा राजस्थान की सरकार के प्रति समय समय पर बनती जा रही है कि वह दूसरे लोगों को बेईमान बनाने के लिये प्रेरित करती है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज खाद्य को खेती से अलग नहीं किया जा सकता । खाद्य और खेती यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । जब तक किसान को इन्सेंटिव नहीं मिलता है तब तक वह उत्पादन नहीं कर सकता और जब उत्पादन नहीं होगा तो खाद्यान्न का वितरण ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा और जब तक वितरण ठीक प्रकार से नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता । इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रोक्योरमेण्ट के आर्डर को आप समाप्त करें यह जजिया कर है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड प्रोबलम के संबंध में जो बहस जारी हुई है उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में दो तीन वर्षों से लगातार अकाल की छाया पड़ रही है उसकी वजह से जो कमी हमारे फूड प्रोडक्शन में आ रही है और जिसकी वजह से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और लोग-बाग उससे तकलीफ पा रहे हैं । उसका निदान करना या उस समस्या का किस प्रकार से हम हल करें उस संबंध में अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य समस्या एक राजस्थान की समस्या नहीं है बल्कि यह एक देश व्यापी समस्या है और जिसका हल हर प्रकार के उपाय करके

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हर प्रकार के लोगों की सहायता लेकर हम किस प्रकार से करें इसके बारे में हमको विचार करना है। सरकार और विरोधी दल द्वारा आपस की होड़ लगा कर कि कौनसी पार्टी ने व्यवस्था ठीक की है और कौनसी पार्टी ने व्यवस्था गलत की है इस प्रकार की व्याख्या करने से इस समस्या का हल नहीं होता। अभी माननीय विरोधी दल के नेता अपने भाषण में कह रहे थे कि इस समस्या का कारण हमको हल करना है तो उसके लिए सभी तरीके हमें अपनाने होंगे। खाद्य समस्या का हल किसी एक बात के ऊपर निर्भर नहीं करता। जैसा कि राजस्थान में 3-4 वर्षों से लगातार बरसात की कमी है हमने पिछले वर्षों में पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो आंकड़े समय समय पर प्रस्तुत किये हैं और उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो 1962-63 का साल जिसमें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा हुआ वह आंकड़े भी हमने यहां पर प्रस्तुत किये। उनके और 1965-66 म जिस प्रकार से हमारे यहां पर खाद्यान्न पैदा हुआ उसका जो फर्क हमको देखने को मिला उससे यह महसूस होता है कि राजस्थान के अन्दर 1962-63 के साल से इस 66-67 के साल तक की जो पैदावार है उसमें काफी गिरावट आई है और काफी कमी हुई है और इसके मुख्य कारण की खाद्य मंत्रीजी ने अपने नोट को प्रस्तुत करते समय भी व्याख्या की है कि उसमें जो गिरावट आई है उसका खास कारण पानी की कमी है और दूसरा कारण पोपुलेशन की बढ़ोतरी बताया है। जितनी हम अपनी योजनाओं के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं उससे भी ज्यादा हमारी पोपुलेशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से जितनी भी बढ़ोत्तरी हमने उत्पादन में की है वह कम नजर आती है। इसलिए यह फूड प्रोबलम दिनों दिन विकट होती जा रही है......

(2 म. प.)

तो इस प्रकार से इस समस्या का निदान हम किस प्रकार से करना चाहते हैं इसके सम्बन्ध में समय समय पर यहां पर सुझाव दिए गए हैं खास तौर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि इस सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकता है और जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सजग करें और जिस प्रकार की व्यवस्था देश में किसानों के साथ है, जो कि पैदावार बढ़ाने वाले लोग हैं हम उनकी मदद करें तो यह समस्या काफी मायने में हल हो सकती है। हालांकि यह प्राकृतिक प्रकोप हमारे देश में आया है, उसके ऊपर हमारा कोई कण्ट्रोल नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हम अगर इस बात पर ज्यादा ध्यान दें और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज्यादा सजग करें तो हम काफी मायने में इसके ऊपर कण्ट्रोल कर सकते हैं और इस समस्या को हल करने में काफी सहायता कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किस प्रकार से इस समस्या को हल करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय लागू किए हैं। हमने संकर बीज का उत्पादन करने की ओर ज्यादा से ज्यादा तवज्जोह दी है, किसानों का ध्यान इस ओर ज्यादा से ज्यादा दिलाने की कोशिश की है लेकिन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
मैं समझता हूं कि इस कार्य में भी उतने सही तौर से प्रयास नहीं किया जा रहा है कि जिसकी वजह से उत्पादन ज्यादा बढ़े।

इसी तरह से जितने भी उत्पादन बढ़ाने के तरीके हैं, खाद, बीज वगैरा उपलब्ध करना चाहिए, वह भी समय पर उपलब्ध नहीं होता और उसकी वजह से जितने प्रोडक्शन प्रोग्राम हैं, जितने लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक नोट प्रसारित किया गया था कि जो खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाने वाले साधन हैं, जैसे नाइट्रोजन, सुफर फास्फेट, खाद वगैरा किसानों को दिए जाते हैं, उनकी हमारे राजस्थान में काफी मात्रा में कमी है और उस कमी को हम अब तक पूरा नहीं कर पाये हैं। अब हमारी सरकार ने यहां पर इन चीजों का वितरण करने के लिए ऐसी मशीनरी को अपनाया है जो कि मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी या क्रय-विक्रय-संघ के द्वारा उसका वितरण करके उसको किसानों के पास पहुंचाया जाएगा। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक भी, जब कि हमारी खरीफ की फसल बोने में मुश्किल से महीना ड़ेढ महीना रहा है, जो खाद वगैरा हम उनके पास पहुंचाना चाहते हैं वह खाद अब तक सोसायटीज के पास नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से जो हम खरीफ की फसल बोयेंगे, उस खाद के अभाव में उसको काफी नुकसान होगा। सरकार को इस प्रकार का नियंत्रण रखना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी काश्तकारों को इस प्रकार की जो चीजें उनको मुहैय्या करनी है, उनको देनी हैं, वह उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी प्रकार से जो दवाइयां वगैरा हैं, जो कीटाणु नाशक दवाइयां या और प्रकार की व्यवस्थायें हैं जैसे कि स्टोर करने की व्यवस्था, वेयर हाउसिंग की स्कीम है, इसमें तमाम गांव गांव में इस प्रकार की अलग अलग स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे हम जिस अनाज को पैदा करते हैं उसको ठीक प्रकार से रख सकें। हमको अभी बड़े बड़े कदम उठाने हैं और जब तक इस प्रकार के कदम नहीं उठायेंगे, तब तक जो कमी हम महसूस करते हैं वही कमी, वाकई में जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा था कि यह कमी इस प्रकार की जो दिखने वाली कमी है, अगर हम सब तरफ से इसको महसूस करें और सही तरीके से जो कठिनाइयां हमारे सामने हैं, जो हमारा अनाज पैदा करते हैं वह किस प्रकार से वेस्ट होता है, खराब होता है, उन सब कारणों के अन्दर जाकर उन सब कारणों का समाधान करने की कोशिश करें, तभी जाकर हम यह जो कमी है उस कमी को पूरा कर सकते हैं।

एक दूसरा कारण यह भी है कि जब तक हम क्रेडिट फैसिलिटी काश्तकारों को पूरी तौर से उपलब्ध नहीं करेंगे तब तक उनकी प्रोडक्शन करने की शक्ति ज्यादा नहीं बढ़ सकेगी। मैंने पहले भी एक दफा निवेदन किया था कि हमारे यहां पर काश्तकारों को जिस प्रकार से लोन फैसिलिटी है तो उसमें या तो सहकारी समितियों को रखी है जहां से दो-तीन सौ रुपये मिल पाते हैं फसल के समय खाद बीज वगैरा खरीदने के लिए या तकावी लोन से हजार पांच सौ रुपये मिल जावें लेकिन वह भी समय पर उपलब्ध नहीं होते। क्रेडिट फैसिलिटी काश्तकारों की इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार से होनी चाहिये कि उनके लिए अलग से बैंक्स की स्थापना हो जो उनको हैसियत को कूत कर उनका खाता बैंक में खोला जाए ताकि समय पर जितना भी पैसा उनको चाहिये अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, खाद खरीदने के लिए, जमीन को तरक्की देने के लिए जो भी काम करना चाहते हों, उन कामों के लिए तमाम फैसिलिटीज इस प्रकार से उपलब्ध हों, तभी जाकर वह उत्पादन बढ़ाने में ज्यादा काम कर सकते हैं। इस प्रकार की फैसिलिटी जब तक उपलब्ध नहीं होती है वह तब तक यह खाली थोड़ी बहुत चीजें इस तरह से देकर हम चाहें कि पूरी तौर से प्रोडक्शन बढ़ जाय तो यह प्रोडक्शन बढ़ना असम्भव है। हमारे यहां पर हर प्रकार के कामों के अन्दर, जैसे कि बिजनेस कम्यूनिटि है या दूसरे प्रकार के लोग हैं जो पैसे वाले हैं उन्हें फाइनेन्स कोर्पोरेशन के द्वारा और बैंकों के द्वारा पैसा उधार मिल जाता है और उस उधार पैसे से तमाम बिजनस करते हैं और अपना काम ठीक प्रकार से चला पाते हैं, मगर यह जो तमाम हिन्दुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण काम है और जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और इस प्रोडक्शन बढ़ने पर ही देश की तमाम चीजें निर्भर करती हैं, चाहे मशीनरी की तरक्की का प्रश्न हो, उद्योग धन्धों की तरक्की का प्रश्न हो, इन सब के अन्दर जो रीढ की हड्डी है वह हमारा एग्रीगल्चर प्रोडक्शन है और इसकी जब तक ठीक प्रकार से हम मदद नहीं करते तब तक वह सारी की सारी व्यवस्था जो है, ठीक प्रकार से नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर हमें अपनी खाद्य समस्या को हल करना है और ठीक प्रकार से हल करना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी क्रेडिट फेसिलिटि एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए मुहय्या करनी पड़ेगी और उनको इस प्रकार की फेसिलिटि देनी पड़ेगी जिससे कि वह अच्छी तरह से पैदावार कर सकें और देश की मदद कर सकें।

जहां तक कि डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, हमारे यहां पर इन दो तीन सालों से बराबर कमी होती जा रही है और उस कमी की वजह कई हैं। जो प्राकृतिक चीजें हैं उन पर तो हमारा कण्ट्रोल नहीं है लेकिन उनके साथ साथ मैंने जैसा निवेदन किया कि कीटाणु नाशक दवाइयां और स्टोर की कमी होना भी है जिनकी वजह से भी यह कमी रहती है। इसके साथ साथ हमारे देश में समाज के दुश्मन लोग भी हैं जो कि इस डिस्ट्रिब्यूशन के तरीके को और ज्यादा संकटमय और विकट बना देते हैं। वे लोग होर्डर्स हैं जो ब्लेक मार्केट करने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए वह लोगों से सारी की सारी खाने की जो सामग्री है उसको खरीद कर नीचे गोदामों में भर देते हैं और हमारा जो इसके सम्बन्ध में काम करने वाला डिपार्टमेंट है, जो एन्फोर्समेंट मशीनरी है वह इतनी निकम्मी है कि उसने कहीं पर भी जाकर कभी भी इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जिससे कि इस प्रकार का ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, स्मगलिंग करने वाले और होर्डर्स जिनको कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जिनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, उनके खिलाफ आज तक कोई काम नहीं किया कि जिनकी वजह से जो माल नीचे दबा दिया जाता है उसको किसी प्रकार से निकाला जा सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

डिस्ट्रिब्यूशन की ओर जो सामान इकट्ठा करने की व्यवस्था है यह दोनों व्यवस्थायें ठीक नहीं हैं और जब तक हम इन दोनों व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करते तब तक इस खाद्यान्न की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते ।

यहां पर यह कहा गया कि हम बीस हजार टन लेवी के द्वारा अनाज इकट्ठा करके कुछ बफर स्टॉक बनाना चाहते हैं जिससे कि प्राईसेजं को डाउन ला सकें । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लेवी से आप बीस हजार टन इकट्ठा करना चाहते हैं मगर जैसा कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लेवी के द्वारा आप किसानों को किस प्रकार से पैसा देना चाहते हैं, जो पैसा आप देना चाहते हैं वह किस प्रकार से देंगे जब कि आज 120 और 125) रु. का भाव है, उसकी जगह पर आप उनको 64 और 75 रु. देकर उनसे अनाज खरीदना चाहते हैं । इस वर्ष तमाम राजस्थान में से 24 जिलों में अकाल है और जब कि 24 जिलों में अकाल है, उनमें भी आप जब लेवी वसूल करना चाहते हैं, लेवी का कोई मैं विरोधी नहीं हूँ, मगर लेवी के अन्दर भी जब कि वहां पर अकाल है और अकालग्रस्त क्षेत्रों से भी आप लेवी वसूल करना चाहते हैं तो या तो आपके अकाल के आंकडे झूठे हैं या आपकी वसूली झूठी है । दोनों में से कोई एक झूठा है । जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर आप लेवी वसूल करेंगे तो वह बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अकाल ग्रस्त एरिया हैं उसमें तो कम से कम लेवी वसूल नहीं होनी चाहिए । क्योंकि आपने देखा है कि बारिश भी कम हुई है, कुओं का लेवल भी नीचे चला गया और जो पानी आया था वह भी बहुत कम था जिसकी वजह से गेहूँ को जो चार पांच बार वाटरिंग मिलता था उसकी जगह एक दो बार ही पानी मिला है और इससे पैदावार भी पूरी नहीं हुई है । तो इसलिए इस प्रकार के एरियाज के अन्दर जो आप लेवी लगाने जा रहे हैं वह कभी भी वहां के लोगों को पसन्द नहीं होगी । आपको वहां से लेवी वसूल करने में भी दिक्कतें होंगी । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आपके कानून में कोई व्यवस्था नहीं कि इस प्रकार से जो फेमीन से इफेक्टेड एरियाज हैं उनको इसमें नहीं लिया जायगा । आपने दस जिलों में लेवी वसूल करने का निश्चय किया है इन दस जिलों में भी फेमीन अफेक्टेड एरिया है उसके लिये आपने सफाई कुछ नहीं दी है आया वहां भी लेवी वसूल की जायगी या नहीं की जायेगी । इस प्रकार से आपको इन एरियाज से लेवी वसूल करने में काफी कठिनाई होगी इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फेमीन अफेक्टेड एरियाज से लेवी वसूल न की जाय तो ज्यादा हित कर होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, लेवी वसूली के बजाय खाद्य निगम द्वारा तमाम मंडियों से बीस प्रतिशत अनाज खरीद करने के लिये कहा जाय पचास प्रतिशत अनाज छोड़ दिया जाय । तमाम मन्डियों में जितना भी गेहूं आता है वह खाद्य निगम द्वारा खरीद किया जाना चाहिये इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट उस अनाज को खरीदे । ताकि जो भी काश्तकार मंडी में अनाज बेचने जावे उसे उचित मूल्य मिल जाय, मार्केट रेट पर मूल्य मिल जाय । इस तरह से भी सरकार की मन्शा पूरी हो सकती

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हैं और काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा, उनका किसी भी प्रकार हेरेशमेन्ट नहीं होगा, और आप जितना वसूल करना चाहते हैं वह वसूली भी पूरी हो जायगी। ये जो तमाम चीजें आप करने जा रहे हैं उन्हें आप हाफ हार्टेड करने जा रहे हैं, आप इसमें दिल और दिमाग नहीं लगाना चाहते, आप कोई भी तरीका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आपका यदि इस बारे में दिमाग साफ हो तो आपको इस ट्रेड को नेशनेलाइज कर देना चाहिये। जब तक आप यह नहीं करते हैं तब तक आपकी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी। आप यदि खाद्य निगम द्वारा भी कराना चाहेंगे तो काश्तकार माल जमा कर लेगा बाजार में नहीं लायगा, जमीन के अन्दर दबा लेगा। यदि आप पूरी तरह से यह इरादा कर लेते हैं कि हमें इस व्यापार को नेशनेलाइज करना है तो आपके इस कदम से जहां काश्तकार को उचित मूल्य मिलेगा कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को फायदा होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था से ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय सदस्य मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं सरकार खाद्य निगम द्वारा अनाज खरीदे। आप किस तरह का सुझाव देना चाहते हैं आपका दिमाग भी साफ नहीं है। आप एक तरफ चाहते हैं कि जो जमाखोर हैं, स्मगलिंग करने वाले हैं उनको रोका जाना चाहिये आपका इसके बारे में क्या सुझाव है, आप इसके बारे में किस नीति को अपनाने को कहना चाहते हैं। कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर का इन्टरेस्ट बना रहे, अनाज वितरण की जो समस्या है उसका हल किस प्रकार कराना चाहते हैं उसके बारे में सुझाव दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लेवी के संबंध में यह नहीं कहा कि यह नहीं ली जानी चाहिये। लेकिन लेवी वसूल करने का जो आपने तरीका इस्तेमाल किया है वह तरीका न होकर के खाद्य निगम द्वारा आप अनाज खरीदें तो जो काश्तकारों का हरेशमेन्ट होने की है वह नहीं होगा।

इसके अलावा मैंने स्टेट ट्रेडिंग के बारे में भी कहा। आप इस ट्रेड को नेशनेलाइज करके पूरी तरह से अपना कन्ट्रोल करलें। इस व्यापार को अपने हाथ में ले लें तो यह समस्या स्मगलिंग की है, होल्डिंग की है, कालाबजारी की है वह सब रुक जाएगी लेकिन इसके लिये हिम्मत और हमारा दिल साफ होना चाहिये। हमें यह देखना है कि हम स्टेट ट्रेडिंग कर पायेंगे या नहीं। हमारे देश के सामने आज जिस प्रकार की समस्या आयी है, बहुत दिनों से यह हालात हमारे सामने नजर आते रहे हैं, जिस प्रकार के आंकड़े हमारे सामने रखे जाते रहे हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी और अफसर हैं जो इतने निकम्मे हैं जिनके पास माल भरा हुआ दिखता है उस पर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं उनको किसी प्रकार से खुश कर दिया जाता है। आपके स्टेट एनफोर्समेंट के अधिकारी हैं वे एक तरह से जनता पर भार के समान हैं। उनका कोई काम नहीं है। मैं तो इस मान्यता का हूं कि आज यदि यह विभाग न भी रखा जाय तो आज से तो कोई ज्यादा बदतर स्थिति होने वाली नहीं है। एक तरफ तो

Page No.60

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इनको रखने से सरकारी खजाने पर दबाव पड़ता है और दूसरी तरफ इससे जनता को कोई राहत नहीं मिलती। आज की जिस प्रकार की स्थिति है उसमें हमारे में यह हिम्मत होनी चाहिये कि इस व्यापार को हम अपने हाथ में लें और इसको सुचारु रूप से चलावें।

कई बार यह, स्टेट ट्रेडिंग का प्रश्न हमारे सामने आता है लेकिन हममें हिम्मत और हौसला नहीं जिससे हम इस व्यापार को एक दम अपने हाथ में ले लें। गलतियां हो सकती हैं लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं अगर हिम्मत और हौसले के साथ काम करते हैं तो वास्तव में जनता को राहत मिल सकती है और खाद्यान्न की कमी को काफी हद तक पूरा करना संभव हो सकता है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शक्कर का जो वितरण हो रहा है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। पहले हमारा आठ हजार टन का कोटा था उसके बाद 9 हजार टन का कर दिया गया। अब उसको घटाकर सात हजार टन का कर दिया गया। आज शक्कर की हालत यह है कि गांव वालों को यह एक प्रकार से मिलती ही नहीं। उनके लिये कहा जाता है कि वे तो गुड खाकर काम चला सकते हैं शहर वाले शक्कर खाने के आदी हैं उनको मिलनी चाहिये। शहर वालों को एक एक किलो शक्कर दी जाती है वहां गांव वालों को एक फेमिली को 500 ग्राम और कहीं कहीं तो सारी फेमिली को 750 ग्राम शक्कर मिलती है दूसरी तरफ 15 टन शक्कर हलवाइयों को दे रहे हैं जो ब्लैक मार्केट करते हैं और मिठाई दस रुपये किलो तक बेचते हैं। इस प्रकार से गलत परम्परायें डाल कर आप लोगों को इस प्रकार के कार्य को करने का प्रोत्साहन देते हैं। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के साथ जो आप का इस प्रकार का सौतेला व्यवहार है वह ठीक नहीं है। एक तरफ शहर वालों को पर हेड एक किलो शक्कर और हलवाईयों को मिठाई के लिये अलग शक्कर 515 टन देते हैं जो हर दूसरे महीने मिठाइयों के भाव बढ़ाते रहते हैं। वे उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चेष्टा करते हैं। हलवाइयों को इतनी शक्कर देने की क्या जरूरत है? एक तरफ तो लोग एक एक दो दो किलो के लिये तरसते रहते हैं दूसरी तरफ 515 टन शक्कर आप हलवाइयों को दे देते हैं। अगर उनको मिठाइयां बनानी ही हैं तो देशी बूरे से बनायें या अन्य साधनों से शक्कर लावें और मिठाइयां बनावें इसलिये गांव वालों को शक्कर देने के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये। गांव और शहर वालों को शक्कर देने में समान तरीका अपनाना चाहिये उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये। क्या गांव के लोग शक्कर खाना नहीं जानते, क्या शहर वाले ही खाने के आदी हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गांव वालों और शहर वालों के लिये हमेशा से भेदभाव की नीति रखी है चाहे डवलपमेंट का काम हो, चाहे स्कूल खोलने का काम हो हर चीज में भेदभाव रखा जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता। आप कम से कम खाद्यान्न के वितरण के संबंध में तो भेदभाव न रक्खें। हर व्यक्ति अपना पेट भरता है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था में भी फर्क रहता है तो वह ठीक प्रतीत नहीं होता। आपको शक्कर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
का वितरण ठीक प्रकार से करना चाहिये। जितना कोटा आप हलवाइयों को देना चाहते हैं वह बन्द करके लोगों को समान तरीके से दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आखातीज के सावे में गांवों में शादियां ज्यादा तादाद में में हुईं। आपके कानून के अनुसार सौ आदमी से ज्यादा का जीमण कोई नहीं कर सकता। कानून की तहत चार किलो और पांच किलो शक्कर लड़की की शादी के अन्दर दी जाती है। लेकिन ब्लेक मार्केट से वह शक्कर खरीद कर भोज करता है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर चोर बाजार में यह कहां से शक्कर आती है ? आपको चाहिए कि इसका वितरण इस प्रकार से करें ताकि लोगों को आराम से अपना कोटा मिल सके और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था हमको करनी है। फेमिन के एरिया में आपकी सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि 6 से 8 किलो जो फेमिन एरिया में वर्कर काम करेगा उसको खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 किलो ज्वार बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं। वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था के आदेश हैं कि 3 किलो ज्वार और 1 किलो गेहूं दिया जाय। गेहूँ तो वहां नदारद हो गया है और चार किलो ज्वार बड़ी मुश्किल से उनको मुहैया की जा रही है। आप सोच सकते हैं कि फेमिन में काम करने वाला लेबर है उसको 4 किलो ज्वार में कैसे पार पड़ सकता है। यह एक सोचने का विषय है।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से आप जिन लोगों को राहत देना चाहते हैं और जिन लोगों को सस्ते से सस्ते भाव में खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहते हैं उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा है वह उचित नहीं है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर फिर दुबारा गौर करके ज्यादे से ज्यादा अच्छे तरीके से इसके डिस्ट्रिब्यूशन की तरफ आप काम करेंगे।

शक्कर के संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज बाजारों के अन्दर जायं तो 5 रु. और साढे चार रुपये किलो के भाव में अगर आप मणों शक्कर लेना चाहें तो उपलब्ध हो सकती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह किस प्रकार की व्यवस्था है कि शक्कर मणों आज लोगों को ब्लैक मार्केट के अन्दर उपलब्ध हो जाय और आप उसका समाधान नहीं कर सकें। यह सारा काम होलसेलर्स का है। आपने होलसेलर्स इस प्रकार के नियुक्त किये हैं कि वे गांवों के अन्दर के जो व्यापारी हैं उन लोगों को भी खराब करते हैं और जो डिस्ट्रिब्यूशन के लिए शक्कर दी जाती है उसको वहां पर ही रोक कर गलत तरीके से निकलाने की कोशिश करते हैं। तो सारी की सारी व्यवस्था आपको अच्छे तरीके से और सुचारु रूप से देखनी है जिससे लोगों को चीजें सही भाव से और सही तरीके से मिल सकें। इसके लिए अगर आपको सख्त से सख्त कदम भी उठाना पड़े तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह हिच-किचाहट एक ऐसी चीज है कि जिससे सारी खराबियां पैदा हो रही हैं और लोगों को कहने

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
का मौका मिलता है । गड़बड़ तो दूसरे लोग करते हैं--व्यापारी और दूसरे तरीके के लोग होते हैं और बदनाम होती है सरकार वे दूसरी पार्टी को विलांग करते हैं और बदनाम करते हैं कांग्रेस को । इस प्रकार के लोगों के साथ सख्त से सख्त व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है । इसमें सरकार के मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी भी ब्लेक मार्केटियर्स के साथ मिली हुई है और उसका व जह से सारी की सारी गलत फहमियां हों और यह तोहमत सरकार के ऊपर लगाई जाती है । यह गलत चीज है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं को इस चीज को मिटाना है और खाद्यान्न सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनना है, ज्यादे से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ज्यादे से ज्यादा सही तरीके से वितरण करना है, तो सब लोगों को समान तरीके से खाद्यान्न बांटने की व्यवस्था करनी है । सरकारी मशीनरी में जो गलत तरीके के लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा और जो गलत तत्व इसमें घुस गये हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी, तब जाकर सारी व्यवस्था ठीक होगी वर्ना चाहे आप भाषण दीजिये या नोट प्रसारित कीजिये उससे खाद्यान्न की कमी पूरी नहीं होने वाली है । हमको काम करना है और सही तरीके से करना है और समाज-वादी व्यवस्था ज्यादे से ज्यादे अच्छे तरीके से पनपानी है तो हमको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा जिससे कि सब लोगों को ठीक भाव से, अच्छे तरीके से, सरल तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, शक्कर उपलब्ध हो सके और सारी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें । इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तब जाकर सही मायने में हम इस समस्या का समाधान कर सकेंगे ।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय,..

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय और साथियों,..

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : वे उपाध्यक्ष हैं पर अभी अध्यक्ष के स्थान पर हैं । मैं इसीलिए अध्यक्ष कह रहा हूं ।

एक बच्चे ने सारे साल महनत की और परीक्षा में बैठा और जब नतीजा आया तो पांचों में ही फेल । जो प्रगति विवरण आज हमने देखा है इसके साथ में यह दोहा होता तो अच्छा रहता--

"खांड गई घी भी बल्यो यो कांई राज,
दुर्लभ हो गई देश में डली गोल की आज ।"

आज गुड़ की डली भी मंहगी हो गई है ।

"मिरचां तक भी देश में मंहगी हुई अपार,
है गरीब अब ग्रास तू पाणी पीर उतार ।"

मिर्चियां भी नहीं रही हैं और गरीब आदमी को पानी से रोटी खानी पड़ रही है । लगता है कि पानी भी अब शायद अमेरिका से आयेगा । हालत यहां तक हो गई है कि हम और आप अगर आंकड़े देखें तो हर साल बाहर से गेहूं ज्यादा आता है । मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर शर्म और दुःख की बात और दूसरी नहीं हो सकती । मैंने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अभी माननीय कृषि-मंत्रीजी से प्रश्न किया कि जैतपुर बान्ध कब बनेगा तो उन्होंने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जैतपुर बान्ध नहीं लिया गया है। आज मांडलगढ तहसील भीलवाड़े जिले में 10 नदियां बहती हैं लेकिन आज तक उस जिले में एक भी बान्ध नहीं बना है। हम और आप और किसी ओर ध्यान नहीं देकर केवल इस तरफ ज्यादा ध्यान देते कि कहां पर बान्ध बनायें, कहां पर तालाब बनायें और कहां पर एनीकट बना सकते हैं, अगर इस ओर ध्यान दिया होता तो एक भी दाना अन्न का हमें विदेशों से नहीं मंगाना पड़ता। आपने विनाश खण्ड खोले, माफ करें आप जिसको विकास खंड कहते हैं उसको मैं विनाश खंड कहता हूं। पहले भी बान्ध बनते थे, मंदिर बनते थे, कुए बनते थे मगर किसी से मदद नहीं मांगते थे। आज स्थिति यह हो गई है कि आज हम जाते हैं विकास अधिकारी के पास कि विकास अधिकारी जी हमें खेल बनानी है इसमें आप कितना अनुदान देंगे, हमको अमुक चीज बनानी है उसमें आप कितना अनुदान देंगे। वे कहते हैं कि आपको इतना श्रमदान करना पड़ेगा तो झूठे आंकड़े देने की वे तरकीब बता देते हैं कि ढाई रुपये की मजदूरी लगा दो भले ही डेढ रुपया मजदूर को दो और एक रुपया श्रमदान में आजायेगा। आज सारे का सारा आधार जमीन पर आगया है। ग्रामोद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। शहरों में खुशहाली हो रही है और ग्राम उजड रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं जाता है।

तो मैं, माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि कृपा करके पूरी शक्ति इस तरफ लगा दें कि कहां पर बान्ध बना सकते हैं और कहां पर तालाब।

अब आप लगान बन्द करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह हो जायगा या नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जो आपका पवित्र टैक्स है जिसके कारण राज्य का काम चल रहा है उस टैक्स को बन्द करना चाहते हैं और जो आपको मिट्टी में मिला रहा है, गलत रास्ते पर लगा रहा है शराब के टैक्स को आप जीवित रखना चाहते हैं। यह कितने शर्म और दुःख की बात है। लगान का टैक्स आप मत रखिये और सारा पैसा बान्धों के निर्माण में लगा दें तो आप देखेंगे कि क्या हालत होती है?

आप लेवी वसूल करने जा रहे हैं 60 रु. से 71 रु. के भाव में और बजार में गेहूं मिलता है सवा सौ के भाव में। 71 रु. ऊंचे से ऊंचा भाव है उस भाव में देगा कौन आपको। जो खर्चा लगेगा वह कितना होगा एक तरफ तो असन्तोष बढ़ेगा और पूरी लेवी वसूल नहीं होगी और बाद में आप हिसाब देखेंगे तो पता लगेगा कि कुल मिलाकर 71 रु. में लेने के बाद भी आपको घाटा हुआ है। इसलिए कृपा करके इस लेवी के झगड़े में न पड़ें। एक तरफ अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी लगा रहे हैं तो हमारी तरफ से कहा है कि वहां पर कांग्रेस विरोध कर रही है और यहां लगा रहे हैं तो वे विरोध कर रहे हैं। आपको और हमको मिलकर यह सोचना है कि अन्न का उत्पादन कैसे बढ़े और गांधी शताब्दि तक वह वक्त आजाय कि अन्न का एक दाना भी हम बाहर से नहीं मंगायें और जो कुछ भी हम

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
देश में पैदा करें उससे काम चलायें। आज केश क्रोप का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। मैं अपने गांव की बात कहता हूं सांगानेर की जो कि भीलवाड़े जिले में है। वहां पर 5-5 बीघा में तम्बाखू बोई जाती है और अन्न बाहर से मंगाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तम्बाखू बाहर से मंगानी पड़ेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप तो कल से यह भी कहेंगे कि शराब बाहर से मंगानी पड़ेगी अगर मोलासेज नहीं होंगे। तो देखना यह है कि सबसे अधिक जरूरियात किस चीज की है। तो अनाज ज्यादा जरूरी है। अनाज कैसे ज्यादा बढ़े इस मामले में हमें सोचना पड़ेगा।

मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा और एक बार फिर बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि भैरोंसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि खाद्यान्न के बारे में कुछ भी प्रगति नहीं हुई है उसका मैं समर्थन करता हूं। हम बहुत पीछे हटे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि गांधी शताब्दि तक हम अन्न के मामले में कैसे सेल्फ सफिशियेन्ट हों और बाहर से एक भी दाना नहीं मंगाना पड़े और बाहर से अधिक से अधिक अन्न मंगाना पड़ा तो हमारी हालत खराब होगी, इसमें कोई शक नहीं है हम पतित बन जायेंगे। मैंने अभी सुना अभी कि बाहर से दूध आयेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें हमारी इज्जत बाहर नहीं बढ़ती इसमें कोई राय दो नहीं है कि आज कपड़ा हमारे यहां बाहर से आता है आज दूध हमारे यहां बाहर से आता है, और मैंने यह भी सुना कि मांस-गोस्त भी हमारे यहां बाहर से आता है। तो इस कारण ही हमारी बाहर कोई इज्जत नहीं करता है। बाहर के लोग अपने बच्चों का और अपना पेट काट कर उनके और अपने नाश्ते में कटौती करके हमें भेजते रहें और हमें भीख के रूप में वह मिलता रहे, और हम उसके लिए भी गर्व अनुभव करते रहें। यह मेरे ख्याल में शोभनीय बात नहीं है। इसलिए आइये, हमारा आज की स्थिति में केवल एक ही नारा होना चाहिए कि बाहर से अनाज नहीं आयेगा। मैं आपको कहता हूं कि अमरीका जिस दिन अनाज हमारे यहां भेजना बन्द कर देगा तो हो सकता है कि कई लाख या करोड़ आदमी यहां के मर जाय लेकिन उस दिन से ही हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और उस दिन से ही जो अनाज पैदा करने वाले हैं वह ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करेंगे और उद्योग वगैरह में जाने वाले हैं वह उद्योग में जायेंगे। उस दिन ही सब जमीन के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। आज स्थिति यह है कि जितने ग्रामोद्योग हैं वह तो बन्द हो गए हैं और सारा भार आज खेती के ऊपर आ गया है। इस तरह से खेती पर निर्भर रहने से देश का काम कैसे चलेगा मेरी राय में इन दोनों में आपको समन्वय बैठाना पड़ेगा। आज जितने परिमाण में केश-क्रोप बोई जाती है, उसके लिए आपको एक तादाद मुकर्रर करनी पड़ेगी कि इतनी भूमि से अधिक में कोई केश-क्रोप नहीं बोयेगा और जो खेती है उसमें वह अधिक से अधिक उत्पादन करेगा। आप लेवी लेना चाहते हैं तो लेवी आप उनसे लीजिये, जिन्होंने अपने खेत में तम्बाकू बोई है, लेवी उनसे लीजिये जिन्होंने अपने खेत में गन्ना बोया है। उसके बाद में आप भावों को सस्ता रखिये तो फिर आप देखिये कि अगली बार कोई तम्बाकू

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
नहीं बोयेगा, कोई गन्ना नहीं बोयेगा । सब लोग समझ जायेंगे कि हमें आज अपने खेतों में अधिक गेहूं बोना है, मक्की बोनी है, ज्वार बोनी है ।

मैं अधिक वक्त न लेकर, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार प्रगट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुवालाल !

श्री सुवालाल (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष बात तो आपको नहीं कहना चाहता। मेरे को इस बात का काफी दुःख हुआ कि हमारे किसान के घर से पैदा हमारे खाद्य मन्त्री महोदय हैं, पर मेरी समझ में नहीं आता कि आप किसान के घर से पैदा हुए हैं और सारी स्थिति किसानों की आपसे छिपी नहीं है लेकिन यह क्यों आपका किसान के साथ में इस तरह का व्यवहार है। पिछले टाइम भी यही व्यवहार रहा कि एक ओर का छीन कर आप दूसरी ओर दे रहे हैं। आप किसान से गल्ला लेना चाहते हैं, उसके लिए यह बात तो सही है कि जिस देश में जो चीज पैदा होती है वह सारे व्यक्तियों के काम में आनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि भूखा आदमी कोई नहीं रहे––इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन जिस तरह से आप गल्ले की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिस तरह से आप गल्ला लेना चाहते हैं उसी तरह से आप किसानों की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। यह कहां का न्याय है, आप से आठ साल पहले और दो साल पहले खेती के औजारों की जो कीमत थी, वह कीमत सरकार के टैक्सों के कारण से चौगुनी हो गई है। मैं खुद एक किसान हूं, मैं जानता हूं कि जो पहले पन्द्रह रुपये में मैं खाद ले रहा था उसके लिए मुझे आज बीस-पच्चीस रुपये देने पड़ रहे हैं। आप देखिये कि खेती के काम में आने वाला बीज है, खाद है और अन्य औजार हैं, उनकी कीमत पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो केवल जमीन से ही तो किसान खेती कर नहीं सकता. जमीन के ऊपर किसान ने महनत करके, यदि उसे कुओं से अच्छा पानी नहीं मिलता है, तालाब से पानी नहीं मिलता है, तो भी महनत करके, अपने बच्चों का पेट काट कर किसी तरह से चार-छः आने गल्ला पैदा किया है तो उससे आप लेवी लेना चाहते हैं। आप उससे जरूर लेवी लीजिये, आप जरूर उससे गल्ला लीजिये, वैसे भी यदि किसान के पास में गल्ला बेशी रहेगा तो वह उसका खाद बनाने वाला नहीं है, देश के अन्दर जो खाद्य समस्या है उसको हल करने के लिए अपनी पीठ के ऊपर, जो व्यक्ति अन्न पैदा नहीं करते हैं उनका बोझ उठाये किसान ले जा रहा है, वह अपने कन्धों पर और अपनी पीठ पर उनको लाद कर ले जा रहा है, लेकिन आप को यह सोचना चाहिये कि उसके कन्धों पर इतने करों का और इतनी ज्यादा कीमतों का भार न हो जिसको वह सहन नहीं कर सके। आप उससे जरूर लेवी लीजिये लेकिन वह जो महनत करता है उसकी महनत की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये । आज बाजार में गेहूं 125 रुपये क्विन्टल मिलता है लेकिन आप आज किसान को 64, 65 और 71 रुपये देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आज राजस्थान के किसानों की हालत गरीबी की है–इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है लेकिन

(श्री सुवालाल)
इस तरह तो हम गरीब को और गरीब कर रहे हैं। इसलिये आप जो कम कीमत पर लाजिमी तौर पर गेहूं लेना चाहते हैं, यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है। वैसे राम करे सो हो। मिनिस्टरी आपको मिली है, राज्य आपको मिला है तो किसानों की जो आज गरीबी की हालत है, उसमें आप पांच साल में जो लेना चाहते हैं वह लें, मनमाने ढंग से टैक्स लें, मनमाने ढंग से भाव निर्धारित करें। यह आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन मैं आपकी इस कार्यवाही के विरुद्ध हूं यदि गल्ला लेने की नीति है तो बाजार में जिसके पास में गल्ला है, जो मण्डी में गल्ला बेचने जाता है उससे आप सीधा खरीदिए। आप उसको कहिये कि आपका जो खाद्य निगम है उसकी जो स्कीम है उसके अनुसार उसको दीजिए। इस तरह तो किसान राजी-खुशी देगा–इसमें दो राय नहीं हो सकती है। इसलिये मेरा कहना है कि यदि किसानों की खेती की पैदावार को आप वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं, यदि उनकी आर्थिक स्थिति को आप आगे लाना चाहते हैं, और जैसा कि आप कहते हैं कि गांवों का किसान खुशहाल हो क्योंकि यदि किसानों की हालत ठीक होगी तो बाकी के लोगों की भी होगी–तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा।

एक तरफ तो आप यह कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ वह जो मेहनत करके उत्पादन करता है उसकी कमाई को स तरह आप कीमत आंकते हैं। अगर उसकी मेहनत की कीमत आंकनी है तो आप खेतों में जाइये और मेहनत कीजिये और फिर देखिये कि किस तरह से आज किसान अपने खेत में पैदावार करता है। मैं खुद एक किसान हूं। मेरे पास में एक कुआं है। लेकिन मैं जहां पहले दस बीघा जमीन की सिंचाई करता था, मैं आपको सच बताता हूं कि उस कुएं से आज पांच-छः बीघा जमीन की सिंचाई कर पाता हूं। इसके अलावा जहां पहले पांच-छः बीघा में मैं पांच पानी देता था वहां मुझे अब तीन पानी देने पड़ते हैं। यह इसलिये कि कुएं में पानी नहीं है। जब मेरी खुद की यह हालत है तो दूसरे किसानों की क्या हालत होगी जिनके पास में कुएं नहीं हैं, जिनके पास में सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप किसानों की हालत को सुधारना चाहते हैं, और लोगों के खाने के लिए गल्ला इकट्ठा करना चाहते हैं सही मायने में तो जितने भी आपके खर्चे हैं उनको बन्द करना चाहिये। आप वह खर्च करें उस स्थिति में जब कि आज हमारे देश के लोग भूख से मर रहे हैं, भूखे लोग गल्ले के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिये ऐसी फिजूल खर्ची, जिसकी आज आवश्यकता नहीं है, को बन्द कर दीजिये, आप अपनी तनख्वाहों में कटौती कर दीजिये और जो अन्य खर्चे हैं उनमें कटौती कर दीजिये। यह ठीक है कि आज किसानों के पास में जमीन है लेकिन खाली जमीन से तो पैदा नहीं होता है। जिस किसान के पास में जमीन है, उसको पानी मिलता है, बीज मिलता है, खाद मिलता है तो वह पैदा कर सकता है। यदि यह न मिले तो पैदावार नहीं होती है। इसलिये राजस्थान में किसानों के लिये हर लेवल पर, हर क्षेत्र के लेवल पर आपकी तरफ से इस तरह का फण्ड होना चाहिये। इस तरह की योजना होनी चाहिये कि किसी तहसील में या किसी गांव में कुएं खोदने हों, सिंचाई के साधन

(श्री सुवालाल)
बनाने हों, बांध बनाने हों, नाले को रोकना हो-तो यह सब करके पानी की व्यवस्था ठीक तरह से हो सके। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

आज किसान के पास जमीन है-इसमें दो राय नहीं हो सकती लेकिन आप सिंचाई के लिये पानी का साधन नहीं दे पाये हैं। हर किसान के पास में नदी-नाले नहीं बन्धते हैं बांध नहीं बनते हैं इसलिये किसानों के पास है, इतनी मात्रा में कुए होने चाहिये कि कम से कम बह बीस-पच्चीस बीघा जमीन को सिंचित कर सके। इससे न तो बाहर के देशों की ओर गेहूं के लिये देखना पड़ेगा और न यहां पर इस तरह से बहस मुबाहिशा करना पड़ेगा, और न मन्त्री महोदय को यह कहना पड़ेगा कि आप किसान होकर इस तरह से किसानों के साथ व्यवहार क्यों करते हैं। वैसे मन्त्री महोदय भी मजबूर हैं। इधर से हम कहते हैं कि जो खाद्य मन्त्री हैं वह किसान होते हुए, किसान की हालत को जानते हुए भी इस तरह से करते हैं। इस तरह तमाम भलाई-बुराई तो परसरामजी पर डालना चाहते हैं। लकिन कहां गये इनके कांग्रेस के साथी जो इनको मीटिंग में बैठ कर यह हालत करना चाहते हैं। मन्त्री महोदय किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जैसा कि गिरधारीलालजी ने कहा वैसा इनको कांग्रेस वालों की बात ही मान लेनी चाहिये कि लेवी लेने से पहले किसानों की हालत पर ध्यान देकर उनकी हालत को सुधारें। ऐसा करते हैं तो आपको गल्ला मिलेगा और देश में खाद्य समस्या भी हल होगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमीलाल।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड): उपाध्यक्ष महोदय, इस लेवी के बारे में जब हमारे यहां बहरोड क्षेत्र में चर्चा चल रही थी कि लवी वसूल की जा रही है तो उसके पहले किसानों की हालत की तरफ देखना जरूरी है। आज किसानों के पास अनाज खुद के खाने के लिये नहीं है। हम हमेशा यहां बैठ कर के यह सोचते हैं कि हमारे प्रान्त के लोग अपने प्रतिनिधियों को असेम्बली में इसलिये भेजते हैं कि वह वहां जाकर गांवों की तरक्की करेंगे और खास तौर से जो हमारे देश में अनाज की समस्या चल रही है, उसको हल करके कम से कम यह स्थिति कर देंगे कि एक मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिये अनाज मिल जाय। अनाज देना वैसे सरकार का एक परम कर्त्तव्य भी है लेकिन जब हम देखते हैं कि किसानों की बात चुनावों के दिनों में करते हैं, किसानों की बात जब हम कोई भी सभा करते हैं उस समय करते हैं, कोई कांफ्रेन्स करते हैं तो सबसे पहले हम किसानों और मजदूरों के नारे देते हैं लेकिन जब उनके सम्बन्ध में कोई समस्या और प्रश्न आता है और उनसे कहा जाता है मजदूरों की दशा सुधारने के लिये जो भी आप बजट रखते हैं उसको भी आप काट देते हैं, उसको भी पूरा नहीं करते।

सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह समय चल रहा है वह कुए बनाने का समय चल रहा है। कुए बनाने के लिये सीमेन्ट की सबसे पहली जरूरत है और वह सीमेन्ट बिल्कुल किसानों को नहीं मिल रही है। अगर सीमेन्ट उनको नहीं मिलेगी तो सिंचाई का प्रबन्ध कैसे चलेगा और जो किसान अपने अंग की महनत और बैलों की महनत से पैदा करते हैं वह भी नहीं कर सकेंगे और उनसे भी महरूम रह जायेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि बिजली के तार एक आध जगह लगा दिये जाते हैं। हम पूछते हैं कि हमारे गांव में बिजली

(श्री अमीलाल यादव)

कितने दिनों में मिल जावेगी तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। बिजली के तार एक गांव में 20-25 मील तक बढ़ा देते हैं और उस 20–25 मील के बीच के गांवों में कोई इन्तजाम नहीं होता। उन गांवों को छोड़ दिया जाता है। इसलिये मैं कोन्क्रीट सुझाव देता हूं कि अगर हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है तो सबसे पहले छोटी मोटी प्रशासनिक बातें हैं जिनको हम अपने पास बैठ कर, जो हमारे हाथों में है और जो बजट हमारी सरकार देती है उसका सही माने में उपयोग करें और चीजें उपलब्ध कर दें तो मैं समझता हूं कि अनाज की समस्या हल हो जाती है।

जैसा मैंने निवेदन किया कि किसानों के लिये सीमेन्ट है। वह अगर पूरी मात्रा में किसानों को दे दिया जावे तो किसान अपने कुओं को ठीक करा सकते हैं और कोई भी किसान यह नहीं चाहता कि उसका कुआ अधूरा पड़ा रहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि उन लोगों को सीमेन्ट नहीं मिलती। मेरे पास रोजाना पचासों किसान आते हैं जिनके कुए अधूरे पड़े हुए हैं और सीमेन्ट मिल जाए तो पूरे हो सकते हैं और जिनको मैंने खुद ने दौरा करके देखा है। जहां पर कुए सीमेन्ट नहीं मिलने की वजह से अधूरे पड़े हैं वहां के लोग अपने खेतों की उपज नहीं बढ़ा सकते हैं।

जहां तक बीज का प्रश्न है। बीज की खरीद दारी की जाती है उसमें कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है। मैंने खुद ने अनुभव किया है और देखा है कि एक दो साथ में खरीदने के लिये चले जाते हैं और कृषि विभाग से किस तरह से उनका वितरण होता है। जिस समय बीजोरी खतम हो जाती है उस समय बीज खरीद कर दिया जाता है।

खाद की समस्या यह है कि आपकी तरफ से कहा जाता है कि खाद तो बन्द हो गया है। इसके अलावा जिस तरह वितरण करने का तरीका आपने निकाला है वह यह है कि सड़क पर आये हुए गांव हैं उन में तो एक आध ट्रक आप भेज देते हैं और इन्टीरीयर के गांव हैं उस में कुछ भी खाद नहीं दिया जाता है और जब खाद के लिये मांग की जाती है तो प्रतिनिधि को कहा जाता है कि इसलिये नहीं मिलता कि यहां से कांग्रेस हार गई। अगर कांग्रेस के किसी स्थान पर हार जाने से ही कोई चीज नहीं देना है तो फिर वहां पर आप अनाज की समस्या को किस तरह से हल करते हैं। आप यह कहिये कि इतने आदमियों को ही खाना खिलाना है और दूसरों को नहीं। मगर मैं यह कहूंगा कि आपको इस भावना को दूर करके ही काम करना चाहिये।

संक्षेप में मैंने दो बातें कहीं, एक तो सीमेन्ट और दूसरी बीज और खाद, यह किसानों को समय पर पहुंचानी चाहिये। अभी समय है इसलिये सम्बन्धित मन्त्री महोदय को चाहिये कि सीमेन्ट और बीज और खाद किसानों के पास समय पर पहुंचाने का प्रबन्ध करें।

दूसरी बात तकाबी की है। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस जगह पर धान नहीं दिया जाता है वहां तकावी की क्या बात करें। मैं अपनी बहरोड़ तहसील के लिए निवेदन करूंगा। वहां पर 134 गांवों में अनाज नहीं दिया जा रहा है। क्या सभी गांव जो 134 हैं जैसे

(श्री अमीलाल यादव)

मांडल है, एक मील के बोर्डर पर है, राजपुर है और बडे बडे गांव हैं जिनमें एक फसल आधे गांव में होती है और दूसरे गांव में खराब है और यह कहा गया है कि उनको अनाज नहीं दिया जायगा। अभी एक सरकुलर निकला एस. डी. एम. से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आप परमिट क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि 134 गांवों में किसी प्रकार का अनाज का परमिट नहीं दिया जावेगा। इस प्रकार का ऊपर से सरकुलर आया हुआ है। मैंने कहा कि कलेक्टर को अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि यह तो ऊपर से आदेश है। ये 134 गांव पांच मील के बोर्डर एरिया में हैं इनमें अनाज नहीं दिया जावेगा जब मैं कलेक्टर से जा कर मिला। आप एक तरफ तो अनाज की समस्या हल करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोगों को भूखे मारने की बात करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राज्य में कम से कम कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिये लेकिन दूसरी ओर से आप उनको अनाज नहीं देने के लिये ऐसे सरकूलर जारी करते हैं कि उनको अनाज नहीं दिया जावे। लेकिन इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें न तो कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाता है और न लाइसेन्स होल्डर को दिया जाता है। इसके लिये यह कहा जाता है कि यह 10 मील का बोर्डर एरिया है इसलिये न जौ, न चना और न बाजरा दिया जावेगा। उन्होंने यह कहा कि अगर आप चाहें तो 6 मन आटा दिया जा सकता है। परमिट से ले सकते हैं। बहरोड में मार्शियल रेश के लोग रहते हैं। वे मिलिट्री में रहते हैं और उनके 5-7 बच्चे और औरतें यहां घर पर रहती हैं। वे 5 मण आटा अलवर से परमिट से लेकर आवें और वह भी किस तरह परमिट काट लेगा, पहले पटवारी से तसदीक कराइए और फिर पंचायत अधिकारी से और फिर वह अलवर जा कर आटा लावे तो यह जो तरीका परमिट से आटा देने का अख्तयार किया गया है वह जनता के लिये बहुत ही दुखदाई है और वास्तव में इससे नीडी पर्सन्स को राहत नहीं मिलती है।

आप यह चाहते हैं कि अनाज बाहर नहीं निकलना चाहिये। मैं भी यही कहता हूं कि यह ठीक बात है कि अनाज बाहर नहीं निकले लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस समय अनाज बाहर जा रहा था उस समय ट्रक के ट्रक लेजाने के लिय परमिट जारी हो गये और आज वास्तव में जब लोगों को खाने के लिये जरूरत है और लोगों को भूख से बचाने के लिये अनाज की जरूरत है तो उनको नहीं दिया जा रहा है। मैंने कलेक्टर और एस. डी. एम. से इस बारे में कहा कि इस सम्बन्ध में ग्राम सेवक, स्कूल टीचर, सरपंच और पटवारी आदि जो आपके यहां रहते हैं आप कम से कम उनकी एक कमेटी बना कर तसल्ली तो कर लें और फिर उनको अनाज दे दिया जावे जिनको आपने बोर्डर एरिया पर होने के कारण बन्द कर दिया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय कि अगर उनको इस समय अनाज नहीं पहुंचा तो बाद में वर्षा शुरू हो जावेगी और हमारे यहां साबी नदी बहती है और उस वजह से किशनगढ़, तिजारा और अलवर से जो नाज आता है वह उस समय ऊंटों और गाडियों से नहीं आ सकेगा। अगर बहरोड तहसील में अनाज मंगाया जा सकता है तो इन दो महीनों में ही मंगाया जा सकता है। मैं कहता हूं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करिये। अगर कोई अनाज बाहर ले जाता है तो उसको सजा दीजियेगा और

(श्री अमीलाल यादव)

वास्तव में जिन लोगों को जरूरत है उनको मिलना चाहिये । और आपने जो परमिट सिस्टम जारी किया है वह सरल होना चाहिये। आपको एक आदमी की तसदीक पर परमिट दे देना चाहिये । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर अनाज पहुंचाने का प्रबन्ध माननीय मन्त्री महोदय करवायेंगे ।

जो लेवी ली जा रही है उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर आलरेडी लोग इतने भूखे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है । किसी के पास अगर एक दो मन फालतू अनाज हुआ है तो जब आप 125) रु० क्विन्टल के गेहूं खरीद कर 65) दिलायेंगे तो उन पर आप 50) या 60) प्रति क्विन्टल कम देंगे । इसका मतलब यह हुआ कि प्रति क्विन्टल के हिसाब से 50) 60) का चन्दा हुआ । यह उसके साथ न्याय नहीं हुआ कि वह दूसरे से महंगे भाव पर खरीद कर अनाज लायें और आपको सस्ते भाव पर दे, परमिट से वह अगर लाना चाहे तो परमिट मिलता नहीं, तो इस तरह से तो आप खुद उन गरीब लोगों से बेईमानी करवाना चाहते हैं । इसके बजाय तो यह अच्छा होगा कि लेवी के बजाय उन लोगों से चन्दा ले लीजिये । जहां बहुतायत में गेहूं पैदा हुआ है वहां आप लेवी ले लीजिये ताकि लोगों को बेईमान नहीं बनना पड़े और किसी को कष्ट न हो । हां, आप पहले जांच करवा लीजिये, पटवारियों के जरिये से या आपकी और मशीनरी से जांच करवा लीजिये कि वास्तव में उन लोगों के पास गेहूं पडा हुआ है या नहीं, दो एकड़ से अधिक में उसने गेहूं बोया भी है या नहीं । 5 भाई हैं और उनके परिवार के लोगों का 30 आदमियों का कुनबा है, उन्होंने 2 एकड़ में गेहूं बोया और दो एकड़ में 15 मन गेहूं हुआ है, उनसे आप 5 मन गेहूं 65) रुपयों के भाव से लेवी में ले लेंगे । इतने बड़े परिवार में इतना सा गेहूं दो ही महीनों में खत्म हो जाता है, कुछ शादी में खर्च हो जाता है, तो कुछ रिश्तेदारों में खर्च हो जाता है, बारहों महीने उन लोगों को गेहूं खाने को उपलब्ध नहीं होता, उनसे आप 65) रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से लेवी ले रहे हैं तो यह किसानों के साथ, जिन किसानों के नारे से आप जीत कर आते हैं, जिन किसानों की तरक्की का दम भरते हैं, उन किसानों के साथ यह बड़ी ज्यादती है । आपको लेवी लेना ही था तो आप 6 महीने का नोटिस देते खेती के वक्त में ही कहते कि हम लेवी लेंगे । अब सब लोगों ने अपना अनाज बेच दिया, विवाह शादी के लिये पैसा कर लिया, उनके पास जब है ही नहीं तो वे लोग कैसे देंगे ? तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस लेवी को खत्म करना चाहिये और खास तौर से बैंड एरिया है, वहां तो लेवी को खत्म करना ही चाहिये । इसके साथ ही साथ फेमिली मेम्बर्स के आधार पर देखना चाहिये कि किसके कितनी पैदायश हुई है, उनके लिये कितनी आवश्यकता है और उसी आधार पर लेवी लेनी चाहिये, जो बाजार भाव है, उसी कीमत पर किसानों से लेवी लेनी चाहिये । नहीं तो यह किसानों के साथ बड़ी ज्यादती होगी ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले इम्पोर्टेड ह्वीट कस्बों में जाता था, वह अब कस्बों में जाना बन्द हो गया है, वहां अनाज के परमिट भी बन्द हो गये हैं । बहरोड जैसे कस्बे में जहां 80-90 प्रतिशत नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, जहां चार सौ, पांच सौ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स रह रहे हैं, जहां कृषि एरिया नहीं है, वहां मंडी में 10 माइल के एरिया के

(श्री अमीलाल यादव)
गांवों में पुलिस की इतनी ज्यादती चल रही है कि मंडी से कपड़ा खरीदने के लिये यदि कोई गरीब जौ ले कर जा रहा है तो उसको पकड़ लिया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहरोड तहसील के लिये जांच की जाय कि कहां कितनी पैदावार हुई है, किन गांवों में बिलकुल सूखा है, कहां एक ही काश्त होती है। जयकृष्णजी जानते हैं कि प्रतापपुर एरिया और उसके आस पास के एरिया के 40-50 गांव जो हरियाणा से घिरे हुए हैं, वहां लोग गेहूं खाते हैं, वहां लोगों को गेहूं, शक्कर, चावल रोजाना मिलते हैं, वहां बिजली के लट्टू लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे वहां खाने को गेहूं, चीनी, चावल तो क्या बाजरा तक नहीं मिल रहा है, वहां सड़कों की यह हालत है कि टीबे पड़े हुए हैं। बहरोड से नारनोल पहुंचना चाहें तो ऊंट की सवारी जावें तो 4 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते। ऐसी स्थिति वहां है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप अनाज के सम्बन्ध में, लेवी के सम्बन्ध में जांच करवाईये और अगर वास्तव में आप खाद्य मन्त्री महोदय को तंत नजर आता हो तो हम सहर्ष सहयोग देने को तैयार हैं। पर आप तो यह सोचते हैं कि वहां के लोगों ने आपको वोट नहीं दिये। चुनाव हो जाने के बाद में इस प्रकार का भेदभाव का खयाल छोड़ देना चाहिये, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिये। चीनी की 70 बोरी बहरोड में फालतू आया करती थी आज वह 70 बोरी बहरोड तहसील के नाम से खत्म हो गई।

मैं ज्यादा समय नहीं ले कर तीन पोइन्ट्स पर खाद्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। एक तो यह है कि लेवी नहीं ली जानी चाहिये। अगर ली ही जाय तो पहले यह जांच कर ली जाय कि वहां पैदावार हुई भी कि नहीं। अगर हुई तो कहीं इतनी ही तो नहीं हुई है कि बडी फेमीलीज के कारण उसकी खपत हो गई है।

दूसरे यह कि लेवी लेने के लिये जो रेट रखी गई है वह रेट बहुत ही कम है, ज्यादा रेट देनी चाहिये। तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां बिजली पहुंचनी चाहिये। चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोन्स के लिये यह प्रणाली चलाना कि कोओपरेटिव के जरिये लोन का वितरण होना चाहिये, इस प्रणाली से लोगों को लोन लेने में बडी भारी दिक्कत आयेगी। समिति से तो लोन आसानी से मिल जाता था, समिति में तो दर्खास्त दी कि मुझे कुए के लिये 4,000) रुपया लोन चाहिये तो कुए के लिये 4,000) रुपया आसानी से लोन में मिल जाता था पर आज यह है कि अगर किसी को कुए के लिये लोन चाहिये तो 1,000) रुपया तो पहले कोओपरेटिव में जमा कराना पड़ेगा 8,000) का लोन लेने के लिये, फिर उसकी रजिस्ट्री होगी, 8,000) के ऊपर रजिस्ट्री का 200), 250) रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो इस सिस्टम के कारण 1500) रुपया तो उसे पहले ही खर्च करना पड़ेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों को जो लोन दिया जाय, इसके प्रोसीजर को चेंज करना चाहिये और यह सिस्टम रखना चाहिये कि पंचायत समिति में दर्खास्त दी और उसका मिनिमम शेयर है उस ही पर उसे लोन मिल जाय चाहे उसकी 10 हजार की सिक्योरिटी

(श्री अमीलाल यादव)

ले ली जाय। लोन लेने वाले से शेयर कैपिटल का 8 वां हिस्सा जमा नहीं करवाया जाय, दस, बीस रुपये का जो उसका कैपिटल शेयर है उसी के आधार पर लोन दे दिया जाय सिक्योरिटी चाहे जितनी लेली जाय।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के बारे में बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं। मैं सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कानूनी गलती कानून में निहित है। हमने टिनेन्सी एक्ट में खुदकाश्त की परिभाषा दी है कि खुदकाश्त वह है जो खुद खेती करता हो, या नौकर रखकर खेती करवाता हो। यह निश्चित बात है कि जहां खुद खेती करेंगे वहां ज्यादा अनाज पैदा होगा और जहां नौकरों से खेती करवाई जायगी वहां पैदावार कम होगी। तो जो खुदकाश्त की परिभाषा टिनेन्सी एक्ट में रखी है खुद काश्त करवायेगा वह खुदकाश्त और नौकर रख कर खेती करवायेगा वह भी खुदकाश्त तो इस प्रकार की कानूनी परिभाषा को और दूसरों कामों पर भी लागू किया जाना चाहिये जैसे मजदूर वह है जो खुद मजदूरी करे या नौकर रख कर मजदूरी करवाये, धोबी वह है जो खुद कपडे धोता है या नौकर रख कर कपडे धुलवाता है, रसोइया वह है जो खुद रसोई बनाता है या नौकर रख कर रसोई बनवाता है। अगर खुदकाश्त की यह परिभाषा रखी है तो सभी परिभाषाएं इस प्रकार की कर देनी चाहिए।

प्रकृति के प्रकोप की बात कही जाती है पर मैं कहूंगा कि प्रकृति का यह सारा प्रकोप आपके द्वारा निमन्त्रित किया हुआ है। जितने अधिक जंगल काटोगे उतना ही अधिक प्रकृति का प्रकोप बढ़ेगा, जंगलों को काट काट कर जितने कोयले बनाओगे उतना ही प्रकृति का प्रकोप बढ़ेगा, बनाते हो कोयले और अनाज की आशा करते हो, जितने जंगल बढ़ेंगे उतनी ही वर्षा अधिक होगी। आज जितने बादल आते हैं ऊपर से होकर निकल जाते हैं क्योंकि उन बादलों की मनुहार करने वाला कोई नहीं, बादलों को कहने वाले जंगल नहीं हैं इसलिए बादल ऊपर से ही निकल जाते हैं, तो प्रथम तो जंगलों को काटने की यह नीति ही गलत है।

लड़के पढ़ते हैं स्कूलों में वे पढ़ने के बाद ऐसे हो जाते हैं कि काम के हाथ तक नहीं लगाते। हमारे राजस्थान में प्रति वर्ष प्रायः एक लाख मैट्रिक पास होते हैं जो कोई काम नहीं करते। एक नाई मेरे पास आया और बोला कि मेरे लड़के को नौकरी दिलाइये, मैंने कहा कि जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक उसको कहो कि वह तुम्हें हजामत में सहयोग दे तो उसने कहा नहीं, मेरा लड़का मट्रिक पास हो गया है, वह हाथ नहीं लगाता। एक किसान आता है, कहता है, मेरे लड़के को नौकरी दिलवाइए। मैंने उससे कहा कि जब तक नौकरी न मिले तब तक वह हल में हाथ लगाए, उसने कहा नहीं, वह मैट्रिक पास हो गया है, इस काम को हाथ नहीं लगाता। तो हम एक एक लाख आदमी जो प्रति वर्ष पैदा

(श्री फूलचन्द बाफना)
करते हैं, वे काम नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे तो कैसे काम होगा? उधर से आदमी शराब पीता रहता है, नशे में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, अपने पर संयम नहीं रखता और आबादी बढ़ाता है। वह तो आबादी बढ़ाने में योग दे रहा है। शराब परिवार नियोजन के विरुद्ध है, खेती उत्पादन के विरुद्ध है। हर उत्पादन के विरुद्ध है। उत्पादन कम हो रहा है और खाने वाले बढ़ रहे हैं। यह नीति गलत है। जब तक हम इस नीति को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम केवल समाजवाद की बात करते हैं लेकिन समाजवाद किसी क्षेत्र में नजर नहीं आता प्यारेलालजी खान अब्दुल गफ्फारखां से मिलने गए तो उन्होंने कहा हिन्दुस्तान में समाजवाद जैसी कोई चीज नहीं है। आप समाजवाद की बात करते हैं, जीवन आपका समाजवाद से कोसों दूर है। हमारे जीवन में समाजवाद नहीं है। हमारा संविधान है कानून है, वह भी एक तरफ पैसे वालों के लिए मददगार है और दूसरी तरफ हमारा कानून ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि किसी को रोटी दे। इसलिए सरकार की परख इसमें है कि जब तक सरकार किसी भी बेरोजगार को रोजगार न दे तब तक वह उनको भत्ता दे। सरकार वही खराब होगी जो ज्यादा से ज्यादा भत्ता देगी। आखिर बुखार का पता लगाने के लिए भी थरमामीटर होता है, इसी प्रकार से बेकारी का भत्ता भी मिलना चाहिए ताकि जिनको रोजगार नहीं दे पाते उनका सही सही पता लग सके। शासन के पिंजरे में हजारों लोगों को डाल दिया जैसे तोते को डाला जाता है, लॉ एण्ड आर्डर उनको मानना पड़ता है तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि उनकी रोटी का इंतजाम करें। अगर रोजगार का इंतजाम नहीं करते हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि यहां जो विषय है, वह खाद्य समस्या का है।

श्री फूलचन्द बाफना : यह सारा खाद्य समस्या पर लागू होता है। आपकी नीतियां ऐसी गलत हैं कि खाद्य समस्या सफल नहीं हो सकती। आप किसान का पड़ता मूल्य गिने। आप हर उद्योग में पड़ता मूल्य गिनते हैं कि इतने का रॉ मेटीरियल आया और दूसरी चीजें आई लेकिन किसान के मूल्य का कोई पड़ता नहीं गिनते। बाजार में गेहूं 125) में बिक रहा है और आप किसान से लेना चाहते हैं 75) में, जबर्दस्ती 50) का नुकसान करवाना चाहते हैं क्योंकि नीति आपकी ऐसी है इसलिए किसान अधिकतर कैश कार्मशियल क्राप्स की ओर ध्यान देते हैं। इस तरह दूसरे फसलों के नीचे धर्ती जा रही है। इसलिए आप पड़ता मूल्य गिनें कि किसान ने कितने दिनों तक काम किया एक वर्ष में और अनाज क्या भाव पड़ा और फिर कीमत निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसको लूटा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : 130) प्रति क्विन्टल है।

श्री फूलचन्द बाफना: अगर पड़त निकालेंगे तो ज्यादा पड़ेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब तो पड़त ही जा रहा है।

श्री फूलचन्द बाफना: लेवी भी आप जबर्दस्ती लेते हैं। मर्जी से लेने की अलग बात

(श्री फूलचन्द बाफना)

होती है। उधर बाजार का भाव किस तरफ जा रहा है? मर्जी से लेवी दे, अपने आप आकर दे तो कोई बात नहीं। ऐसे ही बिजली की बात है। सुमेरपुर में मैंने देखा है, किसान ने बिजली का इंजन लगाया लेकिन बिजली नहीं मिलती। कभी कभी फसलों की सूखने की हालत हो जाती है। उधर सिंचाई में तीन पानी देते हैं और चौथा पानी नहीं दे सकते बराबर बिजली व नहरी पानी मिलना चाहिए, बराबर वितरण हो।

पशुपालन और खेती का आपस में संबंध है। पशुपालन पर हम ठीक ध्यान नहीं देते तो खेती उजड़ जायगी। सभी किसान ट्रेक्टर नहीं लगा सकते। उसमें प्रायः 100 वर्ष चाहिए जब हर किसान के पास ट्रेक्टर होगा तब तक तो बैलों से ही खेती होगी। इसके लिए गोपालन अनिवार्य हो जायगा। गोपालन नहीं होगा तो बैल नहीं होंगे और बैल नहीं होंगे तो खेती नहीं होगी। फिर तो सभी लोगों को फर्जियात मांस खाकर गुजर करना पड़ेगा। गाय होगी नहीं, बैल होंगे नहीं, तो खेती नहीं होगी। केवल ट्रेक्टरों से खेती नहीं हो सकती। बैल फालतू घास खा जाते हैं, ट्रेक्टर घास खायगा नहीं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो सारी खाद्य समस्या उलझ जायगी। इसलिए हमारी नीति दूसरी ओर जा रही है, खेती बढ़ाने में नहीं जा रही है। करोड़ों रुपए उर्वरक (फर्टिलाइजर) के काम में ले रहे हैं तो गोपालन में लगाइए तो खाद भी मिलेगा और दूध भी मिल जायगा सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जंगल की सुरक्षा का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है वह अलग नहीं है।

जो संविधान है, वह पूजनीय है। उसमें भी करोड़ों लाखों रुपये इकट्ठा करने की छूट है, कोई आदमी भूखों मरता है या चोरी करता है या धान लूटता है तो गोली चलाने का अधिकार तो संविधान जरूर देता है लेकिन उसमें रोटी देने का अधिकार नहीं है। आप शिक्षा कम्पलसरी करना चाहते हैं, कम्पलसरी करें लेकिन कम्पलसरी ईटिंग की भी जरुरत है। इसलिए खाद्य नीति को उस तरफ मोडदे जिससे खेती करने में प्रोत्साहन मिले और फसलों में भी पहले अनाज की फसल हो फिर दूसरी फसलें हों। बन्धन होना चाहिए कि इतना अनाज पैदा करना होगा और उसके बाद इतना तम्बाकू आदि होगा। यह हम बांध दें तो अच्छा होगा।

पशुपालन के संबंध में मेरे एक मित्र का पत्र है, वह जैसलमेर का है। उन्होंने लिखा है कि पुलिस वाले मिलकर वहां के मवेशियों को पाकिस्तान में भेज देते हैं। पुलिस में रिपोर्ट भी देते हैं तो भी कोई ध्यान नहीं देते। इस प्रकार की स्थिति को गहराई में जाकर ध्यान देना होगा मवेशियों को बाहर जाने से रोकना चाहिए, अनाज की खेती को बढावा देना चाहिए और पशुपालन को भी बढावा देना चाहिए। इससे ही पता लग सकेगा कि कौनसा शासन ठीक है। इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार अपने आप रास्ते पर आएगी। उसके लिए कोई मापदंड रखा जाय। मैंने निवेदन किया कि बेकारी भत्ता तय होना चाहिए और यदि वह तय करते हैं तो पार्टियों के झगडे भी खत्म हो जायेंगे। सरकार को भी ठिकाने पर रहना पडेगा और सरकार अनाज समस्या का हल कर पाएगी। अभी तक कोई जिम्मेदार नहीं रहा है। यदि कोई खराब शासन करता

(फूलचन्द बाफना)
है तो कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम तो अल्पमत में हैं और जो शासन करने वाले हैं वह बहुमत में। अतः वे सुनते ही नहीं।

तो यह बहुमत और अल्पमत में समस्या उलझ गयी है। उसका इलाज केवल बेकारी भत्ता देने से ही हो सकता है। इससे आपके जंगल की व्यवस्था, पशुपालन की व्यवस्था और खाद्य उत्पादन की समस्या भी ठीक हो सकती है। क्योंकि जब बेकारी होगी तो आपको भत्ता देना पडेगा। जिस सरकार को अधिक से अधिक बेकारी भता देना पडेगा उतनी ही असफल व बुरी सरकार होगी वह, और जिस सरकार को कम से कम बेकारी भत्ता देना होगा उतनी ही सफल व अच्छी होगी। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन।

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्यान्न पर सदन में विचार विमर्ष हो रहा है। सबसे पहले खाद्यान्न की कमी और देश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर विचार विमर्ष करते हुए इस की गहराई में हमें जाना पड़ेगा कि आज देश के सामने जो खाद्य समस्या है उसका मुख्य कारण क्या है। संसार में जो मुख्य कारण दिखायी देता है और खास करके हिन्दुस्तान में जो मुख्य कारण दिखाई देता है वह वर्षा की कमी है। आप हम देखते हैं कि बिहार के अन्दर, यू. पी. के अन्दर आप हम देखते हैं और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आप हम देखते हैं कि त्राहि त्राहि कर रहे हैं इस बात के लिए कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। बरसात नहीं हुई इसलिए पानी नहीं मिला। उस के लिए आपको हम को सोचना पडेगा कि आज वर्षा की कमी की वजह से, जो एक देवी प्रकोप हमारे मुल्क पर छाया हुआ है, तीन वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और इस कारण पैदावार कम होरही है। इस दृष्टि से खाद्य की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या हो जाती है और वह इस हद तक पहुंच गयी है कि लोग जहां कहीं बैठते हैं, जहां कहीं विचार-विमर्ष करते हैं, जिससे भी मिलते हैं वे इस बात के लिये कहते हैं कि आज खाद्यान्न के भाव इस प्रकार से बढ रहे हैं वह आम आदमी के लिये, हर एक आदमी के लिये सहन करने योग्य नहीं हैं। इन सब बातों में जाने से पहले हमें इस बात पर सोचना पडेगा कि राज्य सरकार की पोलिसी होनी चाहिये वह कैसी होनी चाहिये। हम सदन में बैठते हैं, माननीय सदस्य जो इस सदन में बैठते हैं, विचार धारायें उनकी अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टीज हैं और अलग अलग पार्टीज की अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं। कुछ स्टेट ट्रेडिंग की बात कहते हैं, तो कुछ माननीय सदस्य यह कहेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं होना चाहिये, कोई कहता है, कि प्राइवेट बिजनेस ट्रान्जेक्शन के लिये होना चाहिये तो कुछ लोग कहेंगे कि यह नहीं होना चाहिये। हमारे सामने जो राष्ट्रीय समस्या है, आज चाहे कोई आदमी किसी पार्टी से सम्बन्धित हो, चाहे वह सोशलिस्ट हो, चाहे वह स्वतन्त्र हो, चाहे वह जनसंघी हो, चाहे वह साम्यवादी हो या चाहे वह निर्दलीय हो, इस सदन में जो सदस्य आये हैं, वे यह सब चाहते हैं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, चाहे वह अमीर हो

(श्री जयकृष्ण)

या गरीब, हर एक को पेट भर अनाज मिल सके। यही समस्या हम सब के सामने है।

खाद्य को बढाने के लिये जो साधन होने चाहिये उनकी तरफ हमको दृष्टिपात करना पडेगा। राज्य सरकार ने योजनायें बनाई हैं, फोर्थ प्लान भी बनाया है। हमें यह सोचना पडेगा कि देश में इस प्रकार की योजनायें बनी हैं या नहीं जिनसे खाद्य के अन्दर हमारा मुल्क आगे बढा है, या नहीं। जब हम इस ओर दृष्टिपात करते हैं कि इस मुल्क में खाद्यान्न की बढौतरी हुई है या नहीं, तो मैं इस बात को कहने में संकोच नहीं करता कि आंकडे कहते हैं और देश की मौजूदा स्थिति कहती है कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढा है। देश के अन्दर सिंचाई के साधन बढे हैं। हिन्दुस्तान ही नहीं राजस्थान के अन्दर ही लीजिये चम्बल की योजना को देखा है, गंग केनाल को देखा है और राजस्थान के अन्दर माही प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसको देखें और बड़े बड़े बांधों को देखें तो हमें इस बात का संतोष होगा कि हमारे राजस्थान ने सिंचाई के साधनों में बहुत बड़ी उपलब्धि की है और उससे देश में खाद्यान्न की बढौतरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जाते हैं हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान से राजस्थान अलग नहीं रह सकता है, तो हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आबादी बढती जा रही है। यदि आप सन् 1951 के आंकडे और सन् 1966-67 की आबादी के आंकडे देखें तो आपको हमको भलीभांति मालूम होगा कि आबादी दिन ब दिन इस प्रकार से बढ़ती जा रही है कि उसके लिये यह स्वाभाविक हो जाता है कि खाद्यान्न और ज्यादा पैदा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहता हूं कि देश आजाद होने के बाद देश का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊपर उठा है। यदि मैं आपको आंकडे बताऊं तो आपको विदित होगा कि सन् 50 में जहां सौ मन अनाज पैदा होता था तो उसके मुकाबले में सन् 1963 में 178 मन पैदा हुआ है। ये आंकडे राज्य सरकार की ओर से दिये गये हैं। जब इस प्रकार से पैदावार बढी हो तो भी यह अनाज की समस्या हमारे सामने क्यों नजर आती है? आबादी के बढने के साथ साथ आजादी के बाद जिस प्रकार से हम लोग रहने लगे हैं, उसका कारण यह भी है कि लोगों को पेट भर खाने को मौका मिला है। पहले की जिस प्रकार से दुर्दशा या हालत थी उसको देख कर आज उस तरह की हालत पर दृष्टिपात करते हैं तो स्वतः हमें यह आभास होता है कि स्वतन्त्र देश में हमारे लिये यह जरूरी है कि अच्छी प्रकार से लोगों को भोजन मिले, अच्छी प्रकार से लोगों को शिक्षा मिले, अच्छी प्रकार से पीने का पानी मिले और शुद्ध हवा और अन्य सुविधायें मिलें। उन सब को देख कर यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि देश में आज हा-हाकार मच रहा है, खाद्य समस्या पैदा हुई है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण आबादी का बढना और वर्षा न होना है। आप देखते हैं कि सिंचाई के जो भी साधन होते हैं, चाहे नहरें हों या बिजली, यदि बरसात नहीं होती है तो बांध नहीं भरेंगे, बिजली नहीं मिलेगी और सिंचाई नहीं होगी। वर्षा की नाराजगी के कारण खाद्यान्न के लिये सोचने को मजबूर होना पड़ा है। खाद्यान्न की जो कमी नजर आती

(श्री जयकृष्ण)

हैं उसके लिये सोचना पड़ेगा, फोर्थ प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा और राज्य सरकार को मजबूर भी होना पड़ेगा उत्पादन बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन दे सकें चाहे वे बिजली से मिलें या नहर से मिलें, हमें हर तरह से साधन उपलब्ध करने होंगे। आज जो हमारा मुल्क है और जो हमारे प्रान्त हैं जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं उसमें हम यह सहन नहीं कर सकते कि खाद्यान्न की समस्या इस प्रकार बनी रहे, जितने भी मुल्क दुनियां में हैं, उनका खाने पीने का जो तरीका है वह हमारे मुल्क से भिन्न है। हमारे देश के लोगों को खाने के लिये कई चीजों की जरूरत होती है। कुछ सीरियल्स लेते हैं, कुछ को एग्ज और मिल्क को जरूरत होती है। परकेपिटा 63 के जो आंकड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा सीरियल्स ही हैं। फ्रान्स आस्ट्रेलिया, यू. एस. एस. आर. युगोस्लाविया, जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैण्ड आदि के आंकड़े देखें तो मीट, मिल्क, एग्ज आदि की खपत में किसी का यदि लोएस्ट परकैपिटा है तो वह इन्डिया का है।

जब हम खाने में सब चीजें चाहें, वेजिटेबल भी चाहें, एग्ज भी चाहें, अनाज भी चाहें, सभी चीजें चाहें तो हिन्दुस्तान में इस प्रकार का मानस बदलेगा नहीं और अन्न की जगह वेजिटेबल, मिल्क एग्ज, मीट, पल्सेज का भी उपयोग करना नहीं शुरू करेंगे· · ·

एक माननीय सदस्य : आपने अब तक किया कि नहीं?

श्री जयकृष्ण : बहुत कुछ किया है, आपसे छिपा नहीं है

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अगर सारे हिन्दुस्तान के लोग मांस खाने लग जावें तब भी अन्न की समस्या तो रहेगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप लोग यही करेंगे। यही बाकी रह गया है।

श्री जयकृष्ण : आप पंडित हैं, दुर्गालाल बाढ़दार, आप शान्ति रखिये। मीट से आप नाराज हैं, इसलिये आपके लिये मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता आप इतने घबराइये नहीं। हिन्दुस्तान में सभी तरह के लोग है, इसके लिये परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे राजस्थान में गेहूं खाते हैं तो बंगाल में चावल खाते हैं। हमारे यहां चावल कभी कदास विवाह शादियों और त्यौहारों पर खाने का रिवाज है। हर जगह का अलग अलग रस्म रिवाज है।

आज जहां हमारे यहां गेहूं अनाज का ज्यादा इस्तेमाल है। इसके साथ यह भी है कि आबादी की वृद्धि निरन्तर दिन प्रतिदिन देश में बहुत ही तेजी से हो रही है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूं कि खाद्यान्न की मुल्क में कमी है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इससे आप और हम सब सहमत हैं। यह राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। पर आज कोई किसी पार्टी का सदस्य हो, उनके भाषण यहां मैंने सुने, पर यह किसी ने नहीं कहा कि वे इस बारे में क्या चाहते हैं। फूड का स्टेट ट्रेडिंग चाहते हैं या क्या चाहते हैं। कह रहे थे कि प्राइसेज बढ़े हुए हैं, कम होने चाहियें, चीनी दो किलो नहीं मिली। एक बोर्डर के गांव बहरोड से

(श्री जयकृष्ण)

आने वाले हैं उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले ज्यादा जाती थी, अब नहीं जाती। वहां फेयर प्राइस शोप नहीं है। मैं पूछता हूं उनसे कि अलवर जिले में और कौनसी ऐसी जगह है जहां तो फेयर प्राइस शोप हो और आपके यहां न हो। राजगढ भी है, और भी हैं। बहरोड़ ही की क्यों बात करते हैं? और भी 21 गांवों के लोगों का सवाल रक्खा। यह एक मानसिक सवाल है। हरियाणा बोर्डर क्रास करके इन 21 गांवो में जाना पड़ता है तो इसलिये वहां लोग अनाज ले जाना चाहते हैं तो हरियाणा और राजस्थान की दोनों जगहों की पुलिस आने जाने वालों को रोकती है, पकड़ती है। यह समस्या दो तीन साल से है। इसके लिये रेल्वे स्टेशन खोलने का सुझाव राज्य सरकार को भी दिया था और सेन्टर की सरकार को भी दिया था। यह उनकी वाजिब मांग है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी फूड पालिसी क्या है, आप चाहते क्या हैं। किस प्रकार से इस अन्न की समस्या का समाधान करना चाहते हैं यह आप बतायें। केवल क्रिटिसाइज कर देने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। सुझाव आपकी तरफ से आने चाहिये, कोई हों तो। मैं तो कहना चाहता हूं कि इसे सब कामों से प्राथमिकता देनी चाहिये। जिस तरह की प्राथमिकता हमने पाकिस्तान से युद्ध के समय और चीन से युद्ध के समय देश रक्षा के प्रश्न को दी थी, वैसी प्राथमिकता अन्न उत्पादन की वृद्धि के प्रश्न को देनी चाहिये। आज का हमारा यह सबसे बड़ा धर्म है, कर्त्तव्य है।

मैं खाद्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे इस समस्या का समाधान सही रूप से चाहते हैं तो जैसा दो साल पहले भी मैंने निवेदन किया था उपाध्यक्ष महोदय, वहीं आपकी मार्फत फिर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस जिले से मैं आता हूं अलवर जिला खाद्यान्न की दृष्टि से हमेशा सरप्लस रहा है। चार लाख क्विन्टल चना अभी अभी दूसरे प्रान्तों को दिया और इतने ही क्विन्टल चना आपकी राज्य सरकार को दिया। जहां 8 लाख क्विन्टल चने की पैदावार हो वहां की पैदावार का आभास आप स्वयं लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस जिले को आप सिंचाई के साधन, बिजली आदि उपलब्ध करा सकें तो अलवर और भरतपुर दो जिले ही ऐसे हैं कि जो आपकी खाद्यान्न समस्या को बहुत कुछ अंशों में हल कर सकते हैं। यह मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं। नहरें और बान्ध वहां आने वाले नहीं हैं। जमीन अच्छी ह। सब प्रकार की पैदावार होती है। वहां सिर्फ आवश्यकता है आप किसान को उसके कुए कुए पर बिजली पहुंचा दें। अबकी बार भी जिन किसानों को आपने मैक्सिकन व्हीट दिया, या जिन्होंने संकर बाजरा बोया, मक्का बोई तो एक एक बीघा में पचास पचास मन पैदावार हुई।

अब थोड़े से में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने लेवी रखी है। दो एकड़ तक को तो मुक्त कर दिया। अब यदि आप आंकडे मंगावेंगे तो जो चड़स से सिंचाई करते हैं वह दो एकड़ को एक किसान नहीं सिंचित कर सकता। तो जैसे कहा जाता है गरीबी भी कभी काम आती है तो जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, और जमीन दो एकड़ से ज्यादा नहीं है तो उनको छूट मिलेगी। पर एक समस्या सरकूलर से

(श्री जयकृष्ण)

बनी रहेगी। सरकार को अपने उस सरकूलर का स्पष्टीकरण करना होगा। अब जिनके पास आठ एकड़ है और चार भाई हैं। तो आठ एकड़ के लिये आप बिठा देंगे। पटवारी जिसको आपने जिम्मेदारी दी है उसके सामने आपके सरकूलर से स्पष्ट आदेश नहीं हैं। आपकी बात साफ तौर से जब तक उसको लिख कर नहीं दी जावेगी उसको हैरेसमेंट होगा। खर। देरी हुई। पर जैसा मन्त्रीजी ने स्वीकार किया कि आप प्रोक्योर करेंगे तो गांवों में जाना पड़ेगा और ज्यादा भी खर्चा करना पड़ेगा तो आप ये आंकड़े भी मंगावें कि एक जिले में कितने किसान आपको देने की स्थिति में हैं। ऐसे आंकड़े आपके पास उपलब्ध नहीं हैं अभी। फिर कितना आप कर सकेंगे इसका भी अन्दाज हो लगा सकते हैं, सही आंकडे उसके भी नहीं हैं कि बीस हजार या तीन हजार टन कितना आप कर सकेंगे। सिंचित से कितना हो जावेगा। मेरी तो मान्यता है और आपके भी खयाल में होगा कि दो एकड़ छोड देने के बाद मेरे जिले में जो कुओं से सिंचाई करते हैं वे बहुत कम आपको दे सकेंगे। फिर भी देंगे वे आपको। पर सरकार को पोलिसी तो डिसाइड करनी होगी। इसके आप अगर बफर स्टॉक करना चाहते हैं तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। अब एक आपकी पोलिसी है जो लोग आपको प्रोक्योरमेन्ट लेवी के अनाज दें उन किसानों को आप सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें। जैसे आज सीमेन्ट का सवाल है चाहे वह डीकन्ट्रोल हो परन्तु आज किसान कुआ बनाना चाहता है तो उसको सीमेन्ट उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए यदि आप प्रोक्योरमेन्ट करते हैं तो जो सिंचाई के साधन हैं सीमेन्ट आदि उनको राज्य सरकार को उन किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो किसानों को प्रोक्योरमेन्ट से अनाज देने में दिक्कत नहीं होगी। आखिर कुछ लोग इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं तो यह सवाल नहीं है कि किसानों के हिमायती दोनों तरफ नहीं हैं। यदि किसान ने वोट नहीं दिया होता तो न तो उधर बैठने वाले लोग यहां आकर बैठते और न इधर के लोग ही यहां आते। तो आज हिन्दुस्तान में ज्यादातर लोग किसान हैं, हिन्दुस्तान में रहने वाले ज्यादातर किसान हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो प्रोक्योरमेन्ट की पोलिसी है वह इस प्रकार की है कि अब आपने 10 जिलों में यह लागू की है और इन जिलों में भी कुछ ऐसी जगह हैं जैसे जयपुर जिला लिया है हम जब गुजरते हैं तो रास्ते में कुछ जगह ऐसी दिखती हैं, जैसे यह जिला जयपुर का भी कई जगह ऐसा नजर आता है जैसे बांसवाडा और डूंगरपुर है। यहां भी अकाल की सी स्थिति नजर आती है। तो जो जिले लिये हैं इनमें कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां से गेहूँ उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सिंचाई के साधनों पर ज्यादा से ज्यादा जुटें और फोर्थ फाईव ईयर प्लान में ज्यादा से ज्यादा इस बात पर महत्व दें कि किस प्रकार से किसान को सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सकते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी देन होगी और जो राष्ट्रीय महत्व का सवाल खाद्य बन गया है इसको हल करने की दिशा में सबसे बड़ी चीज होगी और सबसे मुख्य बात यह

(श्री जयकृष्ण)

है कि आप खाद्य के संबंध में स्टेट की क्या पालिसी है, आप फूड पालिसी क्या रखना चाहते हैं, अभी तो आप लेवी कहीं पर वसूल करें और अगली बार कुछ और ही करे तो आखिर कुछ एक पालिसी आपकी होनी चाहिए जिससे लोगों को आभास हो सके कि सरकार की खाद्य के संबंध में यह नीति है। लेकिन यह खाद्य की समस्या कोई 6 महीने में हल होने वाली नहीं है या दो महीने में हल होने वाली नहीं है। यह तो एक लम्बी समस्या है और इसमें पांच-सात साल लगेंगे इसलिए इस पालिसी को आप परमानेन्ट करें और जो देश के सामने राष्ट्रीय संकट है और राष्ट्रीय महत्व का सवाल है खाद्यान्न का इसको हल करने में जितने भी साधन उपलब्ध हो सकते हैं वह ज्यादा से ज्यादा जुटाये जायें और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मुल्क को प्रगति करनी है, विकास करना है, यदि प्रजातंत्र को कायम रखना है, यदि देश की आर्थिक और राजनैतिक स्थिति में सुधार करना है तो हम सब को मिल कर इस समस्या को हल करने में सब को जुट जाना चाहिए और जो लोग इसके लिए रोड़े हैं चाहे वह कोई भी हों किसान हों, व्यापारी हों, चाहे आप और हम हों जो इस मामले में रोड़े अटकाता है, जो होर्डिंग करता है, स्मगलिंग करता है जो दूसरे कार्य करता है उन सब को घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए और उनको प्रश्रय नही देना चाहिए और उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा निगरानी करनी चाहिए, यही हमारा और आपका सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल।

श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के संबंध में हमारे राजस्थान में समस्या बड़ी गंभीर होती जा रही है और आज 18 सालों से कांग्रेस की हुकूमत हमारे देश पर है और कांग्रेस राज्य करती आई है और हर साल अकाल पड़ता रहा है और अकाल की हालत को दूर करने के लिए इस हुकूमत ने आज तक कोई काम नहीं किया और उसका कोई समाधान नहीं किया। अब हम कहने जायें कि अकाल की स्थिति नहीं है और अकाल का कारण तो आबादी बढ़ती जा रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण अनाज की समस्या अभी हल नहीं हो सकती है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो कम से कम नोतोड जमीन भी लोगों को नहीं दी जा रही है वह जमीन किसानों को दी जानी चाहिए। न तो लोगों को जमीन ही दी जाती है और न साधन ही दिये जा रहे हैं। जहां जहां पानी की व्यवस्था है, जहां नदियां हैं वहां इन्जिनों की व्यवस्था करनी चाहिए। रेटों की व्यवस्था करनी चाहिए पर आज भी यह किसी भी इलाके में नहीं हो रहा है। जो भी चीजें मांगी जाती हैं उस समय कहा जाता है कि हम ला रहे हैं, देंगे लेकिन आज तक कहीं नहीं मिली है, न अन्न पैदा किया जा रहा है इस स्थिति को देखते हुए हमारे बांसवाड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ रहा है वहां पर हमारे वल्लभनगर में न तो अनाज की दुकानों पर अनाज है और आज 15 दिन हो गए हैं वहां पर अनाज नहीं है और न किसी दुकान पर अनाज मिल रहा है। मैंने इसके लिए जिलाधीश को कहा कि

(श्री विट्ठल)

लोगों को अनाज क्यों नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि अनाज अमेरिका नहीं दे रहा है हम क्या करें। इस तरह से आज तीन-तीन दिन से लोग भूखों मर रहे हैं, मजदूर भूखे मर रहे हैं और उनको अनाज नहीं मिल रहा है। बाजार में जाते हैं तो चना और ज्वार नहीं मिलता है। एक रुपये का एक किलो भी यदि मिलता है 10 इन्सानों के लिए तो बहुत मुश्किल है कि उनका प्रबंध कहां से करें आज के दिन। इसी तरह से कोई व्यवस्था उस जिले में नहीं है। मैं यहां तक कहूंगा कि उस जिले में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। अगर वहां कोई व्यवस्था नहीं की तो मैं सच कहता हूँ कि इस साल लोग भूखों मरने वाले हैं। न तो वहां पर कोई मजदूरी है अगर है भी तो दस दस मील पर खोल रखी है और मजदूरों को 15-15 दिनों तक पैसे नहीं दिये जा रहे हैं। वहां की भयंकर स्थिति है और एक राजनैतिक षडयंत्र चलाया जा रहा है। जो कांग्रेसी इलाका है वहां पर कुछ मजदूरी खोली जा रही है और अनाज की दुकानें भी खोली जा रही हैं और कुछ क्षेत्र जहां से सोशियलिस्ट पार्टी के लोग जीत कर आ रहे हैं वहां पर जनता को परेशान किया जा रहा है। आज भी राजनैतिक षडयंत्र वहां पर चल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आज कोई भी माननीय मिनिस्टर साहब वहां पर जाकर जांच करें और खाद्य मंत्रीजी जांच करें कि वहां पर कितनी दुकानें हैं? बांसवाड़ा में कितनी दुकानें हैं और गढ़ी में कितनी दुकानें हैं। सारी जांच की जाये तो वल्लभनगर में आपको 4-5 दुकानों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। वहां पर एक दो ट्रक से ज्यादा नहीं हैं, वहां पर एक तालाब नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पानी पीने के लिए कुआं भी नहीं मिलेगा। वहां पर ऐसी स्थिति भयंकर हो रही है और 32 मील के एरिया में एक भी तालाब नहीं बनाया जा रहा है और जहां पहले से ही तालाब है वहां पर और तालाब बनाये जा रहे हैं और उस क्षेत्र में बहुत भयंकर स्थिति है और थ्यौर आदिवासी इलाका है और कोई सुनाई नहीं होती है। राजनैतिक षडयंत्र चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी इलाके के लोग भूखों मरें तो ठीक है कोई बात नहीं है वह तो मरेंगे लेकिन आप भी बचने वाले नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद आप भी उनके साथ-साथ मरोगे। आप यह मत समझना कि हम जिन्दगीभर लिखवा कर आये हैं। आप गरीबों के वोट लेकर आये हैं अगर आप इस तरह से करेंगे तो उनकी हाय से आप बच नहीं सकोगे। यदि आपने कुछ नहीं किया तो उनकी बहुत बुरी स्थिति होगी और यह अच्छा नहीं होगा और इसीलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, वहां की खाद्य स्थिति के लिए मैं मंत्रीजी से कहूँगा कि वहां पर अविलम्ब दुकानों की व्यवस्था की जाये और अनाज वहां पर बराबर मिले और अगर अनाज नहीं मिला तो वहां के लोग बहुत से मरेंगे क्योंकि वहां पर कोई साधन नहीं हैं। अगर चौमासे में फसल पक गई तो ठीक है नहीं तो न तो वह कुए हैं, न नहरें हैं इसलिए उस इलाके के लिए पूरी से पूरी व्यवस्था की जाये अगर नहीं करेंगे तो एक महीने के बाद वहां के लोग बुरी तरह से मरेंगे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मदनसिंह ।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह ।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरी जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा आपकी प्रोब्लम है···

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी टाईम दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यहां न तो भाषणों से पेट भरता है और न ज्यादा बोलने से । मैं समझता हूं कि विरोधी दल की तरफ से अनेकों बार ऐसे अच्छे 2 सुझाव रखे हैं, ऐसी 2 योजनाएं रखीं हैं पार्लियामेंट स्तर पर भी विरोधी दल की तरफ से योजनाएं रखीं हैं, कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा यह कहा जाता है कि उधर से योजनाएं नहीं रखी जातीं, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नीति की बात नहीं बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि विरोधी दल को तरफ से बराबर नीति की बातें बताई जाती हैं लेकिन आप लोग सही बात को मानने को तैयार नहीं हैं और इसलिए आप दुख पा रहे हैं और दुख पाते रहेंगे । और जब कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम देते हैं तो उसको सुनने को तैयार नहीं हैं, अन्यथा यह कौन सी समस्या है । आज कोई कह सकता है चैलेंज के साथ कि यहां पर नाज की कमी है, कत्तई नहीं है उपाध्यक्ष महोदय । आज भी नाज है । नाज तो है लेकिन उसका वितरण नहीं कर सकते हैं ठीक तरह से । वितरण का एक तरीका अख्तियार कर रखा है गवर्नमेंट ने, एक एजेंसी कायम कर रखी है और गवर्नमेंट उन एजेंटों के द्वारा अनाज का वितरण करा कर ब्लैक करवाती है और कहती है कि खाद्य समस्या है । जब खाद्य समस्या की बात कहते हैं तो कहता है कि आदमी ज्यादा पैदा होने लग गए हैं, तो आदमी पैदा होते हैं वैसे ही मरते भी हैं और अब तो ज्यादा मरते है और एक दो महीने का बच्चा मैं समझता हूं कि इतना अन्न नहीं खा सकता जो कि एक साठ बरस का खाता था जो कि मर गया है । अब एवरेज पर आप कहते है, अगर आप आंकड़ों के आधार पर कहते हैं तो भी मैं शर्त लगाकर कहता हूं कि जो बच्चे पैदा होते हैं वह पांच साल तक उतना अनाज नहीं खा सकते जितना कि एक साठ बरस का मरने वाला आदमी खाता था । इसलिए मैं समझता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है । कई दफा जन संघ की तरफ से योजनाएं दी गई ····

श्री मोहनलाल (नीमकाथाना) : आपकी भी कोई योजना है ?

श्री मदनसिंह दांता : जनसंघ की तरफ से योजना दी गई कि यह सेंटर का सब्जेक्ट होना चाहिए । सेंटर के हाथ में यह होना चाहिए और एक बीच की ऐजेंसी कायम करनी चाहिए जिससे सस्ते भाव पर सस्ता अनाज मिले कि ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग और स्टाकिंग, होडिंग करते हैं, जो आज भी दुकानों में बन्द करके रखते हैं, अनाज उनको नहीं मिलेगा बल्कि आम लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा और इससे अनाज की कमी नहीं रहेगी ।

(श्री मदनसिंह दांता) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात कहता हूं। आप अमेरिका से अनाज मंगा रहे हैं, उसका सीकर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर आज भी इतना स्टॉक था कि पूरी सीकर डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरह से अनाज दे सकते थे। कलेक्टर महोदय ने हमको बुलाया और कहा कि अनाज तो एक्स्ट्रा था पर वह सड़ गया है इसलिए अब इसे भैंसों और बैलों को दिया जाएगा। यानि यह व्यवस्था की कमी है, यह गवर्नमेंट के काम की कमी है, या तो मिनिस्टर तक सूचना पहुंचती नहीं है, यहां के लोगों को पता नहीं है, यहां के अधिकारियों को पता नहीं चलता है कि अनाज पड़ा 2 सड़ गया है। इसीलिए मैं समझता हूं कि नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य इस चीज की ताईद करेंगे कि वहां पर जो गवर्नमेंट का अनाज का स्टॉक था वह इतना सड़ गया था कि उसके दस गज में आप पैर नहीं रख सकते थे इतनी उसमें दुर्गन्ध आ रही थी। वही अनाज अब लक्ष्मणगढ़ तहसील में बांटा जाएगा, यह तय किया गया है। जो कांग्रेस के लोग उसमें घुस तक नहीं सकते उस अनाज को सूंघ तक नहीं सकते वही अनाज लक्ष्मणगढ़ तहसील जो कि डेफिसिट है, वह वहां के गरीबों को दिया जाएगा। उस सड़े हुए अनाज के लिए गवर्नमेंट कहती है कि इसको हम अब लक्ष्मणगढ़ तहसील को देंगे। आज नाज है, आज भी लोगों के पास लाखों मन अनाज पकड़ा जाता है। गवर्नमेंट भी यह कहती है कि हम उनको पकड़ कर सजा देंगे सही ढंग से पकड़ कर उनको सजा देंगे लेकिन हजारों केसेज ऐसे हैं जो मिनिस्टर महोदय के सामने आते हैं लेकिन आपने उनके लिए क्या किया है? इसलिए मैं कहता हूं कि यह विषय सेन्टर के हाथ में होना चाहिए, अन्यथा पक्षपात होगा। आज भी सीकर डिस्ट्रिक्ट में, मंत्री महोदय यदि जानना चाहें तो मैं बताता हूं कि गवर्नमेन्ट की जीप के अन्दर, गवर्नमेंट की वेहिकल के अन्दर आपके सरकारी अफसर आज भी अनाज का ब्लैक के अन्दर व्यापार कर रहे हैं। उनके दस्तखतों के कागज और उनके फोटो मैं पेश करूंगा अगर माननीय मंत्री महोदय जानना चाहेंगे। अनाज मिलेगा कैसे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से दुबारा कहता हूं कि ये सीकर डिस्ट्रिक्ट के अफसर लोग अनाज का व्यापार करते हैं और जो आप अमेरिका से मांग कर अनाज लाते हैं, जहां नाज का स्टोर होता है, जो लेवी मिलने वाली है उनकी गाड़ियों को बेचा जाता है, इसके फोटो तक आपको दिये जायेंगे, अगर आप मांगेंगे। ड्राईवर चैक करता है कि जीप इस काम के लिये नहीं है, ट्राली इस काम के लिए नहीं है, फलानी वेहिकल इस काम के लिए नहीं है लेकिन उसको लिखित में आर्डर दिया जाता है, मेरे पास इसके सबूत हैं कि दबाकर ड्राईवरों को लिखित आर्डर दिए गए हैं अनाज लाने ले जाने के लिए और इस तरह से वे अफसर अनाज का व्यापार करते हैं। यह कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं या लोग मांस नहीं खाते हैं इसलिए अनाज की कमी है, मैं कहता हूं कि यह कह कर इस राजस्थान की गरीब जनता को धोखा दिया जा रहा है, आप सही चीज पर क्यों नहीं आते हैं।

इसके अलावा जो आपने यह लेवी लगाई है, यह दूसरी चीज है इसकी वजह से नाज की कम उपज हुई है। जब से राजस्थान

(श्री मदनसिंह दांता)

में लेवी लगाई गई है किसानों को यह तसल्ली नहीं है कि वे सही ढंग से अनाज बेच सकेंगे तो यह दूसरी चीज लेवी है जो मैं समझता हूं कि किसान के मन में यह भावना पैदा करती है कि वह अनाज पैदा करेगा तो उसको सही ढंग से बेच भी सकेगा या नहीं। ये जो रीन के एजेंट हैं जो वोटिंग में जितान के काम में मदद करते हैं, जो पार्टियों को चन्दा देते हैं ऐसे लोगों के पास लाखों मन अनाज है। माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ एक हफ्ता भी घूमें तो मैं समझता हूं कि लाखों मन अनाज मैं पकड़ा सकता हूं। अनाज को पकड़ने की योजना आपकी भी होती है पर होता क्या है कि योजनाएं तो जरूर होती हैं लेकिन रात में ही टेलीफोन पहले पहुंच जाता है कि फलानी जगह से नाज को उठवा लो, फलाना आफिसर आने वाला है राजस्थान की जनता जानती है और राजस्थान का किसान जानता है कि राजस्थान में कितना अनाज पड़ा हुआ है— आज ही मैंने प्रश्नोत्तर-काल में सवाल किया था कि जब आप स्वयं मानते है कि अनाज की कमी है और राजस्थान का किसान अनाज को उठा चुका है, नाज को बेच चुका है और अब आप लेवी लगायेंगे तो उनसे लेवी का नाज नहीं मिलेगा, उपाध्यक्ष महोदय। उनसे हाथ लिये जायेंगे, वह खरीदेंगे अनाज जिसे वे बेच चुके हैं और फिर इस गवर्नमेन्ट को प्रक्योरमेंट देंगे। यह कौन सा कायदा है, कौनसा तरीका है, यह कौनसी योजना है ? मैं समझता हूं कि जो योजनाएं बनती हैं उनको बनाने वाले योजना विशेषज्ञ हैं भारतवर्ष में वे बैठ कर ये योजनाएं तैयार करते हैं लेकिन क्या वे योजनाएं इस तरह से सफल हो सकती हैं ? जब एडमिनिस्ट्रेशन में ताकत नहीं है, जिसके हाथ में ताकत है वह व्यवस्था नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि यह जो आपकी खाद्य समस्या है इसके लिए आपके लोगों और विरोधी दल के लोगों को मिला कर एक कमेटी बैठा देनी चाहिए, जो विचार करके नाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निश्चित पालिसी रखे तो ठीक हो जाएगा अन्यथा न तो कोई मुर्गी के अंडे खाने से पेट भरेंगे और न कोई और चीज से ऐसे ही भूखों मरेंगे। आज भी गरीब जनता मोटा नहीं खाती है, वह चना और जौ खाती है ये जो लोग कहते हैं कि गेहूं ज्यादा खाने लग गए हैं वे इस तरह से पैसा बना रहे हैं, अगर विरोधी दल की सरकार होती तो सारी चीज सामने आती

(राजकीय पक्ष की ओर से व्यवधान)

मैं कहता हूं कि सही बात है। आप पावर मेरे हाथ में दे दें दस रोज के लिए ही आप देखेंगे कि आप में से कितने लोग फंसे हुए मिलेंगे इसमें। मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं कि विदिन टेन डेज इतना लाखों मन अनाज पकड़वा सकता हूं। जिसके हाथ में पावर हो वह क्या नहीं कर सकता है। इसलिए सच्चाई तो यह है कि अगर इस बारे में कुछ करना है तो इधर के लोग और उधर के लोग दोनों बैठें कर ....

श्री खेतसिंह: सच्चाई तो यह है कि हुकूमत इनके हाथ में दे दो।

श्री मदनसिंह दांता : हुकूमत की क्या बात करते हैं, हमारे तो कामदारों ने हुकूमत की है, उसकी भूख हमको नहीं है। सही बात पर जब डिस्कशन हो रहा है, फूड प्राब्लम पर डिस्कशन हो रहा है और इस

(श्री मदनसिंह दांता)

समस्या को हल करना चाहते हैं तो सब मिल कर ही कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अनाज की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है अगर माननीय मंत्री महोदय सही रूप से चाहते हैं कि यह समस्या हल हो तो विरोधी पक्ष की तरफ से जिन्होंने सुझाव दिए हैं लोगों के साथ आप बैठ कर विचार करें और योजना बनाएं, तभी यह समस्या हल हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नाज नहीं है, नाज रखा जाता है, नाज सड़ाया गलाया जाता है और जनता के पास नहीं पहुंचाया जाता।

इसके साथ ही एक बड़ी चीज जो आपने अपना रखी है वह है भीख मांगने की। इस अनाज की वजह से भारतवर्ष को काफी नीचा देखना पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली लड़ाई के अन्दर मुझे मालूम है यह भारतवर्ष वही है जो पिछली सेकन्ड वर्ल्ड वार में बाहर लड़ने वाली सारी इन्डियन आर्मी के लिए अनाज भेजता था। केवल भारतीय फौजों के लिए ही नहीं, विश्व की सारी आर्मी के लिए यहां से अनाज भेजा जाता था। उस समय आज जितनी योजनाएं भी नहीं थी न बिजली थी, न आधुनिक साधन थे फिर भी यह भारतवर्ष इतना अनाज सप्लाई करता था। उस समय नीयत खराब नहीं थी आज नियत खराब है इसलिए यह चीज है। अगर इन्सान अपनी नीयत को बदल देता है तो फिर उसको ठीक करने वाला कोई नहीं। आप इस मामले को सही नीयत से सोचिए। सब लोग बैठकर इस बारे में सोचिए। हमने भी थोड़ा बहुत राज किया है, हमने व्यवस्था की है हम इस व्यवस्था को भी कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य से मैं यह जानना चाहता हूं कि सेकन्ड वर्ल्ड वार के बाद बंगाल में जो भुखमरी फैली उस समय अनाज ज्यादा था तो वहां लोग अनाज की कमी के कारण क्यों मरे ?

दूसरा मेरा यह कहना है कि सेकन्ड वर्ल्ड वार में भी हिन्दुस्तान के अन्दर चावल का बाहर से इम्पोर्ट होना शुरू हो गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार !

श्री मदन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है बीच में मंत्री महोदय खड़े हो गए थे अतः मैं बैठ गया।

मैं आपको निवेदन करूंगा जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया हो सकता है कि सेकन्ड वर्ल्ड वार में मैं फ्रन्ट पर था इसलिए मैं ठीक प्रकार से कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं यह चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि उस वक्त इतना अनाज भारतवर्ष में था कि जिससे उसने सारी विश्व की आर्मी को फीड किया आज भारतवर्ष में सब योजनाओं के होते हुए भी हम अनाज का उत्पादन नहीं कर पाये हैं। यह सब प्रबन्ध की कमी है नाज की कमी नहीं। आपने सब जंगल कटवा डाले। ऐसी जमीन बाकी नहीं रखी जहां पर आपने खेती शुरू नहीं की हो फिर भी अनाज की कमी को पूरा नहीं कर पाये।

श्री परसराम मदेरणा : आप कुछ सुझाव दीजिए कि किस प्रकार से यह व्यवस्था हो सकती है ?

श्री मदनसिंह : इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि आपको स्टोर्स के अन्दर बफर स्टॉक

(श्री मदनसिंह दांता)

रखना चाहिए। स्टोर से जो माल बेचा जाये उसकी रेट कम होनी चाहिए ताकि ब्लेक मार्केटियर्स थोड़े दिन अपना अनाज रख कर बाहर ले आयगा। ज्यादा दिन तक वह स्टोर नहीं कर पायेगा। और जितना प्रोक्योरमेन्ट हो यह सही ढंग से वितरित किया जाय। अनाज की कमी नहीं है। यही मेरा इस संबन्ध में निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अनाज के संबन्ध में वाद-विवाद चल रहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं कि हमारे सामने अन्न की विकट समस्या है। यह हम सब महसूस कर रहे हैं। इस बारे में हमारे बहुत से साथी बोल चुके हैं उन्होंने अपनी नीति बतायी मैं भी इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 90 प्रतिशत किसान हैं जो खेती करने वाले हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग हैं जो खेती करते हैं मैं यह भी मानता हूं कि आज हमारे सामने जो समस्या है वह विकट समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन में पिछले तीन साल से वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ रहा है। बहुत से साथियों ने यह कहा कि सरकार ने वहां लोगों को भूखों मरने दिया, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन उनको यह पता नहीं कि हमारे डिवीजन में सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की जिससे वहां भूख से कोई मरने नहीं पाया। आज अन्न की कमी को सब मान रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार लोगों को भूख से मार रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर के इलाके में गत तीन साल से अकाल है फिर भी एक आदमी को सरकार ने मरने नहीं दिया इसके लिए सरकार को धन्यवाद है।

माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा था कि हमारे उधर खांडला, सहाड़ा में तारे वाले अनाज देंगे यह गलत बात है। जब इलेक्शन की बात लेकर के चलते हैं तो इलेक्शन के समय में विरोधी दल के नेता ने कहा था कि हमारी सरकार हो जायेगी तो हम तुमको एक रुपये का दस किलो अनाज देंगे। वे लोग आज यह महसूस कर रहे हैं कि आज यह सरकार न होती तो विरोधी दल वाले कहां से अनाज लाते, क्या आकाश से उठाकर लाते?

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन का बहुत सारा इलाका पहाड़ी है। वहां तीन साल से अकाल पड़ रहा है। वहां पर जो जमीन पहाड़ी है उसको उपजाऊ बनाने का बहुत आसान तरीका है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। वह इलाका ऐसा है कि वहां से छोटे छोटे नाले जाते हैं उनको बन्धवा दिया जाय। इससे क्या होगा कि पानी वहां इकट्ठा होगा उससे आस पास की जमीन में नमी रहेगी, कुआ खोदेंगे तो उसमें नमी रहेगी, उससे वहां सिंचाई कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा क्षेत्र में जमीन बहुत अच्छी है वहां पर योजना के अन्दर बिजली की व्यवस्था हो जाय तो वहां के किसान को फायदा हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि बिजली की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाय, कुओं पर बिजली दी जाय, तालाबों की व्यवस्था

(श्री देवेन्द्रकुमार)

की जाय ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकें ।

एक निवेदन और करना चाहता हूं वहां के मजदूरों को जो एक महीने में पांच किलो अनाज मिलता है वह बहुत कम है उसकी तादाद बढ़ाई जाय, वहां अकाल एरिया है इसलिए ज्यादा दिया जाय तो बहुत उत्तम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के सामने यह खाद्यान्न समस्या बड़ा भयंकर रूप धारण किए हुए है यह विरोधी पक्ष भी स्वीकार करता है और राजपक्ष भी स्वीकार करता है । लेकिन इस समस्या का समाधान कोई एक बात कह कर करना चाहें कि देश में जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है इस कारण यह समस्या हमारे सामने आयी है मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।

मैं केवल इतनी सी बात निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 47 में जब भारतवर्ष आजाद हुआ था उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी ? और अनाज के क्या भाव थे उस समय अनाज के उत्पादन के लिए कितनी जमीन थी । सन् 1947 से लेकर आज 67 तक बीस साल होने आये प्रगतिवादी और समाजवादी कहलाने वाली सरकार देश को अनाज मुहैया नहीं कर सकी देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना सकी । मैं इस सरकार की थोड़ी देर के लिए तारीफ करता हूं कि जो यह कहती है उसको मान लेता हूं, यहां योजनाओं के तहत करोड़ों रुपया लगाया, आपने हजारों बीघा जमीन पर काश्त करना शुरू कर दिया ; उत्पादन क्षमता बढ़ायी उसके बाद भी आंकड़ों के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां 47 के अन्दर 10 बीघा जमीन काश्त की थी वहां आपने बीस बीघा कर दी आपने उस समय की भूमि से डबल भूमि पर सिंचाई का कार्य शुरू कर दिया फिर भी आप यह मानकर चलेंगे कि उस समय की आबादी से दुगुनी तो वृद्धि नहीं हुई ? तो फिर आपका उत्पादन दुगुना हो गया जमीन पर दुगुनी काश्त करनी तो शुरू कर दी फिर भी आप इस समस्या को हल नहीं कर पाये तो आखिर इसका कारण क्या है ?

(4 म. प.)

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव देने के नाते मैं माननीय मंत्री के सामने कुछ ऐसी कंक्रीट बातें रखना चाहता हूं यदि जिन पर आपने पूर्णरूपेण विचार नहीं किया तो देश की खाद्य-समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते । इसलिए गहराई के साथ आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर दोष कहां है ? यत्न आप करते गये और "यत्ने कृते न सिध्यते को अत्र दोष:" यत्न करते भी सिद्धि नहीं मिलती है तो हमारा दोष क्या है ? कहीं विधाता का दोष होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका सही अर्थ करना सीखें । "यत्ने कृते न सिध्यते" यत्न करने पर भी यदि सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तो "को अत्र दोष:" तो दोष कहां रह गया इसकी तलाश करने की चेष्टा कीजिये । दोष कहां रह गया इसको शान्ति पूर्वक सोचें तो आपके अन्दर दोष मिलता है ।

जिस प्रकार आज हम कहते हैं कि सुधार के काम आसानी से दो दिन में नहीं किये

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जा सकते हैं तो देश में उत्पादन 6 महीने में नहीं बढ़ सकता है। देश की खाद्यान्न स्थिति को आज इस बदतर स्टेट में पहुंचाने के लिए आपकी पालिसी ने 20 साल लगाये हैं। 20 साल में आपने इस देश को तबाह किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के लोग -बाग अंडे, दूध, घी नहीं मिले तो उसकी परवाह नहीं करते हैं, उनको मान लें कि अगर गेहूं भी खाने को नहीं मिलता है तो इस बात की उन्हें परवाह नहीं। वे छाछ और राबड़ी खाकर और जौ की रोटी खाकर भी इस देश का इन्सान प्रगति करता रहा है। महाराणा प्रताप, शिवाजी और सन् 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में उन इन्सानों ने कभी भी इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है। इस देश की वही पापुलेशन है, इस देश की वही जाता है उस जनता के सामने आज छाछ राबड़ी और जौ की समस्या है और मामूली से मामूली गेहूं भी उनको नहीं मिलता है, और एक भयंकर समस्या आपके सामने आ रही है तो उसके मूल तीन कारण हैं। जो इस व्यवस्था में कार्य करना चाहते हैं उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिये और आप जो अपनी पोलिसीज का संचालन करते हैं उन्हें इन तीन बातों को देखना चाहिये ये तीन पोलिसीज हैं, उत्पादन, वितरण और नियमन की। अगर इन तीन बातों पर आप अपनी पोलिसीज को तब्दील कर सकते हैं, आप अपने सिद्धान्तों में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं तो निश्चयात्मक रूप से अपने देश की स्थिति को सुधार सकते हैं और जो कृत्रिम और बनावटी अभाव अनाज का आज हमारे सामने दिखाया जाता है या दिखाये जाने की चेष्टा की जा रही है तो यह वास्तव में कृत्रिम अभाव है। दोष कहीं और है। अनाज मिलता है पर कई स्थानों में आप उसका वितरण नहीं करते हैं। यही इसका मूल कारण है। ये तीन बातें उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मन्त्री महोदय के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं।

जहां तक उत्पादन का सवाल है आपके आंकड़ों को सही मानकर मैं चलता हूं और उस उत्पादन में जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी, जो वीरान जमीन पड़ी हुई थी, जहां जंगल लगे हुए थे और खेती के काबिल जमीन नहीं थी उसको कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए उसका एलाटमेन्ट किया है। किसी किसी स्थान पर तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को एलाटमेन्ट कर दिया है कि जिसके लिए मैंने एक बार लिखा था कि "हल का फाळये पकड़ ना पाये कुशल किसान वे कहलाते हैं" वे कुशल किसान बन गये हैं। जिनके बाप-दादों ने कभी हल का फाल नहीं पकड़ा था। उनको आपने 100-200 बीघा जमीन दे दिया ऐसे काश्तकारों को आपने हजारों बीघा जमीन दे दी। उनसे आप यह आशा करते हैं कि वे उत्पादन बढ़ायेंगे। आप यह कहते हैं कि हमने इतना उत्पादन बढ़ा दिया है वह केवल आंकड़ों की बात है। असलियत तो कागज का पेटा भर देने से दबा दी जाती है। और मैं 20 साल के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया आंकड़ों के मास्टर हैं। वे आंकड़ों पर काबू रखते हैं और किसी भी चीज की असलियत को दबा देने के लिये आंकड़े इन्द्रजाल की तरह फैलाये जाते हैं जिससे जनता के सामने वह

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

असलियत नजर नहीं आती है और उस दबादी जाती है। जब कभी भी उत्पादन का सवाल आता है, प्रगति का सवाल आता है तो देश के सामने ये आंकड़े दिखा दिये जाते हैं कि इतने लाख बीघा जमीन काबिलेकाश्त बनादी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बना तो दी लेकिन कागजों में बनादी। वह जमीन कैसी बनी है कि आज जयपुर शहर के 10 मील के एरिया को आप देखलें। तो वहां पर 20-20,30-30 बीघा के फार्म आपको ऐसे मिल जायेंगे कि जिनमें कोठियां बनी हुई हैं, जिनमें बंगले बने हुए हैं, फुलवारियां लगी हुई है और खाद्य के सिलसिले में आपके राज्य सरकार ने क्या किया? इनमें से बहुत आदमी तो ऐसे मिलेंगे जो या तो मन्त्री हैं या मन्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाले हैं। जब इस प्रकार की स्थिति आप की चल रही है उत्पादन के सवाल को लेकर और उसके बाद आप कोशिश यह करते हैं कि देश के अन्दर अनाज का अभाव न हो। तो यह अभाव आज से पैदा नहीं हुआ है बल्कि आजादी के बाद से जब से कि आपकी हुकूमत कायम हुई है; और जब से आपने लोगों को इस प्रकार से पालना करने की चेष्टा की है और इस प्रकार की अनियमितताओं के जरिये एलाटमेन्ट करके नाकाबिले काश्त भूमि को काबिले काश्त करके ऐसे लोगों को एलाट कर दी है कि जिनसे उत्पादन नहीं होता है तो सब से अधिक डिफैक्ट आपकी उत्पादन पोलिसी का है। इस पोलिसी में आज भी आप परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर 16 करोड़ के ओवरड्राफ्ट के बजाय 32 करोड का ओवरड्राफ्ट राजस्थान सरकार लेलेगी, राजस्थान को दिवालिया कर देगी और राजस्थान की जनता पर करोड़ों रुपयों का कर्ज कर देगी तो भी अन्न की हालत नहीं सुधर सकती। जब तक आप अपनी इस नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे और एलाटमेन्ट भूमि का उन लोगों को नहीं करेंगे जो कि वास्तव में जमीन पर उत्पादन कर सकते हैं और उत्पादन के द्वारा अन्न की पैदावार को बढ़ा सकते हैं तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। एक्सपेरीमेन्ट के लिए, बंगले बनाने के लिए, फुलवारी लगाने के लिए सब्जियां पैदा करने के लिये हजारों बीघा जमीन इस राज्य की आप खत्ते में डालना चाहते हैं तो इस देश की खाद्य-समस्या ठीक नहीं होगी। इसलिये इसका सम्बन्ध सीधा नीति से है।

दूसरा मैं इस उत्पादन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सुझाव और देना चाहता हूं कि जहां तक सिंचाई और इसका सवाल है मैं यह मानकर चलता हूं कि इन 20 सालों के अन्दर इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और यह गरीब राजस्थान करोड़ों रुपयों का कर्जदार हुआ है और करोड़ों रुपया आपने दिया है कुएं बनाने के लिए, पम्पिंग सेट के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ट्रेक्टर खरीदने के लिए, इन सब के लिए लाखों करोड़ों रुपया तकावी का काश्तकारों को बांट दिया, लेकिन असलियत को आप जाकर देखिये गांवों में घूमकर देखिये कि लोगों ने इस प्रकार भी किया है कि पुराने कुओं को मरम्मत कराकर नये कुओं का रुपया ले लिया और वह रुपया सरकार को आज तक नहीं दिया जा रहा है और खर्च हो रहा है देश की प्रगति के नाम पर और सरकार इस प्रकार का दावा कर रही है कि देश की प्रगति के लिए वह लाखों करोड़ों

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

रुपया खर्च कर रही है, लेकिन उसका और सदुपयोग होता है या नहीं, उसका प्रॉपर युटिलाइजेशन भी होता है या नहीं ? इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध आपकी राज्य सरकार की पोलिसी से है। जब तक इस प्रकार की पोलिसिज को नहीं बदलेंगे तब तक यहां आकर दलील देने मात्र से; यहां आकर केवल यह कह देने से कि राज्य सरकार बड़ी सचेत है, राज्य सरकार जागरूक है। राज्य सरकार ही क्या इस देश की केन्द्रीय सरकार की यह स्थिति है कि आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा था, माननीय उपाध्यक्ष, जो हिन्दुस्तान के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। वे कहते हैं कि अमेरिका में आज हिन्दुस्तान की यह स्थिति है कि India is an applicant for public Charity. । जैसे एक लखपति के यहां सदाव्रत बंटता है और वह एक रुपया और दो पैसे भिखारी को देता है लाइन के अन्दर तो एक रुपया या दो पैसा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं तो आज हमारे देश की वही हालत है जो कि कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी। इस कांग्रेस की पोलिसी ने उसकी यह स्थिति कर दी है कि यह सुनना पड़ता है कि भीख मांगने के लिए एक आवेदक के रूप में हिन्दुस्तान बाहर के मुल्कों के सामने खड़ा होता है। बड़े दुःख की बात है कि हम भी इस देश के रहने वाले हैं और आप भी इस देश के रहने वाले हैं कब से का आप मुल्क की इज्जत बचाने के लिए अपनी पोलिसिज में परिवर्तन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अन्दर उत्पादन की स्थिति बढ़ जायगी। केवल उत्पादन की पोलिसी में चेंज कर सकें तो।

दूसरी चीज जो आती है वह आती है आपकी वितरण व्यवस्था के बारे में। मैं आपको प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स की बात बताता हूं कि वितरण व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है। वैसे यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि आज कई कारण किस प्रकार से और क्यों आ जाया करते हैं। हम वितरण व्यवस्था में देखते आये हैं कि कभी किसी एक जिले से अमुक अनाज की निकासी का हुक्म हो जाता है और फिर कुछ क्षण बाद या कुछ दिन बाद वह हुक्म मन्सूख कर दिया जाता है। कभी एक प्रकार का अनाज एक जिले को दिया जाता है और कभी दूसरे जिले को दिया जाता है। इसी प्रकार से राशन की दुकाने कहां कहां खोली जायं, इसमें हम देखते हैं कि शहरों में तो राशन की दुकानें हैं लेकिन गांवों में राशन की दुकानों का ठीक इन्तजाम नहीं किया जाता है इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में संघ, संस्थायें और कोआपरेटिव सोसाइटीज इस प्रकार से कायम की जाती हैं, जिनकी लिस्ट आप उठा कर देखिये कि उन संघ, संस्थाओं और कोआपरेटिव सोसाइटीज में काम करने वाले कौन कौन आदमी हैं ......

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, फूड मिनिस्टर तो हाउस में है नहीं। सुझाव दें तो किसको दें।

श्री अमीनुद्दीन (यातायात मंत्री): मैं बैठा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरे मंत्री महोदय बैठे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैं मान कर चलता हूं कि फूड मिनिस्टर साहब होते तो

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)
अच्छा रहता। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उसी तरह की कहावत है कि मैं बोल रहा हूं लेकिन उसका असर क्या हो रहा है। यानि अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मन्त्री) : मैं सुन रहा था आपके सुझाव।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वितरण व्यवस्था में ऐसी संस्थायें आपने बना रखी हैं, जिनमें मान लीजिये कि यदि कोई गबन का मामला हो जाता है तो अव्वल तो मन्त्री महोदय में, राज्य सरकार के अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि गबन के मामले को वह पकड़ सकें क्योंकि उसमें इस प्रकार का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, कोई प्रभाव वाला व्यक्ति होगा कि जिनके खिलाफ कार्यवाही करने की राज्य सरकार की हिम्मत नहीं हो सकती और न ही मुकदमा चला सकती है। अब वितरण व्यवस्था में क्या होता है कि संस्था एक जगह अनाज सेन्ट्रलाइज करके अनाज के गल्ले को इकट्ठा करके उसके बाद में छोटी छोटी जगहों पर उसके वितरण की व्यवस्था करती है। इसी प्रकार आप दुकानों का हाल ले लीजिये। वहां पर भी इसी प्रकार का गन्दा वातावरण है। मैं अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं कि एक छोटा दुकानदार जब अनाज की बोरियां लेने जाता है तो उसको तोलने वाला परेशान करता है। वहां से ठीक तरह से उसे माल नहीं मिलता है। अरे भई, तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम काम करने के लिए बैठते हो तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि ठीक तरह से काम करो। लेकिन इस प्रकार का जो खराब इन्तजाम है उसकी ओर राज्य सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। और वह इसलिये नहीं दिया जाता है कि जितने भी मन्त्री महोदय हैं, ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं उनको कभी राशन की दुकान पर खड़े होने का मौका नहीं मिलता है। आप मेरे साथ चलिये, आप मुझे केवल पांच मिनट का समय दे दीजिये। आप मेरे साथ चलिये, लेकिन यदि सही रूप में मेरे साथ जायेंगे तब तो सम्भवतः वहां लोग आपका सम्मान करने लग जायं और गाली खाने की नौबत न आवे लेकिन लोग कैसे पानी पी पी कर राज्य सरकार को किस प्रकार की गाली देते हैं, अगर वह सुनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पांच मिनट के लिए चलिये।

आपने दुकानों का समय सुबह 9 से शाम को पांच बजे तक का कर रखा है। अब जो गरीब कर्मचारी हैं वह तो नौकरी पर चले जाते है। उसकी बीबी या बच्चे को वहां खड़ा होना पड़ता है। आप देखिये कि जिस बच्चे का स्कूल जाने का टाइम है उसको वह लाइन में खड़ा कर देता है इसके बाद भी आपकी क्या व्यवस्था है, यदि बीस आदमी लाइन में खड़े हैं और उन्नीस आदमिमों ने ले लिया तो जो बच्चा तीन घंटे से लाइन में खड़ा है और उस बच्चे का बीसवां नम्बर आता है तो उसको जवाब दिया जाता है कि भई, आज नहीं, अब कल आना। आप इस स्थिति पर विचार करके देखिए। यह है आपकी वितरण व्यवस्था। और साहब आपका कोटा क्या है आपने पहले ही इतना अनाज दिया है कि जो केवल जिन्दा रहने के लिए ही काफी है। मैं आपको

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
दावे के साथ कहता हूँ कि जितने भी ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले व्यक्ति हैं तो जो छः छटांक अनाज एक इन्सान को खाने के लिए देते हैं वैसे यहां बैठने वाले कितने आदमी हैं जिनको एक दिन में केवल छः छटांक अनाज खाने को दिया जाय बशर्ते कि अनाज के अलावा टोस्ट और फल आदि नहीं हों, तो क्या छः छटांक के अन्दर अपने जीवन को मेन्टेन कर सकते हैं। यह समस्या आपके सामने नहीं है क्योंकि आपको खाने के लिए दूसरी दूसरी चीजें मिल जाती है। मैं कहता हूं कि आप छः छटांक के बजाय अब चार छटांक कर देंगे, जैसा कि आप कहते हैं लेकिन वह चार छटांक तो मिलते रहना चाहिए-इसकी व्यवस्था क्या आप करना चाहते हैं। यह वितरण के सम्बन्ध में आपकी पोलिसी है लेकिन आप अपनी पोलिसी को तब्दील नहीं करना चाहेंगे। आप राशन की दुकान उसी को देंगे जिसको आप देना चाहते हैं, इन संस्थाओं में आप उन्हीं आदमियों को रखेंगे जिनको आप रखना चाहते हैं। ईमानदार आदमियों को आप इन संस्थाओं में नहीं लाना चाहते, उनको इन संस्थाओं में आने देना पसन्द नहीं करते। इसलिए इनमें आप उनको ही रखेंगे जिनमें आपका स्वार्थ निहित है और आपका काम बनाये यह दोनों बातें हैं। इसीलिए आपकी उत्पादन व्यवस्था डिफेक्टिव रही है पिछले बीस साल से और वितरण की व्यवस्था भी पिछले बीस साल से डिफेक्टिव है। इसके अलावा जैसे नियमन होता है, जो नियम बनाते हैं वह भी खतरनाक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस फूड पालिसी में जो रूल्स और रेगुलेशन का सवाल है मैं समझता हूँ कि एक महीने में पन्द्रह या बीस प्रकार के हुक्म यह राज्य सरकार निकालती है......

श्री परसराम मदेरणा : कौन से ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं।

लाइसेन्स के लिए, परमिट के लिए--- इन सब बातों के लिए, इन ग्रेन होल्डर्स के लिए जो कानून और कायदे आपने बनाये हैं उन कानून और कायदों के पीछे सम्भवतः आपकी भावना इस प्रकार की हो सकती है कि किसी प्रकार की बेईमानी न की जाय। लेकिन मेरा तो अनुभव यह रहा है कि जितनी सख्ती के साथ आप कानून बनाने की कोशिश करते हैं, जितने कानूनों में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं उतना ही या तो पब्लिक का हरैसमेंट होता है, या उतनी ही डिसआनेस्टी की स्टेज बढती चली जाती है। मेरे सामने एक छोटा सा वाकया आया, इस पर विचार करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मैं इन्स्टान्स के लिए आपको बताता हूं। एक ग्रेन होल्डर था, जो लाइसेन्स अमुक बाजार में व्यापार करने के लिए आप देते हैं, उसके सम्बन्ध में उदाहरण के लिए बताता हूं कि जयपुर में व्यापार करने वाले लाइसेन्स होल्डर को लाइसेन्स जयपुर के लिए दिया वह और जगह व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन अनाज की व्यवस्था इस प्रकार की है कि लाइसेन्स आर्डर के आधार पर जयपुर में बैठा हुआ व्यापारी कोटा के अन्दर किसी व्यापारी से अनाज खरीदता है और सवाई माधोपुर के किसी व्यापारी को बेच देता है। अब आपकी सरकार के अधिकारी उसका चालान कर देते हैं। एक अनाज का व्यापारी एक जगह अनाज लेता है जहां उसको सुविधा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
के साथ में मिल सकता है और दूसरी जगह अनाज को बेचने की व्यवस्था करता है। लेकिन आपके लाइसेंसिंग रूल्स इतने डिफेक्टिव हैं कि उनमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप मेरे सुझावों को सुनने की चेष्टा करें। आप दोनों मंत्री महोदय बात तो फिर कर सकते हैं। श्रीमन्, मेरा सुझाव है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं

It is contempt of the House, whch I am addressing the House and the Chair, the Minister concerned must listen to me.

श्री परसराम मदेरणा: I am listening your suggestions very attentively but I must expect from you that in your speech you will give your suggestion regarding food policy.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: I am giving my suggestions in regard to the food policy....

श्री परसराम मदेरणा: And also suggest how to improve the food policy of the State.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: I am stating food situation and food policy of the State in order to point out that what are the defects of the food policy. I am sure, if the suggestion put by me are brought in practice, there can be proper distribution of food-grains. If you cannot change the food policy, I can confidently say hat you are trying to create problems and spoil the food situation day by day.

मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार का नियमन है उस पर आप विचार करने की चेष्टा करें तो उससे सम्भवतः बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन तीन बातों को आपके सामने एक्सप्लेन करने के बाद मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस अनाज समस्या से सम्बन्ध रखती है, वह यह है कि आप जितना गल्ला बाहर के मुल्कों से अपने देश के लिए मंगाते हैं और इस प्रकार प्रोक्योरमेंट करके गल्ले का क्रय कर एक स्टॉक अपने राज्य में एकत्रित करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप आसानी से अनाज को हर जगह पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें दो तीन बातें आपके सामने आती हैं, उन पर विचार करें बिना जिस भावना से आप अनाज की व्यवस्था को कायम करते हैं और अनाज के भावों को निर्धारित करते हैं उसके बावजूद भी अनाज के भावों में वृद्धि होती है और कई तरह की बातें होती हैं। तो आपको इन सब बातों पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब खरीदने का एक भाव आप निर्धारित करते हैं तो क्या कारण है कि वह भाव बाजार में उससे दो, चार, पांच रुपया ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठाने के बाद भी कायम नहीं रहता है। इसका मूल क्या कारण है? क्या राज्य सरकार ने कभी इस पर गौर करने की कोशिश की है? जिस अनाज को, जिस फार्म के ग्रेन को लेवी के रूप में 75 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से लेना चाहते हैं वही

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

फार्म का गेहूं आज जयपुर शहर में 125 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बिकता है-- इसका क्या कारण है ? इस कारण पर विचार कर जब तक आप इस कारण को दूर करने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक आप भावों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस प्रकार बढ़ते हुए बाजार के भावों पर यदि राज्य सरकार ने नियन्त्रण करने की चेष्टा नहीं की तो आपकी खाद्य की समस्या, अनाज की समस्या दिन पर दिन दुरूह होती जायगी, भयंकर होती जायगी और इसका समाधान नहीं हो सकेगा । इसलिए राज्य सरकार का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि जहां तक बाजार में भावों का प्रश्न है, उसमें जो नियंत्रण करने का सवाल है--इस सवाल को राज्य सरकार को अपने दृष्टिकोण में रखना होगा.. और यदि आप दृष्टिकोण में नहीं रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि कितने अर्से में गेहूं का भाव बढ़ गया है और आज उसका भाव 125 रु० क्विन्टल है । मैं यह नहीं कह सकता कि आपको बाजार में गेहूं के भावों का ज्ञान है या नहीं और न मैं इन बातों में जाऊंगा लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि आपको आज 125) क्विन्टल से कम में गेहूं नहीं मिल रहे है। आप सोचें कि आज गरीबों की क्या हालत होगी । वे गरीब लोग कैसे अनाज खावेंगे । उन गरीब कर्मचारियों का क्या हाल होगा जिसकी महंगाई आप 5) रु० बढ़ाते हैं लेकिन ज्योंही महंगाई बढ़ाते हैं उसके साथ साथ अनाज के भाव भी उतने बढ़ जाते हैं कि एक गरीब आदमी के घर में 10 आदमी खाने वाले हैं तो उसको तो 10 या 15 रुपया अनाज पर विशेष खर्च करना पड़ता है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह महंगाई की सहायता जो आप राज्य कर्मचारियों को देते हैं वह उनके लिये सहायता नहीं बल्कि एक प्रकार से बाधक है । इधर महंगाई आप बढ़ाते हैं उधर बाजार में भाव बढ़ते चले जाते हैं । आप ही बतावें कि किस प्रकार एक साधारण इन्सान अपना जीवन बितावेगा । इसलिये मैं यह कहूंगा कि आपको अपनी नीतियों को बदलना होगा । कहने को यह कह दिया जाता है कि विरोधी लोग विरोध करने के लिये हर समय खड़े हो जाते हैं मगर यह नहीं बताते कि उनकी खाद्य समस्या पर क्या पोलिसी है । मैं हमारी पोलिसी ही नहीं बल्कि आपका कर्तव्य और हमारी पोलिसी और प्रोग्राम और राज्य सरकार का जो पुनीत कर्तव्य है उसे बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे विरोधियों की सरकार हो, चाहे किसी जालिम और जुल्म करने वालों की सरकार हो उनका पुनीत कर्त्तव्य यह है कि वे लोगों को खाने को अन्न, पीने को पानी और पहिनने के लिये कपड़ा दें । ये एलीमेन्ट्री और प्राइमरी ड्यूटीज सरकार की होती हैं, हर गवर्नमेंट की यह प्राइमरी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट को अपनी प्राइमरी और एलीमेन्ट्री ड्यूटीज को नहीं भूलना चाहिये और आप अपने प्रधान कर्तव्य की ओर नहीं सोचते हैं और हमसे पूछते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आपकी अकल का दिवाला निकल गया है । हम यह कहते हैं कि आप किसी भी नीति को लेकर चलिये मगर पब्लिक को खाने को अन्न और पीने को पानी व पहिनने को वस्त्र तो दें । शिक्षा की बात तो बाद में करूंगा । जब आप जनता के

(श्री दुर्गालल बाढ़दार)
खाने के लिये भी इन्तजाम नहीं कर सकते तो फिर शिक्षा का क्या प्रबन्ध करेंगे ।

अभी कुछ अन्डे, दूध और घी के लिये कहा गया । इसके लिये मैं यह कहूंगा कि 8 या 10 साल पहले का जमाना गया जब हम दुकानों पर यह लिखा हुआ देखते थे कि यहां शुद्ध दूध और घी मिलता है । मगर आज असली घी और दूध का मिलना तो दूर रहा असली डालडा के लिये भी तलाश करनी पड़ती है । इस राज्य में घी और दूध भी चला गया और शुद्ध डालडा भी चला गया । वहां आप अंडे और दूध की बातें करते हैं । गरीब इन्सान क्या खाएगा । यह तो डालडा में भी..

श्री **परसराम मदेरणा** : आप डालडा ही खाते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपके जमाने में घी खाने की कल्पना ही छोड़ दी । मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें खाद्य समस्या से संबंध रखती हैं और इसका कोई दूसरी समस्या से संबंध नहीं है । आपको यह मान कर चलना होगा कि खाने पीने की व्यवस्था में आपको एडलट्रेशन को रोकना होगा । इसमें आपको कड़ाई लानी होगी । यह जो फूड में एडलट्रेशन चल रहा है वह कब तक चलेगा । इसको रोकना होगा । आज इसमें एडलट्रेशन बढ़ता जा रहा है वह आपकी केवल पोलिसीज के कारण है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक सज्जन हवाई जहाज में जापान जा रहे थे । हिन्दुस्तानी थे । उन्होंने खाने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया । मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय, यह बता देना चाहता हूं कि आज देश की आपने क्या हालत करदी है । एक बैहरा जब खाना सर्व करने को आया तो उसने उससे पूछा कि यह शुद्ध घी की है ? तो वह बैहरा समझ गया कि यह हिन्दुस्तानी है । कहने लगा कि आप हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं क्या ? उन्होंने कहा हां, बैहरे ने कहा कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट हिन्दुस्तान में ही करते हैं और किसी दूसरे मुल्कों में नहीं करते हैं । जहां हमारे देश के बारे में इस प्रकार की बातें कही जावें और हमारे देश की इस प्रकार की दुर्गति हो और इस प्रकार अमेरिका के बाजार में हमें भिखारी के रूप में कहा जावे, यह देश की हालत किसने पैदा की । मैं यह कहूंगा कि यह हालत आपने पैदा की । इन 20 वर्षों से राज्य चलाने वाली कांग्रेस ने इस प्रकार की स्थिति पैदा की और कांग्रेस की पोलिसी ने यह हालत पैदा की । हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कम से कम भगवान के नाम पर और देश के नाम पर और कम से कम इन्सानियत के नाम पर आप अपनी इन पोलिसीज को बदलने की कोशिश करें । अगर आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं जिसके द्वारा उत्पादन और वितरण की व्यवस्था ठीक हो जाए और इन्सान को खाने को अन्न और पहनने को कपड़ा मिलता रहे तो इन्सान में वह ताकत है कि वह प्रकृति को भी बदल सकता है और प्रकृति से लड़ सकता है । आप कहेंगे कि कहने को तो कहा जा सकता है कि पोलिसीज को बदला जाए । मैं यह कहूंगा कि जब भगवान इन्सान को पैदा करता है तो उसको दो हाथ और पांव भी देता है पैदा करने के लिये । यह बात आप मान कर चलिये कि इन्सान में उत्पादन की ताकत है । जमीन के लिये

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आपने करोड़ों रुपये खर्च किये। मगर वे सारी चीजें जिस जगह थीं वहां की वहां रह गईं इसलिये इन सारी समस्याओं पर आपको विचार करना होगा और आपको इन पर सोचने के पश्चात् इस बात का निर्णय लेना होगा और अपने मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन लाना होगा। अगर आप अपनी नीतियों में परिवर्तन करेंगे तो एक-दो साल में स्थिति सुधर सकती है। सारे हिन्दुस्तान की स्थिति बदल सकती है। यह कहा जाता है कि अकाल है, सभी जगह अकाल नहीं है किसी प्रान्त में एक साल से या दो साल से अकाल रहा हो। मगर आज अनाज की समस्या सारे देश में है। जब सारे देश की यह स्थिति है तो सरकार कहे कि अकाल के कारण प्रगति नहीं हो रही है, एक यह कारण है और दूसरे कई कारण हो सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि इस प्रकार की समस्या को बढ़ाने के लिए इस राज्य सरकार की नीति है, पोलिसी है, जिसके आधार पर आज हमारे देश को यह संकट उठाना पड़ रहा है और जिसके कारण हमारे देश के सामने भयंकर समस्या आ रही है वह आपकी पोलसी है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी नीति में परिवर्तन करने का कष्ट करें। थोड़ा सख्त बनिये और जो लोग अपने रिश्तेदारों को अनुचित रूप से ठकाबी दिलाकर नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं उन आदमियों को पकड़ने की कोशिश करें और मैं यह कहूंगा कि आपने 10-15 केसेज हिम्मत से तय कर दिये तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश का कल्याण हो सकता है और अगर आपमें हिम्मत है तो करिये। वरना यह होगा कि हम बहस करेंगे और आप हमको बहस का जबाव दे देंगे और आप यह कह देंगे कि हमने इतना करोड़ रुपया खर्च करके इतना इन्तजाम कर दिया, इतनों को गेहूं बांट दिये चाहे वह आपके रिश्तेदारों को ही मिले और दूसरी जनता को मिले या न मिले इसकी आपको चिन्ता नहीं। मगर इस प्रकार देश का कल्याण नहीं होगा।

इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने चरित्र को मजबूत बना कर हिम्मत के साथ कोशिश करिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप खाद्य समस्या का इन्तजाम कर सकेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): उपाध्यक्ष महोदय, अनाज के बारे में बहस हो रही है और खाद्यान्नों के लिए किस तरह का संकट हमारे देश में है और वह किस तरह से दूर हो सकता है इसके बारे में मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय इसको ध्यान से सुनेंगे कि नीमके थाने में पाटनवाटी में 21 गांव का एक ब्लोक ऐसा है जिसमें पानी की कमी नहीं है अगर वहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक तरह से कर दी जावे तो इन 21 गांवों में बिजली लगादी जावे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन गांवों की अन्न समस्या तो बिल्कुल हल हो जावेगी। इतना ही नहीं वे पूरे डिविजन को अन्न दे सकते हैं। साथ में यह भी समस्या है कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें छोटे छोटे बांध बनाने की योजना की जावे। वह पिछले वर्ष एक लाख 37 हजार रुपये की मंजूरी थी मगर पिछले वर्ष वह रुपया एक लाख 37 हजार वहां पर क्यों नहीं वितरण किया गया यह मालूम नहीं। वह मंजूरी केंसिल हो गई और वह रुपया वापिस हो गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)

तीसरी बात यह है कि कुओं के लिए ऋण दिया जाता है उसमें इतनी गड़बड़ी चलती है कि किसान बराबर दो महिने तक अपने पैर रुपये लेने के लिये रगड़ते रहते हैं फिर भी उनको रुपये नहीं मिलते हैं, और जिसको रुपये की आवश्यकता नहीं होती है, उसको रुपया मिलता है और जिसको रुपये की आवश्यकता होती है उसको रुपया नहीं मिलता है, ग्राम सेवक को रुपया देने से किसान को रुपया मिल जाता है और इसके बिना किसान को रुपये की आवश्यकता होती है तो भी उसको रुपया नहीं मिलता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण देने की व्यवस्था इस प्रकार की सरल होनी चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने वाले किसानों को ऋण लेने में तकलीफ नहीं हो।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैक्टरों के लिए ऋण देने की व्यवस्था है वह इस प्रकार की है कि उस व्यवस्था के कारण कई वर्षों तक किसानों को ट्रैक्टर के लिए ऋण नहीं मिलता। इसके लिए मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। नीम के थाने में नापावाली पंचायत है वहां पर पांच छः आदमियों ने मिल कर अपनी सारी जमीन को शामिल करके तय किया कि 500 बीघा की सम्मिलित खेती करेंगे। ट्रैक्टर से खेती करने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर के लोन के लिये दख्वास्त दी, आज एक वर्ष होने को आया वे कागज नीम के थाने में ही चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ट्रैक्टर लोन के लिए इस प्रकार की सरल व्यवस्था की जानी चाहिये कि जल्दी से जल्दी जरूरतमंद लोगों को लोन मिल जाय और वे ट्रैक्टर लेकर अनाज की उपज को बढा सकें।

इस समय एक तो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि जहां अन्न नहीं है वहां वहां अन्न लाने के लिए परमिट हासिल करने में लोगों को बड़ी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। परमिट के लिए तहसीलदार के पास दख्वास्त दी जायगी तो तहसीलदार एस. डी. ओ. के पास उसे भेजेगा, एस. डी. ओ. डी. एस. ओ. के पास भेजेगा, डी. एस. ओ. कलेक्टर के पास भेजेगा। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण व्यापारी तंग हो जाता है। तो परमिट की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी परमिट मिल जाय और जहां अन्न नहीं है वहां जल्दी से जल्दी अनाज पहुंच जाय।

अब मैं, विरोधी सदस्यों ने कुछ बातें कहीं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। विरोधी सदस्य कहते हैं कि काला बाजार होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि काला बाजारी करने वाले कौन हैं? जितने व्यापारी काला बाजारी करते हैं वे या तो स्वतन्त्र पार्टी के हैं या जनसंघ के हैं। वे ऐसा एग्जाम्पल पेश करें कि उनकी पार्टी का अमुक व्यापारी काला बाजारी नहीं करता है। मैं कोई लांछन नहीं लगाता वे कोई एग्जाम्पल पेश करें कि उनकी पार्टी का फलां व्यापारी काला बाजारी नहीं करता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90 प्रतिशत कालाबाजारी करने वाले व्यापारी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के सदस्य हैं।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : आपकी गिनती किसमें आती है ?

श्री **मोहनलाल मोदी** : साथ ही लेवी का सवाल आया, मैं लेवी के विपक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि जनता को अन्न मिलना चाहिये। आज व्यापारियों के पास होर्डिंग नहीं है, होर्डिंग किसानों के पास है, वह किसी न किसी प्रकार बाजार में आना चाहिये, इससे अनाज की समस्या सुधरेगी । आज व्यापारियों के यहां छापे मार सकते हैं किसानों के यहां पर छापे नहीं मार सकते ?

श्री **भगवानदास शास्त्री** : सेल्स टैक्स की चोरी में आप पकड़े गये या और कोई पकड़ा गया था ।

श्री **मोहनलाल मोदी** : मेरे कागजात पकड़े गये कोई चोरी नहीं निकली ।

श्री **मदनसिंह** : नीमका थाना में सेल्स टैक्स की चोरी में कौन पकड़ा गया ?

श्री **मोहनलाल मोदी** : आप शान्ति से सुनिये । आज जितना अनाज का होर्डिंग है, उसके लिये मैं बताना चाहता हूं कि किसानों पर पाबन्दी होनी चाहिये ।आज व्यापारी के यहां छापा मार सकते हैं, किसानों के यहां पर छापे नहीं मार सकते । आज स्थिति यह है कि व्यापारी ने माल खरीदा और किसानों के गोदामों में डाल दिया, अनाज आज किसानों के गोदामों में पड़ा हुआ है, व्यापारी ने उनको पैसा दे दिया और अपना ताला लगा दिया क्योंकि किसानों के यहां जाकर अनाज का चैकिंग नहीं कर सकते । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 45 क्विन्टल से अधिक अन्न किसानों के पास नहीं रहना चाहिये चाहे वह कितना ही बड़ा किसान क्यों न हो । इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से अनाज बाहर आयेगा ।

माननीय सदस्य ने कहा कि 10 दिन की हुकूमत संभला दी जाय तो वे सारे राजस्थान में अन्न की समस्या का हल कर देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त इनकी हुकूमत थी, उस समय किसानों की क्या हालत थी, उनके तन ढकने को पूरा कपड़ा तक नहीं होता था, घर पर छप्पर नहीं होता था, आज किसानों के पक्के मकान बने हुए हैं, अच्छी तरह से कपड़े पहन रहे हैं, आज किसान खुशहाल हैं । इनको हुकूमत संभला दी जाय तो किसान फिर बरबाद हो जायेंगे ।

श्री **मदनसिंह** : किसानों पर अन्याय किये तो इन्हीं के बाप दादों ने कामदार बन कर अन्याय किये, किसानों को बर्बाद किया तो इन्होंने किया ।

श्री **मोहनलाल मोदी** : मेरे को इनकी सारी स्थिति मालूम है क्योंकि हम मोदी हैं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आयातित गेहूं बाहर से आता है वह सीकर जिले में केवल सीकर में ही दिया जाता है, दूसरे म्युनिसिपल कस्बों में नहीं दिया जाता । दूसरे कस्बों में भी यह गेहूं दिया जाना चाहिये । वहां मजदूर बहुत रहते हैं, उनको परेशानी बहुत होती है इसलिये इस पर भी ध्यान देना चाहिये । म्युनिसिपल क्षेत्रों में मजदूर हैं, जो खेती नहीं करते हैं उनके लिये स्पेशल तौर पर राशन की दुकानें खोलनी चाहिये ।

विरोधी सदस्य कहने के लिये बार बार कई बातें कहते हैं पर आज सुबह से खाद्य

(श्री मोहनलाल मोदी)
समस्या पर बहस हो रही है, उन्होंने कौनसा कान्क्रीट सजेशन इस समस्या के हल के लिये दिया है, सिवाय कांग्रेस गवर्नमेंट को कोसने के और कोई सुझाव नहीं दिया है। तो मेरा निवेदन है कि अन्न की समस्या को हल करने के लिये मेरे क्षेत्र के लिये मैं निवेदन करूं कि हमारे पाटनवाटी के 21 गांवो में बिजली की व्यवस्था कर दें तो हम कोशिश तो यह करेंगे कि सारे सीकर जिले को अनाज दे दें। नीमका थाना सब-डिविजन को अन्न बाहर से नहीं लेना पड़ेगा।

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गोवर्धन।

श्री **गोवर्धन** (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्य स्थिति पर बहस के दौरान शासक पक्ष के एक माननीय सदस्य ने पहले कुछ शासक पक्ष की नीति की विवेचना करते हुए बताया कि शासक पक्ष अधिकारियों की बुराइयों को हटा देवे और अपना दिमाग साफ करे तो देश की खाद्य समस्या हल हो सकती है। मैं उन सदस्य महोदय की बात की ताइद करता हूं। उसके बाद अन्य माननीय सदस्य बोले और उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से सुझाव नहीं आ रहे हैं तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर शासक पक्ष अपना दिमाग साफ रखे तो हम सुझाव देंगे और हमारे सुझावों को माना गया तो देश की खाद्य स्थिति में सुधार होगा।

शासक पक्ष की ओर से बताया गया कि खाद्य समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करना चाहिये, इसका मैं स्वागत करता हूं और यह मानता हूं कि वास्तव में खाद्य समस्या तभी हल हो सकेगी जब कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर हल करने का पूर्ण प्रयास किया जायगा। पर आपने जो नीति अपनाई है, आपने कुर्सी के स्तर पर इस समस्या को हल करने की कोशिश की है। हमारी कुर्सी किसी न किसी तरह बनी रहे, फिर चाहे कितना ही हो हल्ला होता रहे, कितनी ही खाद्य समस्या बनी रहे। इस प्रकार की नीति के कारण, इस समस्या को कुर्सी के स्तर पर हल करने की कोशिश के कारण यह समस्या आज तक हल नहीं हो सकी है, वर्ना राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का हल करने का समुचित प्रयास किया जाता तो यह समस्या कभी की हल हो जाती।

हमारा देश एक देश है, एक राष्ट्र है, इसलिये इस समस्या के हल का प्रयास राष्ट्रीय हित स्तर पर किया जाना चाहिये, एक राष्ट्र होने के नाते हमारी एक राष्ट्रीय नीति इस समस्या के समाधान के लिये होनी चाहिये, पर आज वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, अलग अलग प्रान्तों की अलग अलग खाद्य नीतियां हैं। एक प्रान्त के अन्दर गेहूं 70 रुपया क्विन्टल है तो दूसरे प्रान्त में 150 रुपया प्रति क्विन्टल है। एक प्रान्त के अन्दर चावल 150 रुपया प्रति क्विन्टल है तो वही चावल दूसरे प्रान्त के अन्दर में 250 रु. प्रति क्विन्टल है, एक प्रोविन्स से दूसरे प्रोविन्स को कोई सहानुभूति नहीं जैसे दूसरे प्रान्त के लोग किसी दूसरे ही देश के निवासी हों। बड़ी अजीब स्थिति है, कैसे एक राष्ट्रीय नीति बनेगी। जब हम विदेशों से अपील करते हैं, अमेरिका से अपील करते हैं कि

(श्री गोवर्धन)

हमारे देश में अनाज की कमी है, हमें सहायता कीजिये पर हमारे देश का एक प्रान्त दूसरे प्रान्त से सहानुभूति नहीं रखता तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? हम दुनिया भर से अपील करते हैं और खाद्य मांगते रहते हैं लेकिन देश के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को, जिसको जरूरत है, नहीं देना चाहते। फिर कैसे राष्ट्रीय स्तर पर समस्या का हल हो सकता है? उसके बाद में सुझाव भी आये इस अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। सरकार को स्टाक करना चाहिये, होर्ड करना चाहिये। दूसरे भी होर्ड करते हैं तो कई वक्ताओं ने सुझाव दिया कि होर्ड करने वालों पर निगरानी रखनी चाहिये और उधर सरकार के द्वारा होर्ड करने का समर्थन करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि खाद्य निगम ने राजस्थान के कई हिस्सों में खरीद शुरू की और मेड़ता में भी शुरू की तो उसने बाजरा की खरीद में 4 महीने के काल में सरकार के 5,000) रु० खर्च कर दिये सिर्फ 91 बोरी बाजरा खरीदा गया। तो क्या इसी ढंग से सरकार कोई अपने हाथ में नियन्त्रण और वितरण की समस्या को लेकर देश की जनता का भला कर सकेगी? यह सोचने का सवाल है। मेरे कहने का मतलब है कि जब से सरकार ने खाद्य समस्या पर हाथ डाला है और कहा है कि अनाज सस्ता करेंगे और लाइसेंसिंग आर्डर लागू किया और कानून लगाये तब से खाद्य समस्या बिगड़ती गई और उसके मूल कारण की ओर सरकार ने सोचने की कोशिश नहीं की और खाद्य समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के कानून बनाते हैं। उसके बावजूद भी खाद्य समस्या क्यों बिगड़ती है, महगाई क्यों बढ़ती है, उत्पादन क्यों नहीं बढता है? अगर वास्तव में देश के हित की दृष्टि से, राष्ट्र की एक नीति से सोचें तो इस समस्या का हल हमें मिल सकता है।

सन् 1964 में जब सरकार ने महसूस किया कि देश के कुछ भागों में भाव बढ रहे हैं तो उन्होंने लाइसेंसिंग आर्डर 1964 लागू कर दिया और उसके तहत में इस तरह के कानून और नियम बनाये कि जिससे व्यापारियों की परेशानियाँ बढ़ गई। देश में इन्सपेक्टर्स और एन्फोर्समेंट आफिसर्स नियुक्त हुए और उसके तहत भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार ही महगाई का मूल कारण है। जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटता तब तक महंगाई नहीं जायगी। तो मैं लाइसेन्सिंग आर्डर 1964 की बात कर रहा था, आज 1967 है। उसके तहत भाव सूची टांगनी पड़ती है, हर तीसरे महीने नफे नुकसान का हिसाब और हर 15वें दिन स्टाक का लेखा पेश करना पड़ता है। इसको तीन वर्ष लागू हुए हो गए लेकिन अब तक भावों में मंदी नहीं आई, बल्कि भाव बढ़े। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर उसकी नीति गलत है तो उसमें सुधार होना चाहिये।

आज जो सरकार सहकारी समितियों, सुपर बाजार, सहकारी कृषि आदि में पैसा खर्च कर रही है, जिससे करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे को बचा कर छोटी मोटी सिंचाई के साधनों पर लगाये, किसानों की मदद करें। किसानों को ऋण दिया जाता है वह वास्तव में सिंचाई और खेती के काम में लिया जाय इस बात की ओर

(श्री गोवर्धन)

ध्यान दिया जाय तो कोई आश्चर्य नहीं कि देश की खाद्य समस्या हम हल कर सकते हैं लेकिन बजाय इस तरह ध्यान देने के हम और तरीकों में पैसा खराब करते हैं। ये सहकारी भण्डार हैं, उनको सरकार अनुदान देती है लेकिन उनका हिसाब तो सरकार देखे ? देश में कितना हैवी टैक्सेशन लगाकर, उस पैसे का कितना दुरुपयोग होता है। आप अनाप-शनाप टैक्सेज लगायेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। एक रुपया का गुड लेते हैं तो 7 पैसे टैक्स, एक रुपये का वेजिटेबिल लेते हैं तो 10 पैसा टैक्स देना पड़ता है यानी 100) के टिन पर 10) रुपया बिक्री कर। 100) के गेहूं पर 2) टैक्स। एक तरफ सरकार टैक्सेज की मार्जिन रखना चाहती है और दूसरी ओर महंगाई दूर करना चाहती है। आपको टैक्सेज को कम करना पड़ेगा। इससे किसानों को भी फायदा होगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा।

इस तरह जो पैसा इन सहकारी समितियों, उपभोक्ता भन्डारों में अपव्यय होता है, उस पैसे को बचा कर छोटी मोटी सिंचाई योजनाओं में लगाया जाय तो आश्चर्य नहीं कि खाद्य समस्या हल हो जाय। जो खाद्य स्थिति बिगड़ी है वह सारी नियंत्रण के कारण बिगड़ी है। लोगों के दिलों में यह भावना है कि जिस चीज पर सरकार नियंत्रण करती है, वह चीज गायब हो जाती है क्योंकि सरकार नियंत्रण करती है। गांधी जी के सिद्धान्तों को देखा जाय तो उनके अनुसार कन्ट्रोल बुरा है, कोटा, लाइसेन्स बुरा है। अगर आप जनता की भावनाओं की कद्र करते तो आज सारा व्यापार स्वतंत्र होता।

आप सप्लाई पोजीशन की बात करते हैं। आप जिला बंदी हटादें, प्रान्त बन्दी हटा दें, सप्लाई पोजिशन अपने आप व्यापारी संभाल लेगा। लेकिन जो आप कोटा देते हैं, लाइसेन्स और परमिट देते हैं, जिसके आधार पर चुने हुए कुछ आदमियों को ही आप सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई पोजीशन नहीं सुधर सकती। अगर हम देश की खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो इस पर लगे हुए टैक्सेज और प्रतिबन्धों को हटा दें तो समस्या हल हो जायगी।

उसके अलावा हम जब खाद्य समस्या का इतने जोरों से शोर करते हैं, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 20 दिन पहले यहां से 11,000 आटे की बोरी खाद्य निगम ने बाहर के प्रान्तों को भेजी है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है वह आटा बाहर गया है या जायगा। तो जो लोग इस बात के हामी हैं कि सरकार स्टाक करे या राष्ट्रीयकरण किया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि आखिर 11,000 बोरी आटे की यहां की जनता के लिए आई थीं और खराब होने पर वापस बाहर जा रही हैं, यह मेरा विश्वास है कि जहां भी सरकार के हाथ में काम होगा, वह गलत होगा, क्योंकि सरकारी मशीनरी में ईमानदारी नहीं है, इसलिये ही यह समस्या उलझी हुई है।

एक बात और है लेवी की। हम किसान को हर तहर से प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उसकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं और उसके साथ में जब गेहूं बाजार में 125) हो और हम किसान से 75) में ले लें तो यह किसान के साथ अन्याय है। एक तरफ मदद की बात करते

(श्री गोवर्धन)

है, दूसरी तरफ पैसा घटाते हैं, यह उसके साथ में भारी अन्याय है। प्राकृतिक तौर पर जो भी भाव हो उस भाव में खरीदिए, जितना पैसा टैक्सों से वसूल करें उसका दुरुपयोग न करके मजदूर और गरीब लोगों को सस्ता अनाज दें। मैं तो राशन व्यवस्था के खिलाफ हूं। राशन व्यवस्था उसकी होनी चाहिए जो नाज केन्द्रीय सरकार से मिलता है उस अनाज को राशन की दुकानों पर बेचना चाहिए न कि जो किसानों से सस्ता वसूल करें उसे वितरित करें।

इसके अलावा शासन लोगों को झांसा देता है। जब फसल आती है और 60-65 के भाव होते हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं कि भावों को नीचे लाएंगे। लोगों को दिखाने के लिये, हमदर्दी बताने के लिये कहते हैं कि हम 40-42 में खरीदेंगे। यह तमाशा क्या है? सरकार कहती है कि हम चीज को सस्ता करेंगे लेकिन कुछ नहीं होता। सिर्फ आश्वासन दिये जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुर्सी बनी रहे। तो मैं इतना कहता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप वास्तव में खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं तो आप अन्तर्प्रान्तीय व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए, नियन्त्रणों को आप समाप्त कर दीजिए और जो टैक्स लगे हुए हैं उनको भी आप समाप्त कर दीजिए। यदि आपने इनको खत्म कर दिया तो अपने आप ऑटोमेटिक तौर पर किसान प्रोत्साहित होगा, उसको इन्सेन्टिव मिलेगा, वह पैदावार बढाने के लिये लालायित होगा और खाद्यान्न की समस्या हल हो जावेगी। आपने अपने कामों और नियंत्रण व्यवस्था में जो यह करने की कोशिश की जिसका परिणाम आज आप और हम सब लोग देख रहे हैं। यदि वास्तव में जनता को सस्ते भावों पर अनाज देना है तो आपको अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में आज अनाज की स्थिति के विषय में विचार विमर्ष हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार से विचार-विमर्ष किया गया, जो प्रोग्राम हमारे पक्ष के लोग मानते हैं आप उस पर सुचारू रूप से विचार नहीं करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि आज जिस प्रकार से अनाज की व्यवस्था है, उपभोक्ता भंडार हैं और वितरण की अन्य व्यवस्थायें हैं वह सब पार्टी के रूप में, दल के रूप में हैं, सारी व्यवस्था उन्हीं को दी जाती है जो आपकी पार्टी के या दल के हैं और जिलाधीश महोदय को भी उनका पीछा करना पड़ता है कि हुजूर फरमाइये क्या करना है। चाहे कोई वस्तु हो, चावल हो, परमिट सिस्टम में उन्हीं के अनुयायियों को दिया जाता है। यदि वितरण की व्यवस्था विशुद्ध विचारों से, शुद्ध भावना से सर्वसाधारण को समान मान कर नहीं की गई तो खाद्य समस्या चाहे शहर हो या गांव हो उसमें कोई सुधार नहीं आ सकता।

किसानों का जहां तक सवाल है रेडियो प्रसारण में भावों के विषय में बताया जाता है। शहर से लेकर गांवों के लोग, गांवों के किसान ट्रान्जिस्टर अपने पास रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के भाव सुनने के बाद अनाज के भाव चढा देते हैं। शहरों में 125) 150) क्विन्टल में गेहूं मिल जाता है लेकिन किसान आपको 200) क्विन्टल में भी देन

(श्री भगवानदास शास्त्री)

के लिए तैयार नहीं है। अनाज की कमी है, वर्षा की कमी है, मंत्री लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा आपके हमारे जमाने में देशी गेहूं, पंजाब का खाते थे वह कहां है? जन गणना के बाद आज 51 करोड़ की जनता इस देश की मानी जाती है। लेवी के रूप में अनाज लेना चाहते हैं वह आखिर कहां जावेगा? वितरण व्यवस्था से देना चाहेंगे? वह लेवी का अनाज कहीं है नहीं। जो आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया तो उनके पास है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको भय था। किसान के पास या तो पैसा है इसलिए अनाज नहीं बेचता। जहां तक किसान की स्थिति का मुझे मालूम है उसके पास पसा नहीं है। वह इस सीमा की ताक में है कि कब अकाल हो देश में और दो सौ रुपया क्विन्टल में गेहूं दूं। देश के नागरिकों को इस प्रकार की अशुद्ध भावना से बचाना है। उपभोक्ता भंडार आदि हैं उनको तीन हजार, साढ़े तीन हजार रुपया लौन का दिया जाता है। मैंने कोई फिटिंग देखा नहीं, अलमारी और तख्ता भी नहीं देखा। फिर एक एक सौ रुपये के मेम्बर बनाये जाते हैं और फिर वह पैसा लेकर चलता है। वही वितरण व्यवस्था वह तो उसका सपोर्टर है। योजनायें तो सफल हुई या नहीं यह तो जनता जानती है। चार योजनाओं तक भी राहत नहीं मिली और भुखमरी ज्यादा फैली। कन्ट्रोल, जैसा अभी एक माननीय साथी ने कहा जिस चीज में कन्ट्रोल होता है उसमें बढोत्तरी अधिक होती है। मर्चेन्ट एसोसियेशन खोल दीजिये, राष्ट्रीय वितरण व्यवस्था को छोड कर, व्यापारियों का एक एसोशियेशन बना दीजिये जिस पर जिलाधीश का कन्ट्रोल हो, इन्स्पेक्टर हो वह देखे कि कितना खरीद सकता है। मनी मार्केट वैसे ही टाइट है। व्यापारी जेवर बेचकर भी खाने के लिए रखता है कि तीन महीने बाद दुगुने भावों में गेहूं मिलेगा। बर्थ कन्ट्रोल, लूप चला, लूप से अधिक संताने पैदा हो गईं। शुद्ध विचार से यह निर्णय होना चाहिए।

जनता की बढोत्तरी हुई इसलिए समस्या हल नहीं हुई। जब संकट आता है तो आप सहयोग की आकांक्षा करते हैं। चीन का आक्रमण हुआ, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ हम सब एक थे, कोई दल अलग नहीं था। आपत्ति आती है तो आप हम सब मिल कर काम करें। लेकिन जनता पर जब आपत्ति आती है तो आप कहते हैं कि हमी सब हल करने वाले हैं। आप ही परिपूर्ण शक्तिमान हैं। आप से काम नहीं होता है तो हमारा नाम लेते हैं। आपके कामों से जब इस प्रकार का विनाश सामने आता है तो विरोधियों को याद करने की कोशिश की। दुग्ध वितरण हो चाहे खाद्यान्न वितरण हो, चाहे और जितनी भी आपकी योजनायें हैं जिनमें आपका नियन्त्रण है सब की यही स्थिति है। कर्मचारियों को कौनसी राहत मिली। भ्रष्टाचार बढने का कारण यह है कि अन्न पूरे मूल्य में और दूसरी चीजें पूरे मूल्य पर नहीं मिलतीं। रहने के मकान की योजना नहीं बनायी। मैं अपने पक्ष के सदस्यों के विश्वास से कहता हूं, जहां तक दलीय प्रश्न है इसको छोड़ कर आज जनता में विश्वास पूर्वक कहता हूं कि सहयोग देने के लिये तयार हैं, व्यापारी भी साथ देने के लिये तैयार हैं। व्यापारी जानता है कि यह देश हमारा है, उनको अपने देश से प्रेम है, वह जानता है कि यह गवर्नमेंट हमारी है, उन्हें भारत के लिये अत्यन्त स्नेह है, प्रेम है,

(श्री भगवानदास शास्त्री)
भारतवर्ष में इस प्रजातन्त्रीय प्रणाली में उसका अटूट विश्वास है लेकिन आप उसको काम में नहीं लेना चाहते हैं।

समय हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय की भी घड़ी पर टकटकी है। मुझे कल समय मिला तो और इस पर प्रकाश डालूंगा। मैं समय के लिये कटिबद्ध हूं।

अतः मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस नियन्त्रण और मशीनरी का पीछा छोड़ कर व्यापारियों का सहयोग लें। जनता के बीच में बैठ कर, व्यापारियों के बीच में बैठ कर शुद्ध निर्णय लें, एसोसियेशन बना कर इस खाद्य समस्या को हल करें। यही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.00 बजे दिनांक 26 मई, 1967 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर देखिये)

नाम ग्राम 1	नाम आसामीयान 2	तादाद रकबा 3
नन्दलाल पुरा	चन्दा पुत्र शिवनाथ	12।।।) 4
कांसले	रामकरण पुत्र लादू बैरवा	7।2
,,	लालू पुत्र भीया बैरवा	1।।4
,,	छोटू पुत्र देवा बैरवा	3)
रामपुरा	कालुपुत्र रामकरण ब्रा० फागी	15)
सिरस्या	भारतभूषण पुत्र त्रिलोकीनाथ	12)
सराडिया	घमण्डीलाल पुत्र सूवालाल बडवा	10)
,,	पृथ्वी राज बडवा	10)
नारडा	हरिनारायण पुत्र रामसहाय ब्रा०	6।।।4
आडला	रामनारायण पुत्र गोपीदास	5) 4
भौजपुरा	शमीम अहमद खां पुत्र अब्दुल लतीफ खां	15)
,,	नरेन्द्रकुमार पुत्र चांवर्तसिह राजपूत खिजूरिया	12)
,,	रामदेव पुत्र नानगराम भाट	9)
,,	पीरखां पुत्र बक्सा बनजारा	2)
,,	श्रीराम पुत्र लादू बैरवा	10) 4
,,	बोरिया पुत्र कालू बागरिया	8)
,,	अलीखां पुत्र इमामबक्स बनजारा	5।।।2
बोसरा	गोपी पुत्र कालू जाट	2) 4

Page No.106

1	2	3
सहेदरिया	तेजसिह पुत्र समन्दरसिंह	1313
गुलाबपुरा	सुजा पुत्र भूरा जाट	2)3
,,	भूरा पुत्र सूज्या जाट	2)3
बोकड़ावास	लाडू पुत्र रामबक्स	3112
,,	पदमाराम पुत्र झूथा मीणा	312
,,	रामू बैरवा	9112
,,	गोपीलाल ब्राह्मण	514
,,	बदरीनारायण ब्रा०	214
,,	हनुमान पुत्र बिरधा बागडा	2113
,,	भूरी जोजे सुरबाना दरोगा	3111
,,	मोरया पुत्र नाथू मीणा	21114
,,	सुवा पुत्र छोटू मीणा	4)
,,	पेमनसिंह पुत्र समुन्दरसिंह	15)
,,	अमरसिंह पुत्र पेमनसिंह	15)
,,	खांगा पुत्र गोरी मीणा	91)
ठीकल पुरोहितान	ग्यारसीलाल ठीकल	5)
,,	भगवती प्रसाद ब्रा०	
चान्दुला खुर्द	स्योकरण पुत्र घासी जाट	114
	— 1966 —	
महाडिया	छोटू पुत्र जमना बैरवा	4114
,,	बालू पुत्र मघा नायक	111
सवाईजयसिंहपुरा	भूराराम पुत्र लादूराम	1)

1	2	3
ऊंट का खेड़ा	रामपाल पुत्र पांच खुमार	8॥)
रामपुरा	श्रीकिशन पुत्र जीवण	1।।2
मोहनपुरा	हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री	10)
हणूलिया	श्यामसुन्दर पुत्र रतनदास फागी	7)4
मेहन्दवास	बदरी खाती मेहन्दवास	3)
,,	मांगीलाल रैगर	1)
नीपेड़ा	नानगराम माली	4)
,,	खेमा राणा पुत्र मोकला	6)
,,	कामा पुत्र मल्ला मीणा	2)
गोहन्दी	गोविन्दराम पुत्र सेंडू रैगर	1)

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जैतारण तहसील के अकाल राहत कार्य

62. श्री शंकरलाल (जैतारण)—क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पाली जिले की जैतारण तहसील के कितने राहत कार्यों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन पड़े हैं ? इन प्रस्तावों को कार्यान्वित न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

पाली जिले की जैतारण तहसील में अकाल राहत कार्य के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः कार्यान्वित न कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शेरगढ तहसील के जागीरदारों को मुआवजा

63. श्री खेतसिंह (शेरगढ)—क्या राजस्व विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ के सैंकडों छोटे जागीरदारों का मुआवजा अभी तक तय नहीं किया गया है ?

(2) इस तहसील की जागीरें कब जब्त की गई थीं तथा उनका मुआवजा कब तक तय कर दिया जाना चाहिए था ?

(3) अभी तक मुआवजा तय नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि तहसील शेरगढ के एक भी पसायतेदार को कोई मुआवजा उसकी जागीर जब्ती पर नहीं दिया गया है ? यदि दिया गया है तो कितनों को और यदि नहीं दिया गया है तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार कोई निश्चित अवधि तय कर बतला सकती है कि कब तक मुआवजे का यह कार्य सम्पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) करीबन 110 दावे तय होना शेष हैं ।

(2) इस तहसील में जागीरें 15-9-57 और 1-7-58 को जब्त हुई थी और छः माह की अवधि में केसेज तय हो जाने चाहिये थे।

(3) तहसील शेरगढ के कई जागीरदार टांका देते थे लेकिन बिना टांका काटे ही केसेज फाईनल हो गये अत. ऑडिट पार्टी द्वारा ऐतराज करने पर इसकी जांच कर दावे सुवो मोटो रिव्यू किये गये ।

(4) एक भी पसायतेदार को मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण सब ग्रान्ट्स वेलीडेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक पसायतेदार को नियम लागू होने के तीन माह में दावा पेश करना जरूरी था, पसायतेदारों ने इस अवधि में दावे पेश नहीं किये थे । अब दिनांक 12-1-67 को दावे

(श्री राजस्व मंत्री)
विभागीय स्तर पर बनाने बाबत परिपत्र जारी कर दिया गया है ।

(5) छः माह की अवधि में समाप्त कर दिया जावेगा ।

तहसील हिन्डौन में बिजली

64. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील हिन्डौन में चम्बल की बिजली पहुंच जाने पर भी किसानों व कस्बों को बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) पंचायत समिति हिन्डौन के ग्रामों में किसानों को बिजली कब तक दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

विद्युतिकरण किए हुए ग्रामों के किसानों व कस्बों को बिजली दी जा रही है ।

(2) पंचायत समिति हिन्डौन के विद्युतिकरण किए हुए ग्रामों में किसानों को बिजली दी जा रही है ।

तहसील खानपुर व सांगोद में सिंचाई

65. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड के कालीसिन्ध पिक-अप वेयर से योजनानुसार तहसील खानपुर व सांगोद में कितनी भूमि सिंचित की जाने वाली है?

(2) तहसील खानपुर व सांगोद की कितनी-कितनी भूमि पर कितने-कितने बार सन् 1965-66 व 66-67 में कालीसिन्ध बांध से पानी दिया गया है ? यह पानी योजनानुसार सिंचित होने वाले क्षेत्र व मात्रा से कितना कम या अधिक था व इसके क्या कारण थे ?

(3) काली सिन्ध पिक-अप-वेयर की सिंचाई क्षमता बढाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

उत्तर

(1) इस योजना से तहसील खानपुर व सांगोद की क्रमशः 5000 एकड व 15000 एकड भूमि सिंचित होने का प्रावधान है ।

(2) सन् 1965-66 व 1966-67 तहसील खानपुर व सांगोद की निम्नांकित भूमि से पानी दिया गया :—

सन्	तहसील	भूमि (एकड)
1965-66	खानपुर	293
1966-67	,,	1,829
1965-66	सांगोद	3
1966-67	,,	1,230

कमी का कारण सन् 1965-66 व 1966-67 में वर्षा का अत्यन्त अभाव होना है । जो पानी दिया गया वह औसत जल से लगभग एक तिहाई था ।

(3) जी नहीं किन्तु नहरों द्वारा रिस कर व्यर्थ जाने वाले पानी को उपयोग में लेने के लिये उन्हें पक्का करने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

बालेसर ग्राम के बिजलीघर से विद्युत वितरण

66. श्री खेतसिंह (शेरगढ)—क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री खेतसिंह)

(1) बालेसर ग्राम में जो बिजलीघर बनाया गया है उससे वहां से कितने गांवों को बिजली दी जायगी ?

(2) उस एन्जिन से कुल कितनी बिजली तैयार की जाती है ?

(3) अनुमानतः कितने कुओं को बिजली दी जा सकेगी ?

(4) क्या तिवरी से बिराई तथा बेलवा को बिजली से जोडने का कोई प्रावधान है ? यदि है, तो कितने समय में यह लाइन खेंची जावेगी ?

(5) क्या बालेसर से शेरगढ को बिजली की लाइन खेंची जाने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बालेसर ग्राम में बिजलीघर लगाया है। इसके अलावा बालेसर से और किसी भी ग्राम को विद्युतिकरण करने की योजना नहीं बनाई गई है।

(2) बालेसर में जो इंजिन लगा है, वह 25 किलोवाट का है।

(3) इससे अनुमानतः 5 कुओं को बिजली दी जावेगी।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

पंचायत समिति नीमराना के जन-स्वास्थ्य केन्द्र के उप-केन्द्रों पर स्टाफ

67. श्री अमीलाल यादव (बहरोड)–क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला अलवर की पंचायत समिति नीमराना के पब्लिक हैल्थ सैन्टर के सब-सैन्टर पर पूरा स्टाफ नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। उप केन्द्र जैतपुर, भांजरा व डूमरोली में एक मिडवाईफ व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्वीकृत पद है परन्तु ट्रेन्ड मिड वाईफ के अभाव में एक दाई व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रत्येक उप. केन्द्र के लिये नियुक्त किये गये हैं। ट्रेन्ड मिडवाईफ उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

प्राथमिक चिकित्सालय बालेश्वर में डाक्टर

68. श्री खेतसिंह (शेरगढ़)—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक चिकित्सालय बालेश्वर, जिला जोधपुर में गत एक वर्ष से कोई डाक्टर नहीं है ?

(2) क्या गत एक वर्ष में इस चिकित्सालय में किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि किसी के आदेश हुए तो किन-किन डाक्टरों की नियुक्ति अथवा तबादले इस अस्पताल में किन-किन तारीखों में किये गये ?

(3) नियुक्ति अथवा तबादले रद्द करने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि बालेश्वर चिकित्सालय में तैनात डाक्टर से जोधपुर अस्पताल में कार्य लिया जाता है और तनख्वाह बालेश्वर के नाम पर उठाई जा रही है ?

परिशिष्ट

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

1. जी हां ।

2. नियुक्तियां की गई । निम्नलिखित डाक्टरों की नियुक्तियां अथवा तबादले इस अस्पताल में किये गये :—

नाम	संख्या तबादले की व दिनांक	कहां से कहां
डा. बी. ग्रार छंगाणी	संख्या 436 दिनांक 13-10-66	जोधपुर से बालेसर
डा. एस. एन. खत्री	संख्या 435 दिनांक 15-10-66	बालेगा से बालेसर
डा. ग्रो. पी. गर्ग	संख्या 286 दिनांक 8-7-66	जोधपुर से बालेसर

3. प्रशासनिक कारणों से प्रथम दो का तो तबादला रद्द किया गया तथा न.3 श्री गर्ग का तबादला उनके मेडिकल कालेज में डिमोन्स्ट्रेटर के पद पर नियुक्त हो जाने के कारण रद्द करना पड़ा ।

4. ऐसा नहीं है ।

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 25 मई, 1967)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
3	अंतिम से 3	मे सम्बन्धित	से सम्बन्धित
7	8	एपाइन्मेन्ट	एपाइन्टमेन्ट
8	9	जाटोनी	जाटोली
10	अन्तिम से 10	गावों का	गांवों को
,,	,, 6	ाक	कि
12	16	सरकार	राज्य
,,	17	राज्य	सरकार
,,	22	आवाश्यक	आवश्यक
13	2	का	को
,,	अन्तिम से 10	रिपार्ट	रिपोर्ट
15	,, 6	म	में
16	1	विचार—	विचार–
,,	10	की	को
,,	17	रिपार्ट	रिपोर्ट
17	14	एश्योरेन्स	एश्योरेन्स
,,	अन्तिम से 7	या	क्या
22	,, 10	श्री विट्ठल	46. श्री विट्ठल
,,	,, 3	याद	यदि
25	13	ता	तो
26	14	ता	तो
27	8	ह	हैं
28	9	उपहरण	अपहरण
,,	10	सही है	सही हैं कि
,,	अंतिम से 7	गैंग ह	गैंग है
32	23	ता क्या	तो क्या
,,	अन्तिम से 7	प्रश्न का	प्रश्न को
45	7	सुविधा की	सुविधा को
53	1	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
,,	9 व 10 के बीच		श्री अध्यक्ष : यह चैम्बर का प्रश्न है।
,,	20	भूमिहीनों	भूमिहीनों को
54	9	श्री अध्यक्ष: यह चेम्बर का प्रश्न है	श्री अध्यक्ष :
61	11	अध्यक्ष महोदय	श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय
66	2	प्रोड्यसर	प्रोड्यूसर
67	अन्तिम से 11	म दिय	महोदय

1	2	3	4
70	11	हुमन यह	हमने यह
72	शीर्ष	श्री ी. एन. जोशी	श्री बी. एन. जोशी :
72	16	पर कवल	पर केवल
77	5	स् बइल को म्वाइश्चर	सवाइल म्वाइश्चर
,,	6	रिगेटेड	इरिगेटेड
78	अन्तिम से 5	वाल माननीय	वाले माननीय
79	5	डालन के लिये ट्रेजरी बन्चज	डालने के लिये ट्रेजरी बन्चेज
81	2	करूगा	करूंगा
82	1	ह	हैं
83	19	अपप्राप्त	अपर्याप्त
85	5	संकट	संकट
86	15	ग्रन	ग्रेन
87	7	और-और	और
88	5	य	यह
,,	6	मे	में
,,	6	हैं	ह
,,	9	भेज	भेजे
,,	अन्तिम से 10	चक्रवती	चक्रवर्ती
96	20	क	को
,,	21	प्रविधन	प्रावधान
,,	अन्तिम से 10	ता	तो
,,	,,	आर	और
99	13	कभा	कभी
102	4	नशनल	नेशनल
103	अन्तिम	लाग	लागू
109	अन्तिम से 14	म	में
117	15	लायगा	लायेगा
121	अन्तिम	म	में
122	18	को	की
123	10	उसका	उसके
,,	13	ह	हूं
,,	14	को	की
27	2	ह	है
,,	अन्तिम से 7	अभा	अभी
131	16	उसक	उसके
,,	अन्तिम से 6	स	इस
,,	,, 3	म	में
133	शीर्ष	श्रा	श्री
133	12	क	की
134	1	लवी	लेवी
,,	5	सोचत	सोचते

1	2	3	4
135	14	जसा	जैसा
135	अन्तिम	उनका	उसका
,,	8	है	हैं
,,	अन्तिम से 4	म	में
,,	अन्तिम	जसे	जैसे
140	17	म	में
142	12	लने	लेने
143	2	कपिटल	कैपिटल
से	अन्तिम से 7	खती	खेती
145	शीर्षक	विवाद	विचार
,,			
174			
145	7	क	के
147	अन्तिम से 3	हई	हुई
149	शीर्ष	(फूलचन्द बाफना)	(श्री फूलचन्द बाफना)
150	19	[illegible]ते	[illegible]ठते
,,	अन्तिम से 2	है	हैं
152	22	गोन	गोने
156	19	ह	हैं
157	9	खर	खैर
161	अन्तिम से 8	झू	झूठ
,,	,, 3	सा ी	सारी
162	7		हैं
164	13	खसा	खासा
,,	अन्तिम से 6	मिल कि	मिल सके
168	,, 8	बैठें कर	बैठ कर
169	13	इसक	इसके
,,	अन्तिम से 4	बठकर	बैठकर
170	16	ह	हैं
171	अन्तिम से 9	क	के
174	,, 4	सोतोवें	तो सोचें
175	,, 1	मासने	सामने
176	19, 20	ह	हैं
,,	23	दे दिया	दे दी
,,	अन्तिम	क	के
177	1	उस	उसमें
,,	14	क्मा	क्या
,,	अन्तिम से 9	ए ाटमेन्ट	एलाटमेन्ट
178	21, 33	ह	हैं
,,	अन्तिम से 2	क	के
179	10	हा	ही
,,	अन्तिम से 6	का	कम

1	2	3	4
182	12	ता	तो
,,	अन्तिम से 9	अदमिमों	आदमियों
183	21	चाह् ।	चाहते हैं।
184	6	क	के
185	अन्तिम	but	that
186	19	करें	किये
188	24	कपड़ा	कपड़ा
189	20	ह	है
,,	अन्तिम से 4	म	में
190	2, 4, 6	बैठूगा	बैगा
,,	14	म	में
191	18	बढ़ाने	बढ़ाने
,,	अन्तिम से 2	कल ाण	कल्याण
192	14	मोदी	मोदी
194	1	औ	और
199	7	ह	है
,,	अन्तिम	ोशिश	कोशिश
204	2-3	पुनर्वीचार	पुनर्विचार
,,	अन्तिम से 6	लकर	लेकर
,,	अन्तिम	देन	देने
205	15	पसा	पैसा
206	16	वाल	वाले
,,	अन्तिम से 5	तयार	तैयार
218	,, 9	जाबपुर	जोधपुर
218	शीर्ष–	(चिकित्सा मन्त्री)	(श्री चिकित्सा मन्त्री)